सत्र–03 08 अगस्त, 2025

खण्ड– 08 ..... शुक्रवार, ...

अंक– 17 17 श्रावण,1947(शक्)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

आठवीं विधान सभा

तीसरा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड–08 सत्र–03 में अंक 13 से 17 तक सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली–54

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–3 शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 / 17 श्रावण,1947(शक)अंक–17

दिल्ली विधान सभा

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	4
2	शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन	5
3	विशेष उल्लेख (नियम–280)	6–26
4	ध्यानाकर्षण(नियम–54)	27–44
5	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	45
6	सी.ए.जी. रिपोर्ट पर चर्चा	46–65
7	विधेयक पर विचार एवं पारण	66–183

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–3 शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 / 17 श्रावण,1947(शक)अंक–17

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुएः

क्र.सं.	सदस्य का नाम	क्र.सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अहिर दीपक चौधरी	36.	श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत
2.	श्री आले मोहम्मद इकबाल	37.	श्री प्रवेश साहिब सिंह
3.	श्री अभय कुमार वर्मा	38.	श्री पवन शर्मा
4.	डॉ. अजय दत्त	39.	श्रीमती पूनम शर्मा
5.	श्री अजय कुमार महावर	40.	श्री प्रवेश रत्न
6.	श्री अमानतुल्लाह खान	41.	श्री प्रेम चौहान
7.	श्री अनिल झा	42.	श्री पुनरदीप सिंह साहनी
8.	श्री अनिल कुमार शर्मा	43.	श्री राज करन खत्री
9.	श्री अरविन्दर सिंह लवली	44.	श्री राज कुमार भाटिया
10.	श्री आशीष सूद	45.	श्री राज कुमार चौहान
11.	श्री अशोक गोयल	46.	श्री राम सिंह नेताजी
12.	सुश्री आतिशी	47.	श्री रवि कान्त
13.	श्री चन्दन कुमार चौधरी	48.	श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह
14.	चौधरी जुबैर अहमद	49.	श्री रविन्दर सिंह नेगी
15.	डॉ. अनिल गोयल	50.	श्रीमती रेखा गुप्ता
16.	श्री गजेन्द्र दराल	51.	श्री सही राम
17.	श्री गजेन्द्र सिंह यादव	52.	श्री संदीप सहरावत
18.	श्री हरीश खुराना	53.	श्री संजय गोयल
19.	श्री इमरान हुसैन	54.	श्री संजीव झा
20.	श्री जरनैल सिंह	55.	श्री सतीश उपाध्याय
21.	श्री जितेन्द्र महाजन	56.	श्रीमती शिखा रॉय
22.	श्री कैलाश गहलोत	57.	श्री श्याम शर्मा
23.	श्री कैलाश गंगवाल	58.	श्री सोम दत्त
24.	श्री कपिल मिश्रा	59.	श्री सुरेन्द्र कुमार
25.	श्री करनैल सिंह	60	श्री सूर्य प्रकाश खत्री
26.	श्री कुलदीप कुमार	61	श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
27.	श्री कुलदीप सोलंकी	62	श्री तिलक राम गुप्ता
28.	श्री कुलवन्त राणा	63	श्री उमंग बजाज
29.	श्री मनजिंदर सिंह सिरसा	64	श्री वीर सिंह धिंगान
30.	श्री मनोज कुमार शौकीन	65	श्री विजेन्द्र गुप्ता
31.	श्री मोहन सिंह बिष्ट	66	श्री वीरेन्द्र सिंह कादियान
32.	श्री मुकेश कुमार अहलावत		
33.	श्रीमती नीलम पहलवान		
34.	श्री नीरज बैसोया		
35.	श्री पंकज कुमार सिंह		

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

———————————————————————————————————————

आठवीं विधान सभा, सत्र–3 शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 /17 श्रावण 1947 (शक्)

———————————————————————————————————————

सदन अपराह्न 02.05 बजे समवेत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता) पीठासीन हुए ।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण भारत छोड़ो आंदोलन हमारे देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐतिहासिक आवाहन किया था। उस समय 'करो या मरो' के नारे की गूंज ने पूरे देश को एकजुट कर दिया और जनता ने स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक कदम उठाया। 08 अगस्त अर्थात आज 8 अगस्त को इसका प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त को पूरे भारत में आंदोलन की चिंगारी फैल गई। यह आंदोलन केवल संघर्ष नहीं था बल्कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, बलिदान और शक्ति का प्रतीक था। इसमें समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र ने अपना योगदान दिया। आज इस अवसर पर हम सब इस सदन में उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों, अमर बलिदानियों तथा ज्ञात और अज्ञात वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपनी जान तक न्योछावर कर दी। मैं सभी से अपील करता हूं कि हम सब आजादी की कीमत को समझें और अपने कर्तव्य का पालन करें यही स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मैं सभी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिनके बलिदान के कारण आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अब निम्नलिखित सदस्यों द्वारा, हां जी।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः चर्चा भी इस पर हो जाए, पांच चार मिनट।

माननीय अध्यक्ष : नहीं लंबी हो जाएगी बात।

श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः चलो ठीक है।

माननीय अध्यक्षः अब निम्नलिखित...

सुश्री आतिशी (माननीय नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय जो हाउस की प्रोसिडिग्स चल रही है उसको लेकर एक कंसर्न था। पिछले दिनों से लगातार हम अलग–अलग मुद्दे पर रूल 55 में शॉर्ट डिस्कशन लगा रहे हैं। रूल 54 में कॉलिंग अटेंशन लगा रहे हैं। वो एलओबी में आ भी नहीं रहा और आपकी तरफ से कोई रूलिंग भी नहीं आ रही।

माननीय अध्यक्षः रूलिंग नहीं आती है। उसमें जो आता है।

सुश्री आतिशीः मैंने झुग्गी के जो झुग्गियां तोड़ी जा रही है।

माननीय अध्यक्षः मैंने आपका मैडम देखिए आप ना फिर बिना आप फिर कहेंगे आप बैठ जाइए अभी। अभी बैठिए आप आपको बैठना पड़ेगा। अब आप आपको मौका मिलेगा अभी आपका 280 लगा हुआ है उसमें बोलिएगा आप। मैं श्रीमती पूनम शर्मा जी से कहूंगा वो शुरू करें। चलिए। शुरू करिए मैडम, इतना महत्वपूर्ण है मेंबर्स को बोलना है 280 पे । आपने भी 280 लगाया हुआ है अभी आपको मौका मिलेगा 5 मिनट के बाद। आप बोलिए जी, डिस्टर्ब ना करिए, कार्यवाही को चलने दें।

श्रीमती पूनम शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी।

माननीय अध्यक्षः कार्यवाही को चलने दे। शुरू करें।

श्रीमती पूनम शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आज इस सदन का ध्यान वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र .....

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः मैं, देखिए। सदन की गरिमा को बना के रखें। मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है। कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। सदस्य बोल रहे हैं। आप उनको सुनिए। शुरू करिए। शुरू करिए। आप शुरू करिए।

श्रीमती पूनम शर्माः आदरणीय अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः बैठिये, बैठिये, बैठिये। बैठिये, बैठिए आप, बैठिए आप। आप बैठिये आपको, आपको शायद संसदीय परंपराओं का पता नहीं है, बैठ जाइए आप। बैठ जाइए आप। जो एलओबी में होता है, वो आ जाता है बाकि कोई ऐसा ऐसा कोई विषय नहीं है, जो आप बोल रहे हो, बैठ जाइए आप। बोलिए आप।

विशेष उल्लेख(नियम–280)

श्रीमती पूनम शर्माः आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आज इस सदन का ध्यान वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र की वजीरपुर जे जे कॉलोनी की एक गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जे जे कॉलोनियों में पहले स्लम एंड जो जे जे विभाग या डूसिब द्वारा बनाए गए सार्वजनिक शौचालय कभी बुनियादी जरूरत थे। लेकिन आज जमीनी हकीकत यह है कि ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में निजी शौचालय बना लिए हैं। सार्वजनिक शौचालय या तो बेकार अवस्था में पड़े हैं या बंद पड़े हैं या फिर अवैध कब्जे में आ चुके हैं। अब जरूरत है इस बात की कि जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं या उनका कम उपयोग आ रहा है, इन शौचालयों परिसरों को एक नई भूमिका दी जा सकती है। मेरा सुझाव है कि स्थानीय मार्केट या कोई बेसमेंट पार्किंग के रूप में इसका उपयोग किया जाए। इससे जे जे कॉलोनियों में फैलती अराजिकता, अवैध अतिक्रमण और यातायात की समस्याओं में राहत मिलेगी। वजीरपुर, जे जे कॉलोनी और बुनकर कॉलोनी जैसे इलाकों में डीडीए द्वारा बसाई गई जमीनों पर भी पर्याप्त खुली जगह है जिसे अगर सही प्लानिंग से पार्किंग के रूप में विकसित किया जाए तो हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। मेरा आप सब से आग्रह है कि इन पुराने शौचालय के जो परिसर है उनकी वर्तमान स्थिति का सर्वे किया जाए और जो शौचालय यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको चिन्हित करके स्थानीय जरूरतों के अनुसार मार्केट या पार्किंग में उनको बदला जाए और डीडीए की खाली जमीनों में स्थानीय निकायों के सहयोग से पुनः उपयोग को सुनिश्चित किया जाए। इससे सिर्फ जे जे क्लस्टर की इन कॉलोनियों का विकास ही नहीं होगा, मैं कहना चाहती हूं कि उन लोगों को सम्मान भी देने का एक छोटा सा प्रयास रहेगा जिनको हम लोगों ने पुनर्वासी कहा था और उन्हें भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम दे सकते हैं। आपने 280 में बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री तिलक राम गुप्ता जी।

श्री तिलक राम गुप्ता : आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के हजारों झुग्गी वासियों की ओर से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाल ही में हरियाणा पावर हाउस, इंदिरा कॉलोनी की झुग्गी बस्तियों को तोड़ने के आदेश जारी किए गए थे। ऐसे कठिन समय में हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने मानवीय संवेदनाओं को दर्शाते हुए तत्काल हस्तक्षेप करके कारवाई को रुकवाया। इस सराहनीय कार्य के लिए त्रिनगर विधानसभा के समस्त निवासी की ओर से मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि त्रिनगर क्षेत्र की झुगियों बस्तियों में वर्षों से मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी हो रही है। चाहे बात हो सफाई, साफ सफाई की, गंदे पानी की निकासी की, सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता की या नियमित कचरा प्रबंधन की हर जगह केवल खानापूर्ति की जा रही है। डूसिब द्वारा जो भी कार्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनका जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कार्य नहीं हो रहा है। जो भी फंड डूसिब के माध्यम से झुग्गी सुधार के लिए आवंटित किया जाता है, उनका उपयोग बिल्कुल भी नाम मात्र के रूप में किया जा रहा है। इसके कारण झुगी वासियों का जनजीवन अत्यंत कष्टदायक हो गया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि डूसिब की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा कर उसे अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और जमीनी हकीकत से जुड़ा बनाया जाए। साथ ही त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र की झुग्गी बस्तियां में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु शीघ्र ठोस कार्य करवाया जाए। क्षेत्र के अंदर एमसीडी के कर्मचारियों की बड़ी समस्या रहती है। कोई भी झुग्गी झोपड़ी के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं होते हैं। इसी तरह हमारे क्षेत्र के अंदर पानी की और सीवरों की इतनी भारी समस्या है।

माननीय अध्यक्षः कुलवंत जी आपको अपनी सीट पर जाना होगा।

श्री तिलक राम गुप्ताः मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सीवरों की और पानी की समस्या के लिए हमारी....

माननीय अध्यक्षः कोई सदस्य अपनी सीट से दूसरी सीट पर ना जाये।

श्री तिलक राम गप्ताः हमारी विधानसभा की ओर ध्यान दिया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए यथाशीघ्र सख्त से सख्त कारवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय नेता विपक्ष, सुश्री आतिशी।

सुश्री आतिशी(माननीय नेता, विपक्ष) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से जल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। अपनी विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुरी नामक इलाके में इस साल हुई गंभीर पानी की समस्या को लेकर। मैं 2020 से कालकाजी विधानसभा में विधायक हूं। लास्ट ईयर तो दिल्ली में बहुत जबरदस्त हीट वेव भी आई। 50–52 डिग्री तक टेंपरेचर गया। पानी की बहुत डिमांड बढ़ी। लेकिन इस साल जब इतनी गर्मी भी नहीं पड़ी, गोविंदपुरी इलाके में भारी तौर पर पानी की समस्या हुई है। पिछले छः दिन से अब तो गर्मी का मौसम भी चला गया। बरसात का मौसम आ गया है। गोविंदपुरी विधान सभा क्षेत्र में सी –लाल चौक यूजीआर से पानी आता है। ऐसी क्या पानी की कमी है कि यूजीआर में लगातार कम पानी आ रहा है। दूसरी ओर इस इलाके में बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जहां पे बोरवेल का पानी जाता है। इस साल एक समस्या वहां पे खड़ी हो गई है कि लगातार हो रहे पावर कट्स की वजह से जो ऑटोमेटिक मोटर्स लगी हुई हैं जब पावर कट हो जाता है उसका फेज चेंज हो जाता है। तो जब मोटर ऑन होनी होती है तो वो खुद ऑन नहीं होती है। कई घंटों बाद जब पानी की सप्लाई पहुंचनी होती है तब पता चलता है कि पानी पहुंचा नहीं। मैंने जल बोर्ड से भी इस मुद्दे को कई बारी उठाया लेकिन उन्होंने कहा है कि बोरवेल्स के फेस चेक करने के लिए उनके पास कोई भी स्टाफ नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से जल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि गोविंदपुरी इलाके के खासकर गली नंबर पांच, छ, सात, आठ और 13 में जो पानी की गंभीर कमी हो रही है उस पे जरूर संज्ञान लें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री अभय वर्मा जी।

श्री अभय वर्माः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं अपना 280 वापस ले रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः ठीक है। माननीय सदस्य श्री आले मोहम्मद इकबाल।

श्री आले मोहम्मद इकबाल : बहुत–बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष जी गंभीर मुद्दा यह है कि बुनियादी मुद्दा जो दिल्ली की आम जनता और गरीब से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

हमारे और भी साथियों ने इस मुद्दे को उठाया था वो है राशन का मुद्दा राशन कार्ड का मुद्दा। माननीय मंत्री जी से भी मैं गुजारिश करूंगा सिरसा साहब से और मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा। अध्यक्ष जी यह मुद्दा फिर से मैं आज दूसरा मुद्दा ऐसा है..

माननीय अध्यक्षः कृपया आपस में बात ना करें।

श्री आले मोहम्मद इकबालः मेरी विधानसभा के साथ–साथ पूरी दिल्ली का मुद्दा है कि आज आम आदमी को गरीब को जो नया राशन कार्ड बनवाना है।

माननीय अध्यक्षः अभय जी।

श्री आले मोहम्मद इकबालः तो जो नया राशन कार्ड बनवाना चाहता है गरीब आदमी उस नए राशन कार्ड के अंदर उसको एक–एक साल की वेटिंग लगती है और नाम ऐड कराने के.....

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः आप अपनी सीट पर बैठिये। इधर टोकना पड़ेगा बार–बार अच्छा नहीं लगेगा। आप माननीय सदस्यों को। हॉ जी शुरू करिये।

श्री आले मोहम्मद इकबालः छः महीने, अध्यक्ष जी नया राशन कार्ड बनवाना और नए राशन कार्ड के साथ–साथ जो पुराना राशन कार्ड होता है किसी को अपना नाम ऐड कराना है। सालों 6–6 महीने की वेटिंग लगती है और आम इंसान और गरीब परेशान हो रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी माननीय मंत्री महोदय से मुख्यमंत्री जी से कि सरकार इस पर एक अहम फैसला ले कि जो इंसान नया राशन कार्ड बनवाता है उसको राशन कार्ड के अंदर एक टाइम बाउंड हो कि 40 दिन में या महेज दो महीने के अंदर नया राशन कार्ड आम इंसान का बन जाए और दूसरा जिसको नाम ऐड कराना है तो वो नाम ऐड भी करा सकता है। तो उसके भी एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि आम इंसान को धक्के खाने ना पड़े राशन कार्ड बनवाने के लिए। दूसरा मेरा आपसे ये गुजारिश है कि पिछली सरकार के वक्त में भी होम डिलीवरी का एक ऑप्शन आया था। मेरी गुजारिश रहेगी कि सरकार की होम डिलीवरी से एक आसानी रहेगी कि राशन बहुत से इंसान अपनी इज्जत के खातिर राशन की दुकानों पे लाइन पे नहीं लग सकता। वो गरीब आदमी चाहता है कि उसको वो राशन लाइन में लगने के बजाय उसकी होम डिलीवरी हो जाए और जो उसी क्षेत्र के नौजवान लड़के हैं जैसे flip cart, amzon ने भी नौकरियां दी हैं होम

डिलीवरी की। तो सरकार उन नए लड़कों को, युवा लड़कों को रोजगार दे। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि युवाओं को देगी तो होम डिलीवरी होगी तो इंसान को आसानी होती है। तीन किलो गेहूं, 02 किलो चावल दिया जाता है। मैं समझता हूं यह कम है क्योंकि सरकार केंद्र सरकार से भी मदद ले सकती है। 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं एक आम इंसान को और गरीब को राशन की दुकान से मिलना चाहिए। मेरी ये गुजारिश सरकार से रहेगी और मैं समझता हूं इससे पूरी दिल्ली को भरपूर फायदा होगा और एक जॉब क्रिएट होगी। अध्यक्ष जी बहुत से हमारे पास महिला ऐसी आती हैं जो शर्म के मारे दुकानों पर लाइन पर नहीं लग सकती। तीन किलो गेहूं 02 किलो चावल के लिए तो लंबी–लंबी कतार होती है। लाइन होती है अगर होम डिलीवरी हो जाए तो इससे सरकार ये बहुत एक ऐतिहासिक फैसला होगा कि होम डिलीवरी होगी और उसी क्षेत्र के उसी विधानसभा के युवाओं को एक रोजगार भी मिलेगा और यह राशन उनके घरों तक पहुंच भी सकता है। सरकार पे ज्यादा बजट पर लोड नहीं आएगा। साथ में मैं अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार को यह भी कहना चाहता हूं कि जो नया राशन कार्ड और पुराना राशन कार्ड है इसका एक टाइम बाउंड बनाया जाए और साथ–साथ राशन कार्ड बनवाने के लिए बिजली का बिल मांगा जाता है। बहुत से लोगों के पास बिजली का बिल नहीं होता। एफिडेविट लिया जाए और एफिडेविट के आधार पर राशन कार्ड बनाने में मदद की जाए। साथ में मेरी गुजारिश रहेगी जो पांच किलो गेहूं और पांच किलो चावल सरकार दे। क्योंकि मैं समझता हूं कि सरकार अगर यह काम करती है तो ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा। पिछली सरकार ने हम लोगों ने काफी होम डिलीवरी को लेकर लोगों की मदद काफी करी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सरकार भी उसी तरीके से फैसले ले क्योंकि इसके लिए मैंने मैं समझता हूं कि...

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री आले मोहम्मद इकबालः आप एक चार इंजन की सरकार है अध्यक्ष जी। शासन भी आपका है, प्रशासन भी आपका है, राशन भी आपका है, आश्वासन भी आपका है। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी.....

माननीय अध्यक्षः चलिये धन्यवाद। आपने विषय रख दिया समझ में आ गया। माननीय सदस्य डॉ अनिल गोयल।

डॉ अनिल गोयल : धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे आपने रूल 280 में बोलने के लिए अनुमति दी। मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री महोदया का ध्यान गीता कॉलोनी झील आजाद नगर दिल्ली की लगभग 190 कॉलोनियों के रजिस्ट्री दस्तावेजों के पंजीकरण ना होने की समस्या की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी पिछले कुछ सालों से इन क्षेत्रों की गीता कॉलोनी झील आजाद नगर 190 कॉलोनी जिसमें 60 लाख लोगों की रजिस्ट्री है वह बंद है। बेहद परेशान है। यह ऐसा मुद्दा है कृष्णा नगर क्षेत्र का ही नहीं दिल्ली का है। हजारों नागरिकों को पिछले तीन साल से परेशान कर रखा है। यह वो भूमि है जो दिल्ली सुधार ट्रस्ट ने 1950 में पश्चिमी पाकिस्तान से आए प्रवासियों को 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड के लिए आवंटित की थी और पहले संबंधित विभाग द्वारा 100 गज भूमि की फ्री होल्ड करने की अनुमति दी जा रही थी और रजिस्ट्री हो रही थी लेकिन 3 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस पत्र संख्या नंबर जो इसमें दिया है प्रेजेंटेशन में के आदेश अनुसार रोक दी गई। जिसके कारण लगभग 190 ऐसी कॉलोनियों में पारिवारिक विभाजन के बाद परिणाम स्वरूप कुछ कानूनी उत्तराधिकारी को 50 गज हो गया, 25 गज हो गया, फोर्थ जनरेशन आ गई, उनके वो निर्माण नहीं कर पा रहे, बेच नहीं पा रहे। बच्चों की शादियां नहीं कर पा रहे, ऋण नहीं ले पा रहे और उनको अत्यंत मुसीबत और ये एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास परिवार हैं जिनके कारण जिनको यह समस्या हो गई है। मेरा यह आग्रह है कि तुरंत रजिस्ट्री दस्तावेजों का पंजीकरण जल्द शुरू करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों से इस लोकहित के मामले में ध्यान दें। यह मैं एक जरूर यह रेफरेंस भी देना चाहता हूं। इस रजिस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने लिखा कि..

माननीय अध्यक्षः आपस में बात ना करें।

डॉ अनिल गोयल : लिस्ट जैसी जो लिस्ट है कुछ ऐसा डिफॉल्ट हो सकता है कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें कुछ डिफॉल्ट हो सकती है वो लैंड एंड डेवलपमेंट के वेबसाइट ई–धरती पोर्टल पे है तो उनको छोड़कर बाकी सबकी रजिस्ट्री तुरंत चालू की जाए और ये इन्होंने आर्डर दिया है लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर ने कि जो प्रॉपर्टी बुक है उसको छोड़कर सब रजिस्ट्री की जाए

और उसकी machnism may be devised through Delhi online registration information system that is (DORIS) in Sub-registrar office, Delhi, so that automatic information reaches L&DO after an agreement to sale is registered for mutation in L&DO records to bring the lease on record तो इसलिए it is only a technical and administrative issue इसको तुरंत सॉल्व करके लाखों लोगों की घर की रजिस्ट्री उनके मकानों की रजिस्ट्री को शुरू किया जाए। ये वह लोग हैं जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर दिल्ली आए। बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत।

श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत : अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। ये विषय

माननीय अध्यक्ष : प्रद्युमन जी का माइक खोल दीजिए। नहीं आपके ऑटोमेटिक खुलता है वो।

श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत : आपके ध्यान में मैं लाना चाहूंगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, अध्यक्ष जी दिल्ली में बड़ी संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स हैं, इनकी संख्या हजारों में है। इनके कार्य करने के लिए, इनमें बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ की बहुत आवश्यकता रहती है। दिल्ली में नर्सिंग होम एक्ट 1977, दिल्ली एक्ट 1999 का नंबर तीन के अनुसार सूचीबद्ध है। अध्यक्ष जी, ऐसा देखने में आया है, दिल्ली में रजिस्टर्ड नर्सेज बड़ी संख्या में विदेश में नौकरी करने चली जा रही हैं। दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में जो नर्सें काम करती हैं उनमें जो दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको दिक्कतें आती है । उसका एक बड़ा कारण यह है कि वह दिल्ली एक्ट के तहत दिल्ली में रजिस्टर्ड होती हैं तो उनके अपने होम स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है जिससे वह अपने राज्य की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकती हैं। इस कारण वह दिल्ली में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराती हैं। अध्यक्ष जी इसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमाणिक डाटा भी प्राप्त नहीं हो पाता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य की योजनाओं पर भी विपरीत असर पड़ता है। अध्यक्ष जी इस विषय पर मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को अनुरोध करना चाहता हूं। दिल्ली नर्सिंग

काउंसिल में एक प्रावधान किया जाए। ऐसी नर्सेज का एक टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन हो, अस्थाई रजिस्ट्रेशन हो, जिससे उनके होम स्टेट की रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल ना हो और दिल्ली में भी रजिस्टर्ड हो सके। उसका लाभ यह होगा कि दिल्ली के जो हॉस्पिटल हैं और जो नर्सिंग होम हैं, जो नर्सिंग स्टाफ की किल्लत महसूस करते हैं, उससे भी उनको छुटकारा मिलेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री पवन शर्मा जी।

श्री पवन शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष जी, बोलने का समय देने के लिए आपका धन्यवाद है। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि द्वारका मोड़ का जो हमारा उत्तम नगर टर्मिनल से लेकर द्वारका मोड़ का जो सारा यातायात का जो संबंध है उसमें कुल मिलाकर संपूर्ण जो क्षेत्र है, वो लोगों की जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है। हजारों की संख्या में गाड़ियां वहां जाती हैं। लेकिन रेहड़ी पटरी से लेकर और संपूर्ण चीजें वहां पर इस प्रकार से उस रास्ते को रोकने के लिए बाध्य करती हैं जिसके कारण से सामान्य लोगों को आने जाने के लिए बहुत कठिनाई सामना करना पड़ता है। उसी के ऊपर दो तीन हॉस्पिटल हैं। उनकी एंबुलेंस जब आती है तो उनको कितने भी सायरन बजाते रहो, उनको रास्ता नहीं मिलता। कोई ना कोई अगर बीमार ऐसा होता है जिसको उपचार की तुरंत जरूरत रहती है उनको उस रास्ते से पार करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी रास्ते से जो स्कूल का जो समय होता है उसी रास्ते से बच्चों की बसें जाती हैं, उन बच्चों की जो बसें जाती हैं उनके कारण से बच्चों को इतनी तकलीफ होती है, आने में और जाने में भी, कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं वो डेढ़ घंटा से लेकर एक घंटा तक का समय उनको उस रास्ते को पार करने में लग जाता है। वो बिलखते हैं, रोते हैं, लेकिन रास्ता ना मिलने के कारण से उसी रास्ते से उनको जाना पड़ता है। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि वहां पुलिस की व्यवस्था हो और वहां पर जो ट्रैफिक है, जिस ट्रैफिक से रास्ते पर आने जाने के जो वाहन है वो गुजरते हैं उनको किसी प्रकार से बाधा ना डाली जाए इसके लिए उनकी रेहड़ी पटरी जो लगती हैं या गाड़ियां जो खड़ी होती हैं उनको सुव्यवस्थित करना करना चाहिए, कि उस रास्ते पर आने जाने का रास्ता उनको सुविधा पूर्वक बने। आज के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर

जिस समय हमारे माननीय सांसद थे उन्होंने उस समय भी बहुत कोशिश की थी परंतु 10 साल की जिस प्रकार की सरकार का वो रवैया था उसके कारण से कुछ हो नहीं पाया। आज मुझे लगता है थोड़ा प्रयत्न करने के बाद सब तरह की सुविधाओं का रास्ता बनेगा और आने और जाने वालों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसको हम करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं। उसके साथ में ही दो पेड़ ऐसे हैं जो बत्ती जो लगी हुई है उसके सामने वो पड़ते हैं, आने जाने वाले लोगों का उन पर ध्यान नहीं जाता, जिसका परिणाम यह निकल कर आता है के एक तो रास्ता जाम रहता है ट्रैफिक के कारण से, दूसरा उनको इस प्रकार की कठिनाई रहती है उन पेड़ों को भी कहीं न कहीं निकलवाकर दूसरी जगह पर लेकर जाया जाए, ऐसा मैं माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से निवेदन कर रहा हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुलदीप कुमार।

श्री कुलदीप कुमार : धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी आज मैं आपके समक्ष यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार से जुड़ा मुद्दा रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी दिल्ली में 2015 के अंदर लगभग 10,600 के आसपास बस मार्शलों की नियुक्ति की गई थी। जिनका काम बसों में सुरक्षा करना महिलाओं की और उसके साथ–साथ दिल्ली के अंदर लोगों को एक सुगम यातायात प्राप्त कराने का काम करने का था। लेकिन अध्यक्ष जी 2015 से ये लोग काम कर रहे थे और आज से डेढ़ वर्ष पूर्व अध्यक्ष जी आपको भी पूरी तरह से ज्ञात है कि उनको बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के, उन 10,600 बस मार्शल को वहां से निकाल दिया गया और अध्यक्ष जी आपको भी इस बारे में पूरी जानकारी है क्योंकि आपने भी, सरकार ने भी उस उनको आश्वासन दिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि 60 दिन में उन लोगों का रोजगार वापस मिल जाएगा, लेकिन आज 6 महीने से ज्यादा होने के बावजूद भी वो लोग दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोविड काल में अपनी जान की बाजी लगाकर उन लोगों ने दिल्ली के लोगों की सेवा करने का काम किया। बस के अंदर महिलाओं की सुरक्षा करने का काम किया और आज वो दर–दर की ठोकरें खाने का काम कर रहे हैं और लगातार सारे मंत्री जितने यहां बैठे हुए हैं। सभी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि दिल्ली में भाजपा की

सरकार आएगी तो उनको 60 दिन में रोजगार मिल जाएगा। एक अरविंद केजरीवाल जी सरकार ने उनको रोजगार देने का काम किया था। दूसरी तरफ़ आपकी सरकार आने के 6 महीने बाद भी उनको रोजगार नहीं मिला तो मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष जी, कि उनको रोजगार देने का काम किया जाए। वह लोग आज अपनी दो वक्त की रोटी के लिए दर–दर की ठोकर खाने का काम कर रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री जी के घर पे जाते हैं कभी आपके यहां आते हैं। मंत्रियों के यहां जाते हैं तो पुलिस बुलाके उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा अध्यक्ष जी डीटीसी के कर्मचारी पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज मेरे ख्याल से 8 तारीख है आज लेकिन सेलरी नहीं मिली अध्यक्ष जी ...

माननीय अध्यक्ष : नहीं सर आपका विषय जो है ना पूरा हो गया है धन्यवाद। पूरा हो गया विषय आपका। फिर दोबारा लगाइएगा आप 280 उस विषय पर भी बात करेंगे। एक बात पूरी हो गई ना आपकी देखिए जो आपने विषय रखा है एक 280 में एक ही विषय लोगे ना आप।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : हां जी, नहीं इनका विषय पूरा हो गया आपका। अब माननीय सदस्य श्रीमती नीलम पहलवान जी।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : नहीं–नहीं वो एक, आपने आपने एक ही मुद्दा लिखा था वो इसमें मैंने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है मैंने पढ़ लिया है। बैठिए। नीलम जी। माननीय सदस्य श्री कुलवंत राणा जी।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : आपने जो मुद्दा लिखा है मैंने पूरा समय दिया आपको। आप अगर एक ही 280 में तीन मुद्दे उठाएंगे तो कैसे बनेगी बात। आपने एक मुद्दा, नहीं कोई अलाउड नहीं है। माननीय सदस्यगण 280 का अर्थ है कि एक विशेष उल्लेख किसी एक मुद्दे का। शुरू करिए कुलवंत जी।

श्री कुलवन्त राणा : अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपका ध्यान दिल्ली के ट्रैफिक व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली में सड़कों पर बहुत ट्रैफिक है। पिछले 11 वर्षों में सड़क पर ट्रैफिक कम कैसे हो , सड़कों पर ट्रैफिक ठीक ढंग से सुचारू रूप से कैसे चले, इस पर कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली में आप भी सड़कों पर जब जाते हो, कहीं भी तो ट्रैफिक जाम के शिकार होते हो। कहीं भी कोई ऑटो वाला सड़क पर ऑटो चला रहा है। कहीं पर रिक्शा हो रिक्शा चला रहा है, तो लेन निर्धारण नहीं है दिल्ली में। दिल्ली के ट्रैफिक में सड़कों पर लेन का निर्धारण हो तो ट्रैफिक मूवमेंट इजी हो जाएगी। ऐसा मेरा कहना है। दूसरा अध्यक्ष जी दिल्ली में कार पार्किंग का बहुत बड़ा अभाव है। बहुत कम पार्किंग है।

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट एक ही मुद्दा उठाइए जो आपने लिखा है।

श्री कुलवन्त राणा :नहीं मैं ट्रैफिक पे बोल रहा हूं। जी मैं जाम पे बोल रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री कुलवन्त राणा :ये इसका हिस्सा है मैडम आतिशी आप बीच में बोल रही हो। अरे ट्रैफिक, अरे कार पार्किंग में ट्रैफिक में.....

अध्यक्ष महोदय : मैं, अभी देखिए ऐसा है ये एक सेकंड आपने जो विषय रखा है सामने यहां वो 11वीं व 12वीं कक्षा के विज्ञान और वाणिज्य, ये शिक्षा का मुद्दा है आपका, आपका जो मुद्दा है वो मैं पढ़ दूं आप के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री रिठाला विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों तथा यहां के आसपास के स्कूलों में विज्ञान और वाणिज्य विषय बहुत कम स्कूलों में है इसलिए छात्रों को Arts विषय के साथ 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ना पड़ता है। ये आप पढ़ दीजिए।

श्री कुलवन्त राणा :अध्यक्ष जी मैं मेरी बात सुन लें आप। मैं उसी विषय में बोल रहा हूं। मेरा विषय एक है। दो नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : आपका विषय है 11वीं और 12वीं का।

श्री कुलवन्त राणा :ट्रैफिक जाम पर पार्किंग का संबंध है, जो ट्रैफिक का और कार पार्किंग का संबंध है कि नहीं है?

माननीय अध्यक्ष : लेकिन अभी आप इसको पूरा कर लीजिए ना पहले। शिक्षा वाला बात करिए।

श्री कुलवन्त राणा :मैं शिक्षा पर।

माननीय अध्यक्ष : शिक्षा की बात करिए।

श्री कुलवन्त राणा :मुझे मालूम नहीं मेरा किस पे आया है। मैं तो मेरा विषय मैंने पांच विषय दिये थे।

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट। मैं पढ़ देता हूं। मैं कुलवंत राणा जी का विषय मैं पढ़ रहा हूं और वरना आपके कंप्यूटर में भी खुल जाएगा वो लैपटॉप में।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। मैं कर रहा हूं ना बात। आप बैठिए। यह मैं पूनम जी का विषय जो है वो जो हमारे वो उनका 280 खोल दीजिए उसमें, 280 खोल दीजिए उनका। बैठिये आप चलिए इतने में।

श्री कुलवन्त राणा :वो मैडम ने गड़बड़ कर दी नहीं तो चल ही जाता ये तो काम। हां नहीं तो चल ही गया था ये।

माननीय अध्यक्ष : चलिए।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री इमरान हुसैन जी, मैं आपको दोबारा बुलवाता हूं पूनम जी। इमरान हुसैन जी,

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : इमरान हुसैन जी शुरू करें आप बोलेंगे नहीं, अगर आपको नहीं बोलना मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर वो वो तीन दिन से मुझसे रिक्वेस्ट कर थे आज उनका ड्रा हो गया है। आप अपने ही पूर्व मंत्री को नहीं बोलने दे रहे।

श्री इमरान हुसैन : अध्यक्ष महोदय सबसे पहले आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 280 के तहत बोलने का मौका दिया।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको इनके बाद आपको बुलवा दूंगा।

श्री इमरान हुसैन : अध्यक्ष महोदय।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : कोई बात नहीं। अगर व्यवस्था ठीक करने के लिए।

श्री इमरान हुसैन : यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो मेरी विधानसभा से रिलेटेड है। बल्ली मारान विधानसभा से। मैं शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से महिलाओं को और बच्चों को बड़ी उम्मीदें हैं। मेरी विधानसभा में एक स्कूल है चश्मा बिल्डिंग स्कूल जिसका आईडी नंबर है 2127025 यह स्कूल 1952 से वहां चल रहा है और सन 2000 के अंदर अचानक कुछ लोग आते हैं निकल के और शिक्षा विभाग में दावा करते हैं उसके मालिकाना हक का और उसके कुछ दिन बाद शिक्षा विभाग उन्हें उसका मालिक मान लेता है, मेरी आपसे गुजारिश है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं क्योंकि 1952 से स्कूल चल रहा है वो और इलाके के लोग कहते हैं यह जगह शिक्षा विभाग को किसी ने जो है डोनेट करी थी और 48 साल तक कोई नहीं निकल के आया और वहां बच्चियां शिक्षा ले रही हैं और अभी अप्रैल के महीने के अंदर एक वो आर्डर लेके आए हैं कि अगर 6 महीने तक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस पे संज्ञान नहीं लिया और अपील में नहीं गया तो वह उसको खाली करा सकते हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से और सभी से आपके माध्यम से गुजारिश है कि अपील में भी जाएं और यह संज्ञान लें

कि कौन अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के जो ऐसे माफियाओं से मिले हुए हैं जो स्कूल की शिक्षा विभाग की जगहों पे कब्जा करना चाहते हैं। उनके उपर सख्त से सख्त कारवाई होनी चाहिए और शिक्षा विभाग की जो संपत्ति है, जो जमीन है, इसको बचाने का काम करें। जब हमारी बेटियां पढ़ेंगी जब ही तो आगे बढ़ेंगी जब ही देश भी आगे बढ़ेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है। यहां प्रवेश वर्मा जी भी बैठे हैं और क्योंकि अभी तीन मंत्री बैठे हैं तो मेरा यह मैसेज आप जरूर पहुंचाएं और आप लोग भी संज्ञान लें इस पे और यह तो मेरी विधानसभा का इशू है। अगर और किसी विधानसभा में भी इस तरह के माफ़िया जो है शिक्षा विभाग की ज़मीन हो या किसी भी विभाग की ज़मीन हो, और उसको इस तरह अधिकारियों के साथ मिलकर हड़पना चाहें, तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें और शिक्षा विभाग की ज़मीन को बचाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपका बहुत–बहुत शुक्रिया और आपसे भी मेरी गुजारिश है। अगर हो सके तो आप भी इस पर संज्ञान लें और एक मीटिंग बुलाएं और उसको बचाने का काम करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : आपके 280 को अधिकारियों को भेजा जाएगा। माननीय सदस्य कुलवंत राणा जी।

श्री कुलवन्त राणा :अध्यक्ष महोदय मैंने पांच विषय भिजवाए थे। उसमें से एक विषय पे मैं बोल रहा था।

माननीय अध्यक्ष : हां तो जो विषय आपका निकला उस पर बोल दीजिए आप बस।

श्री कुलवन्त राणा :ठीक है उसी पर बोल रहा हूं अध्यक्ष जी। मेरा आपसे आग्रह है कि दिल्ली के अंदर तमाम स्कूलों में साइंस और कॉमर्स है तो मेरी विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में मैंने 11 साल पहले प्रयास किया था कि सभी स्कूलों में साइंस और कोमर्स अनिवार्य हो।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : नहीं–नहीं बैठिये आप। देखिये फिर आप डिस्टर्ब मत करिये, अगर चीजें ऑर्डर में आ रही हैं तो अच्छी बात है ना, मैंने उनको कहा। जो विषय उन्होंने दिया है उस पर बोलेगें,

उन्होंने ध्यान आकर्षित किया आतिशी जी ने हमने उसको तुरंत रोका। उस विषय को रोका ना, अब माननीय सदस्य इस विषय को कर रहे हैं। पूरा करिये, पूरा करिये आप।

श्री कुलवन्त राणा :अध्यक्ष जी मैं इनसे पूछ रहा हूं कौन से पर बोलूं दोनों में से किसी एक पर बोल लेता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आपने जो लिखकर दिया है उस पर ही बोलेंगे आप।

श्री कुलवन्त राणा :मैं उसी पर बोल रहा हूँ अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : हां उस पर बोलिए आप।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : नहीं–नहीं।

श्री कुलवन्त राणा :वो अध्यक्ष जी का मामला है, मैं नहीं करूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिये–बैठिये।

श्री कुलवन्त राणा :आप अध्यक्ष जी हो ना कि मैं अध्यक्ष हूं।

माननीय अध्यक्ष : बैठिये कुलदीप जी। शुरू करिये।

श्री कुलवन्त राणा :तो अध्यक्ष जी मेरे यहां पर जब मैंने पहले जब मैं एमएलए था तो मैंने सभी स्कूलों की buildings बनवा दी थीं। और उसमें इसको लेकर के विशेष काम किया गया था कि सभी स्कूलों में साइंस भी हो और कोमर्स भी हो, लेकिन 11 साल में नहीं हो पायी। जब एक बच्चा पढ़ता है एक स्कूल में जाता है 10वीं तक वो पहुंचता है तो जैसे घर में उसका मन लगता है, ऐसे ही स्कूल के साथ उसका लगाव हो जाता है और दसवीं के बाद जब वो स्कूल छोड़ता है एक विषय को लेकर के दूर–दराज के स्कूल में उसको एडमिशन मिलता है सांइस या कोमर्स, तो उसको पीड़ा होती है, उसका सर्कल, टीचरों के साथ लगाव, बच्चों के साथ लगाव और वो जाकर के दूसरे स्कूल में सैट होने में समय लगता है और उसके लिए फिर

बिचारे को एक नया प्रयास करना पड़ता है किस विषय में लेकरके दाखिला लेना है मेरे को। तो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसको, तो क्यों ना दिल्ली के सभी स्कूलों में जिसमें 4 मंजिला बिल्डिंग है, इमारत है या लैब्स की कमी तो उसमें ऐड करके सभी स्कूलों में साइंस और कोमर्स क्या अनिवार्य नहीं होने चाहिए। ये दिल्ली शहर है, देश की राजधानी है, क्या विषयों को लेकरके बच्चा अलग–अलग स्कूलों में भटकता रहेगा? कब तक भटकेगा? तो क्यों ना प्रत्येक स्कूल में ऐसा हो ताकि उसके ही स्कूल में उसको विषय पढ़ने का अवसर प्राप्त हो और ऐसा होना चाहिए देश की राजधानी है। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपके माध्यम से कि मेरे विधानसभा व दिल्ली के अन्य सभी प्रमुख स्कूलों में साइंस और कोमर्स या आर्ट्स तीनों विषय पढ़ाये जाने अनिवार्य होने चाहिए और उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आपने समय दिया उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद आपका।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अशोक गोयल जी।

श्री अशोक गोयल : माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे लोकहित के मुद्दे पर जो 280 में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। मॉडल टाउन विधानसभा में स्ट्रीट लाइट का एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष जी मॉडल टाउन विधानसभा में जीटी करनाल रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया है। उसमें ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और जी– आई वन ब्लॉक और करीब–करीब 400 फैक्ट्रियां उसमें। उन 400 फैक्ट्रियों में से करीब 14–15 बैंकेट हॉल भी हैं। दो वर्षों से वहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। अंधकार रहता है जहां पर 10,000 के करीब वर्कर काम करते हैं और जब शादी के दिन होते हैं तो हर बैंकेट में कार्यक्रम होते हैं तो रात को भी 15 से 20,000 लोग हर रोज आते हैं। वहां पर चैन स्नैचिंग होती है, रात को चोरी होती है बैंकेट में और फैक्ट्रियों का सामान चोरी होता है। जब मैंने जानकारी ली कि यहां पर स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं है तो उन्होंने बताया कि टाटा मतलब दो मीटिंग की डीडीसी की और एसडीएम के लेवल पर, तो पहले तो यह जानकारी मिली कि यहां पर टाटा पावर डीएसआईडीसी और एमसीडी तीन एजेंसीज हैं और काफी जद्दोजहद के बाद पता लगा कि टाटा पावर ने बिजली काट रखी है। और जब जानकारी ली तो क्यों? तो उन्होंने कहा कि बिजली का बिल ना डीएसआईडीसी दे रही है ना एमसीडी दे रही है और डीएसआईडीसी कहती है कि ये एमसीडी ने देना है। एमसीडी

कह रही है डीएसआईडीसी ने देना है, तो आखिर जनता का क्या कसूर है? अगर बिल देना है तो किसी सरकार की एजेंसी ने देना है। लेकिन जनता सफर कर रही है। इसी तरह से एक सेवा बस्ती एक खिलौनावाला बाग, उस खिलौनावाला बाग में भी पिछले तीन महीने से टाटा पावर ने लाइट काट दी है। वह कहते हैं कि हमें बिजली का बिल नहीं मिला। तो ड्यूसिब कहता है कि एमसीडी ने देना है, एमसीडी कह रही है ड्यूसिब ने देना है। तो कुल मिलाकर यह स्थिति इतनी खराब है कि सरकार की किसी एजेंसी ने बिजली का बिल देना है, लेकिन जनता सफर कर रही है। और माननीय अध्यक्ष जी जो बिजली का, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा है बड़ा गंभीर है। कहीं पर एमसीडी की स्ट्रीट लाइट है, कहीं पर पीडब्ल्यूडी की स्ट्रीट लाइट है, कहीं पर ड्युसिब की स्ट्रीट लाइट है, कहीं पर पीडब्ल्यूडी की है, कहीं पर डीडीए की है। तो इतने बड़े क्षेत्र में जहां पर भी लाइट नहीं है तो जिस एजेंसी से बात करो, वो कहते हैं मेरी नहीं है। तो मेरा यह माननीय ऊर्जा मंत्री से आपके माध्यम से यह आग्रह है कि इस बिजली के लिए कोई एक नोडल ऑफिसर हो जो कम से कम इन छह एजेंसी से एक वन पॉइंट सलूशन हो। नहीं तो पूरे क्षेत्र में लगातार हर एजेंसी अपना वर्क दूसरे पर डाल देती है कि मेरा नहीं है दूसरे का है। तो मेरा आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से यह आग्रह है कि एक नोडल ऑफिसर बने और यह जो दो क्षेत्र हैं जो जीटी करनाल रोड इंडस्ट्रियल एरिया और खिलौनावाला बाग इसकी बिजली जल्द से जल्द रिस्टोर कराई जाए कि सरकारी एजेंसियों के चक्कर में जनता सफर कर रही है। वहां पर चोरी चैन स्नैचिंग लगातार बढ़ रही है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : एक माननीय सदस्यगण एक बात मैं सभी सदस्यों को स्पष्ट कर दूं कि 280 में जब आप अपना विषय रखते हैं और उस समय आपका ड्रॉ भी आ गया और आप नहीं है। तो उसी विषय को दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आज एक मैटर है जनरल सिंह जी का उसी तरह का। जनरल सिंह जी का पहले 280 में आ चुका है। उस दिन ये बिना 280 पढ़े यहां से चले गए। अपने आप वॉक आउट कर गए और फिर लौट के नहीं आए। आज वही विषय इन्होंने दोबारा लगाया हुआ है। लेकिन अब ये लगातार मुझे आग्रह कर रहे हैं। अगर

सदन इजाजत दे तो मैं इनको दोबारा आज, पर ये प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं। अगर आपका 280 लगा हुआ है। हां जी।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : नहीं नहीं इनका आया हुआ है नंबर इनका नंबर आया हुआ है लेकिन ये सेम इश्यू पे इनका नंबर पहले भी आया था उस दिन ये नहीं थे चले गए थे, वॉक आउट। 1 मिनट, 1 मिनट अभी देखिए, जनैरल जी एक मिनट में खत्म कर लीजिएगा अपनी बात। मैं आपको मौका दे रहा हूं लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। यह समझ लीजिए एक–एक 280 मेरे पास होता है एक–एक 280 मुझे पता है आप क्या बात कर रहे हैं और अगर दोबारा करेंगे उसी विषय में तो वह भी अलाउड नहीं होगी जी।

श्री जरनैल सिंह : सबसे पहले तो सर आपका बहुत–बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने का समय दे रहे हैं। बहुत–बहुत आपका आभार। सर, यह मुद्दा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मेरे को दोबारा लगाना पड़ा और यह सभी दिल्ली के दुकानदारों की उस चिंता से संबंधित है जो मैं आपके सामने पूरे साक्ष्य के साथ रखने जा रहा हूं। सर बीती 22 जुलाई की बात है। तिलक नगर मार्केट से मेरे को कॉल आती है किसी दुकानदार की कि मेरी दुकान को सील करने के लिए रेवेन्यू विभाग से टीम आई हुई है। तो जब मैं मौके पर पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि रेवेन्यू विभाग के कुछ अधिकारी ये सीलिंग ऑर्डर दिखाते हैं सर कि ये सीलिंग ऑर्डर है हमारे पास इसलिए हम इस दुकान को सील कर रहे हैं। सीलिंग ऑर्डर पे सर वजह जो लिखी है उस दुकान को सील करने की वो ये लिखी है कि आपकी दुकान के बाहर कुछ एंक्रोचमेंट हो रखी है। इसलिए आपकी दुकान को हम सील कर रहे हैं और मैंने पूछा इसके पहले कोई show cause नोटिस दिया है? तो सर कोई शोकोज नोटिस उन्होंने इसके पहले नहीं दिया था। तो पूरा का पूरा सर बहुत सारे बाजार हैं। सारे व्यापारी इस चीज को लेकर रोष में भी थे और घबराए हुए भी थे कि क्या हमारी दुकान को अब से अगर हमने दुकान के बाहर टेबल भी रख दिया तो क्या सीधे सील कर दी जाएगी? जब वहां पर बहुत ज्यादा शोर मच गया, सारे व्यापारी इकट्ठे हो गए तो वह टीम वापस चली

गई और रात को, 4:00 बजे दिन में यह सील करने आए हैं और रात को 10:30 बजे सर फिर वो शोकोज नोटिस देने आते हैं क्योंकि मामला काफी ज्यादा फैल जाता है तो दिल्ली के व्यापारी वर्ग तो सर आपकी पार्टी का माना जाता है समर्थक भी है। तो व्यापारी वर्ग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है कि यह किस तरीके की व्यवस्था दिल्ली के अंदर बन रही है और अल्टीमेटली जो purpose समझ में आया सर कि व्यापारियों से उगाही करने का, व्यापारियों से महीना फिक्स करने की ये सारी कोशिश की जा रही है और ऐसे विभाग द्वारा, मेरे साथ बहुत सारे सदस्य बैठे हैं। आप सब बता दें बहुत सीनियर मेंबर भी बैठे हैं। क्या कभी रेवेन्यू विभाग के एसडीएम ने सिर्फ दुकान के बाहर टेबल बड़ा होने की वजह से दुकान को सील किया है? तो सर यह बहुत ही गंभीर मामला बन चुका है सर। मैं भी चौथी बार इस सदन का सदस्य हूं। मैंने नहीं देखा कहीं एंक्रोचमेंट होती भी है तो ज्यादा से ज्यादा एमसीडी वो सामान उठा लेती है, जब्त कर लेती है। बाद में लोग जाकर छुड़वा लेते हैं। ये प्रोसीजर तो सर बहुत बार देखा है, पर एसडीएम के द्वारा दुकान के बाहर टेबल पर होने पर दुकान को सीधे सील कर देना ये बहुत ज्यादा सर चिंता का विषय और आपका ध्यान देने वाला विषय है। सर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि पहले ये प्रथा थी सर। हालांकि तारांकित प्रश्न में ही होता है कि माननीय मंत्री महोदय जवाब देते हैं। 280 में भी कई बारी मंत्री अगर सही समझते थे, तो उसका रिप्लाई देते थे। यह महकमा माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित है। वह यहां मौजूद नहीं है। तो सर मैं आपसे इस चीज़ में यह चाहता हूं कि यह मामला आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहें कि इस पर जांच करवाएं कि क्यों एसडीएम की टीम, रेवेन्यू विभाग की टीम हर दुकानदार से उगाही करना चाहती है। क्यों ये वसूली के अलग–अलग विभाग बन रहे हैं जब से नई सरकार बनी है। इस पर मैं आपका सर तवज्जो भी चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री जरनैल सिंह : माननीय मुख्यमंत्री महोदया संज्ञान लें।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रेम चौहान जी।

श्री प्रेम चौहान : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी आपने मुझे 280 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी मेरे यहां एक गंभीर समस्या है जिसको मैं लगातार जल बोर्ड के अधिकारियों को लेटर लिखकर, उन्हें फोटो देकर, उनको ले जाकर विजिट करा के कई बार ऐसा कर चुका हूं। लेकिन जल बोर्ड कोई एक्शन नहीं ले रहा है इस पे। मेरे यहां पर लगातार सोनिया विहार की लाइन से पानी चोरी किया जा रहा है और वह एक एक डेढ़ डेढ़ लाख लीटर के टैंक बनाकर उसमें पानी डालते हैं दिन भर, जब भी पानी आता है जिसकी वजह से आगे के एरिया में पानी नहीं पहुंच पाता है ऐसे कम से कम पांच से छह ठिकाने हैं जिनको मैंने खुद देखा, मैंने उनकी फोटो दी, पूरी लोकेशन दी, बावजूद कम से कम तीन महीने से लेटरबाजी मैं कर रहा हूं, अधिकारियों से भी मिल रहा हूं और मंत्री जी के ऑफिस भी गया था मैं इसके लिए। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इस पर कार्रवाई हो ताकि लोगों को पानी मिल सके और कुछ जगह टयूबवेल्स को बंद कर लिया है जगह से ताकि दिख नहीं पाए, उन टयूबवेलों से भी इसी तरह का काम हो रहा है, रात में टैंकर भर के लोगों को ही पैसों से दिया जाता है।

अध्यक्ष जी, मेरी पूरी विधान सभा देवली टैंकर पे निर्भर है और इस बार टैंकर भी बहुत कम कर दिए हैं। मंत्री जी से मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि मेरे टैंकर कम से कम 70 होने चाहिए 50 हैं सिर्फ sanction में और ज्यादातर विधान सभा टैंकरों पर डिपेंड है क्योंकि हमें 12 एमजीडी की जगह सिर्फ 3.8 एमजीडी पानी मिल रहा है जो कि बहुत कम है। मंत्री जी इसपे अगर आप कुछ मदद कर देंगे, एक–आध एमजीडी बढ़ा देंगे तो देवली और संगम विहार में भी पानी पहुंच जाएगा जहां पर लाइन डली हुई है। मैं नई लाइन की बात ही नहीं कर रहा कि नई लाइन डलनी चाहिए, ऑलरेडी जो पुरानी लाइन है वहां पर ये पानी पहुंच जाए, अगर एक आध एमजीडी भी आप बढ़ा देंगे तो। और जो चोरी हो रहा है पानी वो अगर रुक जाएगा तो काफी लोगों को राहत मिलेगी उससे। बहुत–बहुत धन्यवाद।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य–श्रीमती नीलम पहलवान जी।

श्रीमती नीलम पहलवानः धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपनी नजफगढ़ विधान सभा के अंतर्गत समस्त गांव के युवा जो विभिन्न खेलों में रुचि रखते हैं उन युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण हेतु गांव की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं जहां लगभग 100 एकड़ ग्रामसभा की जमीन का 36 एकड़ के हिस्से में एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जमीन अलॉट हो चुकी है। यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाने से ना सिर्फ मेरी विधान सभा के युवा वर्ग बल्कि पूरे दिल्ली देहात और आसपास के 40–50 गांव के युवाओं को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण मिलने में मदद मिलेगी। वे युवा आगे भविष्य में होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे, वे अपने क्षेत्र, दिल्ली तथा हमारे देश का नाम रोशन करेंगे तथा जो जमीन इसी प्रोजेक्ट के लिए अलॉट हुई है उस जमीन का बेहतर उपयोग होगा जो काफी समय से इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य– श्री जितेन्द्र महाजन जी, दिल्ली में भूजल स्तर तथा जल संकट से निपटने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण(नियम–54)

श्री जितेन्द्र महाजनः धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली का गंभीर भूजल संकट इस समय ढाई करोड़ जनता के जीवन को खतरे में डाल रहा है। पानी प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत निहित है। लेकिन अगर हमारा ध्यान इस विषय पर नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन दिल्ली भी डे जीरो के कगार पर पहुंच जाएगी, यह वह भयावह दिन होगा जब हमारे नल सूख जाएंगे और दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रकाशित एनुअल रिपोर्ट और 2019 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ 20 लाख है परंतु जैसे कि एनसीआर से बड़ी मात्रा में लोग दिल्ली में पढ़ने

के लिए, काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए आते हैं तो दिन के अंदर दिल्ली की जनसंख्या जो है वह लगभग 3 करोड़ के आसपास हो जाती है, यह बात यह दर्शाती है कि पीक आवर्स में दिल्ली जो है वह विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या की राजधानी है और दिल्ली के ऊपर पानी का भार जो है वो दिन में और अधिक बढ़ जाता है। यह जनसंख्या प्रतिदिन 5,862 मिलियन लीटर पानी या 2.14 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की मांग करती है, जिसमें से 3300 एमएलएडी घरेलू उपयोग के लिए है। जैसा कि 2019 में सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रकाशित मैनुअल ऑन वाटर एंड ट्रीटमेंट में प्रति व्यक्ति की आवश्यकता का आधार 135 लीटर पर बताया गया है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड केवल 4546 एमएलडी पानी की आपूर्ति कर पा रहा है, जिसमें से 3864 एमएलडी स्थाई जल, 40 परसेंट जल यमुना से आ रहा है, 25 परसेंट गंगा जी से आ रहा है, 22 परसेंट भाखड़ा नंगल बांध से आ रहा है और 614 एमएलडी जल जो है भूजल से आ रहा है और 68 एमएलडी उपचारित अपशिष्ट जल शामिल है और इसमें भी वितरण की भारी असमानता है। जैसे एनडीएमसी क्षेत्र जहां पर हमारे दूतावास हैं, जहां हमारे, जहां पर हमारा लुटियन जोन है वहां पर पानी की आवश्यकता जो है वो अधिक है। 3 सितंबर को 2021 में हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार पॉश क्षेत्र जो है उसमें 10 गुना ज्यादा पानी का उपयोग जो हो रहा है और हमारे जो फाइव स्टार होटल्स हैं यहां पर लगभग 3000 लीटर प्रति व्यक्ति जो है वो पानी जो है वो खर्च हो रहा है।

इकोनॉमिक सर्वे 2023–24 के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली की केवल 78 प्रतिशत मांग को पूरा करता है जिससे 1316 एमएलडी की कमी रह जाती है। यमुना में अमोनिया का स्तर 2.5 पीपीएम से अधिक है जो उपचार संयंत्रों की दक्षता को प्रभावित करता है और इससे जो मशीनरी है वो 30 परसेंट उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और 2025 में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रकाशित एक प्रेस रिलीज के अनुसार वजीराबाद तालाब का जल स्तर 668.7 फीट तक गिर गया है जबकि सामान्य स्तर 674.5 फीट है, जिससे वजीराबाद और चंद्रावल संयंत्रों का उत्पादन. ...

(समय की घंटी)

माननीय अध्यक्षः शॉर्ट करिए।

श्री जितेन्द्र महाजनः शॉर्ट में कर रहा हूं। 25 से 30 परसेंट कम हो गया। यह कमी दिल्ली के हर कोने में हो रही है और फिर वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो।

माननीय अध्यक्ष जी, पानी की कमी ने दिल्ली की जनता को हताश कर दिया है और अब हम बिना बिजली, बिना पानी अर्थात बिजली होगी तो पानी मिलेगा और अगर पानी, बिजली नहीं होगी तो पानी भी नहीं मिलेगा की स्थिति में है। 2024 में एक रिपोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति सबमर्सिबल पंप और बोरवेलों पर बढ़ गई है जो पूरी तरह बिजली पर निर्भर है। बिजली कटौती होने पर यह पंप बंद हो जाते हैं जिससे कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बंद हो जाती है। 2025 की टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली 22,000 से अधिक अवैध बोरवेल चिन्हित किए गए हैं जबकि वास्तविक आंकड़ा लाखों में है और भूजल का अवैध रूप से दोहन बड़े स्तर पर हो रहा है। ये अवैध बोरवेल अनधिकृत कॉलोनी और स्लम क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे हैं जहां पाइप लाइन से पानी नहीं पहुंचता है। 2025 में टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में भूजल स्तर हर साल 2 से 4 मीटर तक गिर रहा है, यह बड़ी चिंता की विषय है। 2024 में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अनधिकृत कॉलोनियों में बोरवेल पिछले तीन वर्षों में 15 परसेंट की दर से बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग टैंकरों की लंबी कतारों से बचने के लिए नियम तोड़ रहे हैं, यह अवैधता हमारे भूजल को नष्ट कर रही है। लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पानी का साधन नहीं है, लेकिन यह अनियंत्रित दोहन हमारे भूजल भंडार को तेजी से समाप्त कर रहा है। हमें यह समझना होगा, पानी सभी का मौलिक अधिकार है, इसे हासिल करने के लिए सख्त निगरानी और नियमों का पालन जरूरी है। अगर हम अवैध बोरवेलों पर सख्त कार्रवाई करते हैं तो दिल्ली के लोग प्यासे मर जाएंगे और अगर जिस समर्सिबल और जिस तरीके से समर्सिबल और बोरवेलों की संख्या बढ़ रही है अगर इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई तो कुछ ही समय में हम सब, हम जमीन का सारा पानी निकाल लेंगे और हम अपने बच्चों के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे।

साथ–साथ जिस प्रकार भूजल का स्तर घट रहा है, पानी की गुणवत्ता भी घट रही है जो एक तरफ से जल संकट उत्पन्न करने की तरफ अग्रसर है, दूसरी ओर इससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराने लग जाएगी।

माननीय अध्यक्ष जी, पिछली आपदा सरकार ने दिल्ली के अंदर 11 सालों के अंदर पानी बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड पर 1 लाख 42 हजार करोड़ का बकाया है और 70 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है, यह वित्तीय बोझ दिल्ली जल बोर्ड को अपनी 15,473 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइन को ठीक करने, 58 परसेंट गैर राजस्व जल को कम करने, नए जल उपचार संयंत्र बनाने में असमर्थ बना रहा है। 2024 में डाउन टू अर्थ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 58 परसेंट एनआरडब्ल्यू वैश्विक मानक 10 से 20 परसेंट से कहीं अधिक है, जिसका मतलब यह है कि हमारे आधे से अधिक पानी रिसाव, चोरी या कॉलोनियों में बर्बाद हो रहा है। 2019 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के अनुसार सभी एजेंसियों के खराब आपसी समन्वय ने इस संकट को गहरा दिया है। 2024 में वाजीराव एंड रवि द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यमुना में 2.5 पीपीएम से अधिक अमोनिया और वजीराबाद तालाब के स्तर में कमी ने जल उपचार संयंत्रों की क्षमता को कम कर दिया है। पिछली सरकार ने यमुना सफाई और बुनियादी ढांचा के उन्नयन जैसे दीर्घकालीन उपायों को नज़र अंदाज कर अल्पकालिक लोक लुभावन योजनाओं को प्राथमिकता दी, यह विफलता हमें डे जीरो के बहुत ज्यादा करीब ले जाएगी।

एक बहुत important मुद्दा है माननीय अध्यक्ष जी, 2024 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर द्वारा प्रकाशित National Compilation on Dynamic Groundwater Resources of India के अनुसार 65 परसेंट जल जहां से दोहन किया जा रहा है वो सेफ जोन में है, 65 से 80 प्रतिशत जल जहां से दोहन किया जा रहा है वह खतरे में है और 85 से 100 प्रतिशत जल जहां दोहन किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। जो.. और दिल्ली के अंदर, पूर्वी दिल्ली के अंदर 98 प्रतिशत जल का दोहन किया जा रहा है। नई दिल्ली जिले में 135 प्रतिशत जल का दोहन किया जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 108 प्रतिशत जल का दोहन किया जा रहा

है। दक्षिणी दिल्ली में 112 प्रतिशत जल का दोहन किया जा रहा है। और दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में 94 प्रतिशत जल का दोहन किया जा रहा है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले 8–10 दिन, सालों में हमारी क्या स्थिति दिल्ली के अंदर होने वाली है, यह मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री जितेन्द्र महाजनः सर, जल्दी खत्म कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः नहीं, लास्ट का पढ़ दीजिए बस।

श्री जितेन्द्र महाजनः लास्ट का पढ़ रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः लास्ट पैरा पढ़ दीजिए।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः इतना महत्वपूर्ण विषय रखा है पानी के दोहन का विषय है।

....व्यवधान.....

श्री जितेन्द्र महाजनः माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर, माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर 893 जलाशय और तालाबों में से 75.5 परसेंट 2022–23 तक सूख गए थे। और दिल्ली की स्थिति यह है, दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा जल दोहन करने से डे–जीरो का खतरा और बढ़ गया है, माननीय अध्यक्ष जी, यह कोई काल्पनिक खतरा नहीं है, जब दिल्ली के नल सूख जाएंगे और हमारी दिल्ली की ढाई करोड़ जनता पानी के लिए तरस जाएगी। 2018 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सहित 21 प्रमुख शहर 2030 तक भूजल समाप्त होने का खतरा जिन शहरों के ऊपर मंडरा रहा है उनके अंदर दिल्ली भी है। चेन्नई ने 2019 में संकट देखा जब जलाशय सूख गए थे और शायद टैंकरों पर निर्भर हो गए थे। 2013 में विकिपीडिया द्वारा प्रकाशित एक आर्टिकल के अनुसार चेन्नई में पानी के लिए हिंसा हुई, जिसमें एक महिला को बोरवेल खोदने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की

एक रिपोर्ट के अनुसार चाहे वो श्रीनगर में डल झील का प्रदूषण और अति दोहन जल संकट को गहरा रहा है। ऐसे ही पूरे देश में जगह–जगह जो है वो घटनाएं हो रही हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जल संकट के कारण जो स्थिति बन रही है, भूजल के कारण जो स्थिति बन रही है, विदेशी कंपनियां भी इस बाजार पर कब्जा करने के लिए बार–बार जो है वो प्रयास जो है कर रही हैं। मेरा इसमें निवेदन है कि दिल्ली के अंदर जितनी भी एजेंसियां पानी को लेकर काम कर रही हैं दिल्ली के अंदर उन सबके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।

पिछले 11 वर्षों के अंदर दिल्ली के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने को लेकर कोई काम नहीं किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री–रेखा गुप्ता जी और अपने जल मंत्री–माननीय प्रवेश वर्मा जी को बहुत–बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने नई सरकार बनते ही इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। और मुझे जानकर तब यह आश्चर्य हुआ कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन से अपील करता हूं, हम पानी के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए यह सभी तत्काल कदम उठाएं। मैं सभी सम्मानित सदस्यों से इस संकट से निपटने के लिए सुझाव देने की भी अपील करता हूं, क्या हम अपनी राजधानी को डे–जीरो से बचा सकते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्षः अपने सुझावों को ना मंत्री जी को भेज दीजिएगा, ठीक है। अब आगे....

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः अब माननीय, नहीं, बैठिए प्लीज। अब मैं श्री पंकज कुमार सिंह–माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अपने विभाग से संबंधित कार्य सूची के बिंदु क्रमांक दो के उप बिंदु एक में दर्शाए गए दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः हां जी, शुरू करिए पंकज जी, पंकज जी शुरू करिए।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः अभी, पहले एक बारी थोड़ा बिजनेस आगे बढ़ने दीजिए। आज कई सारी चीजें हैं।

माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री पंकज कुमार सिंह): अध्यक्ष जी, एक प्रार्थना है, वो मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता, उसको थोड़ा कृपया डलवा दीजिएगा।

माननीय अध्यक्षः ये बात सही है, सचिव महोदय।

माननीय सूचना प्रौद्योगिक मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची के बिंदु क्रमांक 02 के उप बिंदु.. ..

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः अच्छा एक मिनट रुकिए, मंत्री जी को उनके सुझावों पर रिप्लाई करना है।

माननीय जल मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह): मैं हमारे आदरणीय सदस्य जितेंद्र महाजन जी द्वारा जो पूरे सदन का और दिल्ली का ध्यानाकर्षण उन्होंने पानी के लिए किया है, मैं समझता हूं ये खाली माननीय सदस्य की नहीं पूरे सदन की ये चिंता का विषय है। और अभी उन्होंने जैसे एक बात करी कि जो दिल्ली में बोरवेल लगे हुए हैं उनको अभी एनजीटी कोर्ट द्वारा उनको सीलिंग के आर्डर किए गए। तो एक तरफ तो आपने भी यह कहा कि इतने सारे बोरवेल लगे हुए हैं, आप उनको बंद ना करें ताकि जल संकट पैदा ना हो। तो हमारी भी यह कोशिश है कि जब तक हम एक–एक घर में पानी नहीं पहुंचा देते तब तक ये बोरवेल ये ऐसे ही चलते रहें, इसके लिए हमारी सरकार एक सारे बोरवेल के लिए रेगुलराइजेशन के लिए पॉलिसी भी लेकर आ रही है ताकि हम एकदम से सारे बंद कर देंगे तो जो 11 साल में दिल्ली की हालत हुई जब तक हम उसको ठीक नहीं कर देते तभी तक इनको बंद करना ठीक नहीं है। मगर जो ऐसे ठेकेदार जो इनका मिसयूज कर रहे हैं, जो अपने–अपने एरिया में कई इलीगल बोरवेल लगा के इसको बेच रहे हैं उनके खिलाफ में हमारा जल बोर्ड डिपार्टमेंट वो अपनी इनफोर्समेंट की टीम बना रहा है। अभी तक जल बोर्ड के पास में इनफोर्समेंट की कोई भी इफेक्टिव एजेंसी

नहीं थी, हम उसको बना रहे हैं ताकि फाइव स्टार होटल, बैंकेट हॉल, सारे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट जो जो ग्राउंड वाटर को या टैंकर से पानी ले रहे हैं जिन्होंने हमारा कनेक्शन नहीं लिया हुआ है, ना वो हमको बिल देते हैं और इतना लाखों लीटर रोज उसको यूज करते हैं तो उनके ऊपर में हम एक लगाम लगा सके, पेनल्टी लगा सके।

अध्यक्ष जी, मैं आपको ऐसे केवल दो–तीन उदाहरण दूंगा जिससे दिल्ली की स्थिति साफ हो जाएगी। मेरे पास में अभी संगम विहार के हमारे चंदन चौधरी जी विधायक आएं और उन्होंने एक समस्या हमारे सामने रखी, सारे अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि पीछे की सरकार में एक वहां पर इनकी कॉलोनी में पानी की लाइन डाली गई, सात करोड़ रुपये का उसका टेंडर हुआ, सात करोड़ रुपये का काम हुआ और वो लाइन कभी भी कमीशन नहीं हुई क्योंकि जब उसको एक बार ट्रायल किया गया तो उसमें इतने सारे लीकेज निकले और हमारे अधिकारी हमारे पास में नई पाइपलाइन डालने के बाद 7 करोड़ की पेमेंट करने के बाद फिर से एक प्रपोजल लेके आए कि 4 करोड़ रुपया और चाहिए यह सारी लीकेज को ठीक करने के लिए। अगर नई लाइन डाली है, उसी में लीकेज आ गई है, उसमें पेमेंट भी हो गई थी पिछले की सरकार में अब 4 करोड़ रुपए और मांगे जा रहे हैं। तो ये होता क्या था? दिल्ली में इतनी सारी अनोथराइज कॉलोनी कट रही थी और ज्यादातर आम आदमी पार्टी के विधायक थे सारे। इन्हीं की सरकार थी तो इनके।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः कोई नहीं आप बैठिए ना। उनको रिप्लाई करने दीजिए। रिप्लाई करने

दीजिए। करिये आप।

माननीय जल मंत्रीः तो इनके विधायक।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः आप बैठिए। बैठिए आप। वो रिप्लाई कर रहे हैं। आप यह नहीं बताएंगे। मैं

नहीं बताऊंगा उन्हें उनको क्या बोलना है। बैठिए आप।

....व्यवधान.....

माननीय जल मंत्रीः अध्यक्ष जी एक इसमें कमाल की बात। क्या होता है..

माननीय अध्यक्षः मैं अनिल जी, मैं देखिए माफ़ी चाहूंगा, कार्रवाई हो जाएगी, बैठ जाइये आप।

किस लिए, जब वो रिप्लाई कर रहे हैं, बैठिए आप, बैठिए। मेरी सभी माननीय सदस्यों से करबद्ध प्रार्थना है बैठ जाइये। बैठ जाइए।

....व्यवधान.....

माननीय जल मंत्री : कमाल की बात ये है।

माननीय अध्यक्षः अरे आप बैठिए, माननीय अनिल जी मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं बैठ जाइए, बैठ जाइए।

माननीय जल मंत्रीः एक बार मैं बोलता हूं।

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए कृपया।

माननीय जल मंत्रीः देखिए अध्यक्ष जी एक।

माननीय अध्यक्षः आप भी बैठिए, सब बैठिए।

माननीय जल मंत्रीः अध्यक्ष जी कमाल की बात ये है छाया मुख्यमंत्री सुनीता

केजरीवाल जी थी ये कहां से हो गई छाया मुख्यमंत्री।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठिये बैठिए। संजीव जी, संजीव जी बैठिये। बैठिये बैठिये आप। बैठिये आप, बैठिये बैठिये बैठिए।

....व्यवधान.....

माननीय जल मंत्रीः अरे तो, भई आपके आपके घरों में, आपके घरों में,

....व्यवधान.....

माननीय जल मंत्रीः सुनो सुनो। बैठो बैठो। अरे बैठो मैं बताता हूं।

अरे मैं बताता हूं। बैठो, बोलता हूं, मैं बोलता हूं। बैठो बैठो। बोल रहा हूं ना। मैं जवाब दे रहा हूं। बैठो। अच्छा मैं जवाब दे रहा हूं। बैठो।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठिए बैठिए।

माननीय जल मंत्रीः अरे मैं बताता हूं सुनो।

माननीय अध्यक्षः बैठिए। सदन की कारवाई को चलने दें। समय की सीमा है। समय जो है देखिए बहुत सारा एजेंडा बाकी है। बैठ जाइए। बैठिए। अरे आप बैठिए ना।

माननीय जल मंत्रीः मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः वो जवाब दे रहे हैं।

माननीय जल मंत्रीः अरे मैं जवाब दे रहा हूं। दे रहा हूं। जवाब दे रहा हूं।

मैं दे रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः बैठिए अरे बैठिए बैठिए।

माननीय जल मंत्रीः मैं जवाब दे रहा हूं ।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिये, बैठिये।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः प्राइवेट कुछ नहीं होता प्राइवेट। बैठिए। बैठिए।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः अरे इस सदन में, इस सदन में आप सब जो पुराने हैं वो जानते हैं क्या–क्या होता था यहां। यहां नेता, विपक्ष की पत्नी को जेल भेज रहे थे मुख्यमंत्री, आपको मालूम है? बैठिए आप। बैठिए आप। जब जेल भेज रहे थे, आप बैठिए। बैठिए आप।

माननीय जल मंत्रीः मैं देता हूं जवाब देता हूं दे रहा हूं जवाब दे रहा हूं दे रहा हूं

जवाब दे रहा हूं दे रहा हूं जवाब।

माननीय अध्यक्षः बैठिए बैठिए।

माननीय जल मंत्रीः जवाब दे रहा हूं।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठिए। बैठ जाइए। बैठ जाइए। नंबर हो गये आपके पूरे बैठ जाइए।

आप बैठ जाइए, मैम। बैठ जाइये अनिल जी, बैठ जाइए। कुछ सदस्य जो है वो उनका काम है सदन को डिस्टर्ब करना, बस। बैठिए आप। चलिए शुरू करिए मंत्री जी, मंत्री जी शुरू करिए। बैठिये आप बैठिए।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठिये,शुरू करिए।

माननीय जल मंत्रीः देखो अरे। अनिल, अनिल, अनिल।

माननीय अध्यक्षः माननीय मंत्री जी शुरू करिये।

माननीय जल मंत्रीः आपकी धर्मपत्नी और हमारी भाभी जी की भी चलती है ना

किराड़ी में थोड़ा बहुत, तो यही उन्होंने बोला कि सुनीता जी की भी चलती थी और क्या

बोला।

माननीय अध्यक्षः अरे बैठिए आप ना आप।

....व्यवधान.....

माननीय जल मंत्रीः उन्होंने भाभी जी के बारे में बोला है।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः ऐसी कोई बात नहीं है, बात ही तो कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए।

माननीय जल मंत्रीः अच्छा बैठो बैठो इतना जरूरी विषय पे बात कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः अच्छा मैं अब कार्रवाई, मैंने आपको चौथी बार चेतावनी दे रहा हूं आप बैठ

जाइए, आप बैठ जाइए बैठ जाइए। चार चेतावनी दे चुका हूं अनिल जी मैं आपको,

बैठ जाइए।

माननीय जल मंत्रीः अध्यक्ष जी मैंने केवल इतना कहा था कि दिल्ली में अनओथराइज्ड कॉलोनी

कट रही थी और इनकी सरकार थी। इसके बाद तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मैंने कहा, मैंने कहा चोरी हो रही थी और इतने में आप सब खड़े हो गए। मैंने आपका नाम नहीं लिया। मैंने यह थोड़ी ना कहा कि इमरान हुसैन कॉलोनी काट रहा था। मैंने ये कब कहा? मैंने कहा कि कॉलोनियां कट रही थी और आपकी सरकार थी। मेरे से। अच्छा इमरान हुसैन।

माननीय अध्यक्षः बैठिए, बैठिए, बैठिये, बैठिए।

माननीय जल मंत्रीः मैंने ये थोड़ी ना कहा था की केजरीवाल जी कॉलोनी काट रहे हैं।

माननीय अध्यक्षः कुलदीप जी बैठ जाइए बैठ जाइए कुलदीप जी।

माननीय जल मंत्रीः आप एकदम से खड़े हो गए।

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए बैठ जाइए बैठिये। अजय जी बैठिए, बैठिए

बैठिए अच्छा बैठिए बैठिए।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठिए बैठिए बैठिए बैठिए।

माननीय जल मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था कि दिल्ली की कॉलोनियों को पानी क्यों नहीं मिला दिल्ली के लोगों को पानी क्यों नहीं मिला, क्योंकि बिना किसी प्लान के, बिना कोई मास्टर प्लान के, बिना कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से कॉलोनियों को जोड़े। ये लोग केवल इसलिए पानी की लाइन को डाल देते थे कि कॉलोनियों के रेट बढ़ जाए इसलिए वहां पर पानी की लाइन को छोड़ देना, पानी की लाइन को दबा देना, सीवर की लाइन को दबा देना और उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता था कहीं से भी। केवल 5–5, 10–10 करोड़ रुपए हर विधानसभा में जिस कॉलोनी में प्लॉट खरीदते थे वहां पर पानी की लाइन को सीवर की लाइन को दबा देते थे मिट्टी के नीचे कोई कनेक्शन नहीं था, कोई योजना नहीं थी कोई। तो इसीलिए यही कारण था कोई आउटफॉल नहीं था, यही कारण था कि दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिला आज तक। जो जितेंद्र महाजन जी ने कहा मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि दिल्ली में 11 साल पहले, दिल्ली में 11 साल पहले जो वाटर लॉस था वो लगभग 30 प्रतिशत था। मगर 10 साल में इनकी सरकार में वह बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया। पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में वाटर लॉस कम करने के लिए योजना बनाई जाती है। ये पहली सरकार ऐसी आई 10 साल में जो वाटर लॉस को बढ़ा रही थी। अब हमारी सरकार ने ये सारी चिंता करते हुए कि हर कॉलोनियों में हमने पानी के टैंकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से जल सेवा आपूर्ति शुरू करी। एक हमने दिल्ली जल बोर्ड में ऐप बनाया,

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः शांत, शांत, शांत।

माननीय जल मंत्रीः और उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ में लॉच किया ताकि हर विधायक, हर क्षेत्रवासी उसके कॉलोनी में क्या टैंकर जा रहा है कहां पर रुका है कौन से पॉइंट पर जा रहा है ये सब की बात चिंता करते हुए। क्योंकि जितेंद्र महाजन जी इससे पहले भी ये हमारे विधायक रहें और जो हमारे आठ विधायक थे जिसमें आप भी थे। आपके साथ में आपकी विधानसभाओं में इतना पक्षपात होता था, ना वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगते थे, ना वहां पे जेई दिए जाते थे, ना इंजीनियर दिए जाते थे ना कोई प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस में एक भी करोड़ रुपया नहीं दिया जाता था केवल....

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः शांति रखिए, बिल्कुल शांति रखिए।

माननीय जल मंत्रीः केवल और मैं तो यह हैरान होता हूं। तो मुझको यह लगता था ये जो....

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठिए सही राम जी बैठिए, ये, बैठ जाइये। बैठ जाइये आप। बैठ जाइये आप।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठिए आप, बैठिए। शुरू करिये।

माननीय जल मंत्रीः मेरे को ये लगता था ये 8 विधानसभाओं में ही काम नहीं होता है, मगर जब आए सरकार में तो पता लगा कि किसी विधानसभा में काम हुआ ही नहीं है। ये जब बातों को उठाते हैं 280 में या क्वेश्चन में तो ऐसा लगता है कि एक साल पहले 6 महीने पहले तो स्वर्ग था। हर घर में नाली थी। हर घर में पानी की लाइन थी। हर घर में सीवर का कनेक्शन था। बस ये 6 महीने में गड़बड़ हो गया। मुख्यमंत्री जी के यहां पे तो सारी चीजें थी। बस ये 5 महीने में सब कुछ खत्म हो गया। अरे आप तो मुख्यमंत्री रहीं। आप अपने इलाके में काम क्यों

नहीं करवा सकती थीं? आप, आप अपने इलाके में आप अपने इलाके में आपने चोरियां करी। एक–एक प्रोजेक्ट को 1 करोड़ रुपए से लेकर उसमें डेविएशन करके 5–5, 10–10 करोड़ रुपए करके उसकी पेमेंट भेज दी जाती थी। कोई काम नहीं किया। आज हमारी मुख्यमंत्री जी ने जब वो डीएसबीसीएलसी कैनाल का दौरा किया जहां पर 30 प्रतिशत वाटर लॉस है। अगर आप भी जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा दिल्ली के लोग कैसा पानी पी रहे हैं। वो बिल्कुल खुली हुई नहर है। जहां पर लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं। आज तक किसी ने उसकी चिंता नहीं करी। मुख्यमंत्री जी ने चिंता करी तो आज उसको पूरा प्रोटेक्टेड एक नहर के रूप में हमारी योजना है कि उसको बनाएं। दिल्ली में बार–बार 10 साल में केवल एक ही आरोप लगता था। दिल्ली में 10 साल में एक ही आरोप लगता था कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा, हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा। किसी ने इस बात की चिंता नहीं करी कि हम अपना वाटर लॉस तो कम करें। हम वो दूसरी सरकार के ऊपर में दोष देते रहे, अपनी जो गलतियां है उसके लिए हमने कोई काम नहीं किया। आज मैं यहां पर सदन में जो मुझको जिम्मेदारी दी है, मैं बहुत आधिकारिक रूप से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली को पर्याप्त पानी मिलता है। हरियाणा पर्याप्त पानी देता है। यह जल बोर्ड की कमियां है। यह हमारी सरकारों की कमियां रही कि हम अपने वाटर लॉस को कम नहीं कर पाए। अगर 40 प्रतिशत जो हमारा लॉस है उसको कम करके अगर हम 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत पर ले आएंगे तो सारी दिल्ली को पानी की आपूर्ति हो जाएगी। इसके ऊपर में हम काम कर रहे हैं। मगर ये सारे काम 5 महीने में नहीं होने वाले और मैं यहां पर प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आने के बाद में एक–एक दर्जन बैठक कर चुके हैं कि दिल्ली में पानी कैसे सुधार किया जाए कि दिल्ली में कहीं से पानी की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। एक और बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे उनकी क्षमता को बढ़ाना था। अब एक ये हमारा चंद्रावल का प्रोजेक्ट चल रहा है जायका फंडेड और उसी के साथ में वजीराबाद में वहां पर एडीबी फंडेड वो लगभग पास हो गया था, अप्रूवल हो गया था, सारी चीजें तैयार हो गई थी। उस समय के जो जल मंत्री थे वो वहां पर जाकर दौरा करते हैं कि नहीं ये टंकी ऐसे नहीं बननी चाहिए और ये तो वर्टिकल बननी चाहिए। तो जब वो गए वहां पर तो एडीबी ने क्योंकि उनका फंड आना

था। उन्होंने सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल किया और हमको यह भी पता लगा कि वह वाली सरकार ने एडीबी जो बाहर की एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनसे 6 प्रतिशत की कमीशन मांगी और उन्होंने मना किया कि हम ऐसी सरकार के साथ में काम नहीं करना चाहते और उन्होंने और उन्होंने और उन्होंने अपने को विदड्रॉ किया। उन्होंने अपने को विदड्रॉ किया और उन्होंने अपने आप को विदड्रॉ किया इतने 2013 में, 2013 में.....

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः फिर जब आप बोलते हैं वो बोलेंगे फिर फिर मैं रोकूंगा कैसे बताओ आप? अब कैसे रोकूंगा मैं? जब आप बोलती हैं, जब आप बोलेंगे फिर वो बोलेंगे फिर मैं रोक नहीं पाऊंगा उन्हें भी कैसे रोकूंगा बताइए, आप आप हर एक मिनट में खड़े हो रहे हैं । अरे आप अपनी बारी में बोलना।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः आप अपना आर्गुमेंट देना, वो अपना आर्गुममेंट दे रहे हैं, आर्गुममेंट आप आर्गुमेंट अपना देना मतलब आप शोर मचा के आर्गुमेंट को रोकेंगें? क्या ऐसे डिबेट होती है? मतलब फिर जब वह बोलेंगे फिर मैं रोकूंगा? मैं नहीं रोक पाऊंगा। कल ही मैंने बोला था आप अपना विषय रखो, सत्तारूढ़ दल अपना रखें। आर्गुमेंट है, करिए आप। बैठिए। बैठिए आप, बैठिए आप। आप तो हर किसी के बारे में बोलेंगे। कोई भी बोलेगा उसको ही रोकेंगे। आपकी तारीफ करनी शुरू कर दें क्या, क्या चाहतो हो आप? यह डायरेक्शन दूं कि सिर्फ इनकी तारीफ करो और कुछ मत बोलना आप इनके बारे में। ठीक है।

माननीय जल मंत्रीः अध्यक्ष जी इस बात का।

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइये।

माननीय जल मंत्रीः अध्यक्ष जी इस बात का, अध्यक्ष जी इस बात का

इस बात का।

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए। आप मजबूर करते हैं कि चेयर से कारवाई हो।

बहुत दुख की बात है। आप मजबूर करते हैं। बैठ जाइए। बैठ जाइए।

बैठिए आप। नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे? तो फिर मैंने कहा ना आपने कहा नहीं, बैठ जाइए। बैठ जाइए। बैठ जाइए। बैठ जाइए। बैठ जाइए। चलिए बैठ जाइए। धन्यवाद। शुरू करिए मंत्री जी और थोड़ा इसको शॉर्ट कर लीजिए, कृपया।

माननीय जल मंत्रीः अध्यक्ष जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि चार दिन से देख रहे हैं कि ये हर बात के ऊपर में खड़े हो जाते हैं। सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं, दिल्ली का समय बर्बाद कर रहे हैं। यहां पर सारे सदस्य, यहां पे सारे सदस्य, सारे सदस्य अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने आते हैं। मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई सदस्य खड़ा होता है उसको वार्निंग देने के बाद में पूरे सेशन के लिए आपको बाहर कर देना चाहिए। अगर यह बार–बार सदन।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः अगर आप, देखिए शांति बनाए रखिए, वक्तव्य को समाप्त होने दीजिए। बैठिए आप।

....व्यवधान.....

माननीय जल मंत्रीः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मगर ।

माननीय अध्यक्षः अच्छा जो जो वाकई जाना चाहता है, वो वैसे ही स्लिप भेज दे। मैं उसको वैसे ही कह दूंगा चला जा। मतलब शोर मचा के, अब वैसे ही बिना शोर मचाए भेज दूंगा बाहर।

....व्यवधान.....

माननीय जल मंत्रीः अध्यक्ष जी, मुझे दिल्ली की जनता को यह बात बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 20 फरवरी को हमारी सरकार बनती है। 20 फरवरी को हमारी सरकार बनती है और एक हफ्ते के अंदर ही वो एडीबी बैंक जो यहां से छोड़कर चला गया था सारा काम, उसने

हमारी सरकार को अप्रोच किया कि हम आपके साथ में काम करना चाहते हैं। ये हमारी सरकार क्योंकि उनको मालूम है काम हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। तो यह जो 10 साल से सारे प्रोजेक्ट दिल्ली में अटके पड़े थे आज वह सारे प्रोजेक्ट हमने उनको शुरू करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत, देखो पानी सीवर तो हम जो है किसी का नहीं रोकेंगे, पानी सीवर तो आपको भी मिलेगा, पानी सीवर तो आपको भी मिलेगा 70 विधानसभाओं को।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठ जाओ। अभी और बड़े मुद्दे आएंगे बोलने के लिए आपके। बैठ जाओ आप। क्यों सारी एनर्जी यहीं पे लगा रहे हो। चलो आगे चलो।

माननीय जल मंत्रीः देखिये जो आपको काम नहीं करने देते थे, आपको फंड नहीं देते थे वो यहां पर नहीं है इससे ज्यादा खुशी की आपके लिए क्या बात हो सकती है। हमारी सरकार आपका सहयोग करने के लिए तैयार है क्योंकि आपकी विधानसभाओं में हमारी भी पार्टी के निगम पार्षद हैं, क्योंकि आपकी विधानसभाओं में दिल्ली वासी हैं। हम इतना झूठ नहीं बोलते कि हरियाणा ने जहर मिला दिया, कि दिल्ली में जो यमुना में जहर आएगा वह केवल आम आदमी पार्टी वालों के घर में जाएगा, बीजेपी वालों के घर में नहीं जाएगा, ऐसा झूठ नहीं बोलते। पानी जो आएगा उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता है। पानी जो भगवान देगा उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होगा। हम यह पहचान नहीं करते कि आम आदमी पार्टी वालों के घरों में नहीं देंगे, बीजेपी वालों के घर में देंगे, ऐसा पहचान नहीं करते। सभी के काम होंगे। और मैं जितेंद्र महाजन जी का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस विषय को उठाया। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। हमने अभी पिछले 5 महीने में ही दिल्ली में 15 कि. मी. नई लाइनें जिस एरिया में लाइन ही नहीं थी बिल्कुल भी 15 कि.मी. नई लाइन डालने का काम किया है। जिस एरिया में लाइन थी टूट गई थी ऐसे हमने 58 किलोमीटर उस लाइन को चेंज करने का काम किया है। हमने कोटला विहार, फेज़ वन नांगलोई में फेज टू में और आकाश विहार में प्रताप विहार, सत्यम विहार, ये सारे क्षेत्रों में हमने पानी के काम को कमीशन किया है। तो बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और मैं सारे सदस्यों को यह बात कहना चाहता हूं

कि आप हमारा सहयोग कीजिए। दिल्ली को जिन कामों की सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे वह पानी की बात है, चाहे वह सीवर लाइन की बात है, चाहे वह अच्छी सड़कें बनाने की बात है, यह रेखा सरकार सारे कामों को जल्दी से जल्दी करेगी।

माननीय अध्यक्ष : धन्यवाद। अब माननीय मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह अपने विभाग से संबंधित कार्य सूची के बिंदु क्रमांक दो के उप बिंदु एक में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री (डॉ. पंकज कुमार सिंह) : अध्यक्ष महोदय मैं कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 02 के उप बिंदु 01 के दर्शाए गए दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद।

''वर्ष 2021–22 के लिए जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड की 14वीं वार्षिक रिपोर्ट (हिंदी और अंग्रेजी प्रति)'' [1]

माननीय अध्यक्ष : अब श्री आशीष सूद माननीय उच्च शिक्षा मंत्री अपने विभाग से संबंधित कार्य सूची के बिंदु क्रमांक दो के उप बिंदु दो में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री (श्री आशीष सूद) : माननीय अध्यक्ष जी मैं कार्य सूची के बिंदु क्रमांक दो के उप बिंदु एक से तीन में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूं।

क) गुरू गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 हेतु वार्षिक लेखे (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति) ।[2]

ख) गुरू गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति) ।[3]

---

[1] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–23417 पर उपलब्ध।
[2] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–23418 पर उपलब्ध।

[3] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–23419 पर उपलब्ध।

ग) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के वर्ष 2021–22 हेतु पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित वार्षिक लेखा (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति) ।[4]

माननीय अध्यक्ष : अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 4 अगस्त 2025 को प्रस्तुत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा होगी। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने वक्तव्यों को प्रतिवेदनों की विषय वस्तु तक सीमित रखें और समय का भी ध्यान रखें। चर्चा में भाग लेंगे, माननीय सदस्य श्री अनिल गोयल।

सी.ए.जी. रिपोर्ट (भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण) पर चर्चा

डॉ अनिल गोयल : माननीय अध्यक्ष जी, सीएजी रिपोर्ट जो welfare of building and construction worker के बारे में आई है उस पर बोलने के लिए अनुमति दी, आपको धन्यवाद देता हूं और दिल्ली में एक ऐसी आपदा सरकार आई अध्यक्ष जी जो आम आदमी के नाम पर आई और नाम भी रखा....

माननीय अध्यक्ष : चलिए एक बार पहले डॉक्टर अनिल जी के लिए ताली बजाए वो अपने पेपर भी उसमें डाल के लाए हैं।

डॉ अनिल गोयल : थैंक यू अध्यक्ष जी। जो आम आदमी के आप नाम पर आई।

माननीय अध्यक्ष : भई जोरदार ताली बजाए ये तो सबके लिए है, धन्यवाद। सबका एप्रिसिएशन होगा एक एक बारी, ऐसे उसकी क्या बात है।

डॉ अनिल गोयल : और उस पार्टी ने क्या किया कंस्ट्रक्शन वर्कर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे वो एक गरीब तबका था। उनके गरीब कल्याण की जो योजनाएं थी उनको ठीक प्रकार से लागू नहीं किया। और ये उस का चाल और चरित्र बताता है। मुझे लगता है एक कॉनमैन का चाल चरित्र होता है वो कहता है पीतल को सोना बना दूंगा। आंख बंद करके लोगों

---

[4] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–23420 पर उपलब्ध।

ने विश्वास भी किया लेकिन सोना तो नहीं बना लेकिन लोहा जरूर बन गया। लंदन तो नहीं बना दिल्ली। दिल्ली दिल्ली भी नहीं रही। हर जगह सड़क, सीवर, पानी की समस्या है। गरीब बस्तियों तक में सीवर नहीं, शौचालय नहीं, ऐसी स्थिति यह सरकार लाई और यह सीएजी रिपोर्ट चीख–चीख कर यह बता रही है कि जिन लोगों ने इस पार्टी को बोर्ड दिया उसी आम आदमी के लिए उसी वर्कर के लिए जो करना था। जबकि केंद्र सरकार ने भी पैसा दिया, उसके लिए कुछ नहीं किया। और यह हर पन्ना बता रहा है उस नाकामी को, उस सरकार के नाकारापन को, उसके लूट और झूठ को, जो दिल्ली के गरीब वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर के खिलाफ हुआ। आज मैं दिल्ली के उन लाखों निर्माण श्रमिकों की बात रखूंगा जो इस शहर की नींव है। वो मेहनतकश लोग जो पसीने से दिल्ली की ऊंची इमारतें खड़ी करते हैं। सड़कें चमकाते हैं और हमारा जीवन चलाते हैं। लेकिन इन श्रमिकों को सिर्फ वादे वादे और वादे मिले। 2019 से 2023 तक पिछली सरकार की नाकामियां यह सीएजी रिपोर्ट बताती है कि केवल 7.3 परसेंट करीब 6.8 लाख रजिस्टर्ड श्रमिक हैं। जिनमें वो वेलफेयर मेजर देने के लिए वेलफेयर बोर्ड में 7.3 परसेंट पंजीकृत श्रमिक थे सब और उनका नवीनीकरण हुआ। जबकि नेशनल एवरेज है 74 परसेंट। यह नाकामी का भरपूर सबूत है। यह बैड गवर्नेंस कुशासन का सबूत है। 1.96 लाख का ही डाटाबेस उपलब्ध है और इसमें भी डुप्लीकेसी है। इन तस्वीरों की जांच की गई तो 2. 38 लाख तस्वीरों में 1.19 लाख ही ठीक है। एक आदमी की कई तस्वीरें, बिना आधार के पंजीकरण, डुप्लीकेट रिकॉर्ड यह आईटी सिस्टम यह आम आदमी पार्टी की विफलता और लापरवाही को दिखाता है। अब यहां 17 कल्याणकारी योजनाएं जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में चलती हैं। उनमें 12 में ही कुछ लाभ दिए गए। अब आप सोचिए जिनमें लाभ नहीं दिए गए वह कौन सी थी गर्भवती महिलाएं उनको वित्तीय सहायता मिलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो नहीं दिया गया, घर जो कहते हैं कि साहब ये भाजपा वाले घर उजाड़ रहे हैं उनके घर खरीदने के लिए उपकरण के लिए ऋण नहीं दिया कुछ नहीं दिया गया जबकि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जहां झुग्गी है सम्मान के साथ उसको घर मिलेगा ऐसा हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। केंद्र सरकार ने कहा था 10 लाख रूपये दुर्घटना में मुआवजा देना चाहिए, लेकिन पिछली सरकार ने इसको सिर्फ दो लाख पर ही अटका कर रखा है। सबसे बड़ी बात किसी की भी होती है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, घर की, आयुष्मान भारत

योजना के तहत श्रमिकों को कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला। यह क्या मजाक है ये मैं जानना चाहता हूं। अब एक होता है स्किल बिल्डिंग। 2019–20 में स्किल बिल्डिंग सिर्फ 39 परसेंट को मिला और उसके बाद कुछ नहीं। जबकि साउथ और नॉर्थ वेस्ट में 2019 से 2023 तक निजी प्रतिष्ठान जो रजिस्टर्ड हैं सरकार के उन्होंने कर भी जमा कर रहे हैं, वो भी रजिस्टर नहीं किए गए, तो उनके जो कार्यकर्ता थे जो कर्मचारी थे वो निश्चित रूप से उनको भी कोई लाभ नहीं मिला। दिल्ली फायर सर्विस की वेबसाइट पर 25 निर्माण प्रतिष्ठान अपंजीकृत रह गए। केंद्र सरकार ने 2018 में ट्रांजिट आवास, राष्ट्रीय आश्रय, मोबाइल शौचालय, श्रमिक शेड बनाने की सलाह दी थी। लेकिन कुछ नहीं किया गया। जो कल्याण निधि थी वो धूल फांकती रह गई। श्रमिकों को ना बीमा मिला, ना पेंशन मिला, ना कोई अन्य लाभ मिले। ये बड़े–बड़े वादे थे, लेकिन जमीन पर शून्य था। अब शिक्षा क्रांति की मैं बात पर आता हूं। आपकी शिक्षा क्रांति निर्माण श्रमिकों के 58998 बच्चों की शिक्षा के लिए 2018–19 और 19–20 के दौरान 46 करोड़ की वित्तीय सहायता मार्च 2022 में जारी की गई जबकि जरूरत है 2018–19, 20–21 में, जारी की गई 22 में अब आप सोचिए कि उस दौरान उन्होंने किस तरह लोन लिया होगा किस तरह उन बच्चों की शिक्षा हुई होगी और उसके बाद के लाभों का भुगतान सितंबर 2023 तक नहीं किया गया। विभिन्न योजनाओं से संबंधित 4017 आवेदन मिले जिसमें सिर्फ 134 का निपटान हुआ और वो भी कितने दिनों में 1423 दिन। मतलब करीब एक साल और इसके अलावा 2019–20 के बाद कोई प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया केवल केवल 350। तो ना शिक्षित किया, ना सुशिक्षित किया, ना कौशल विकास किया, ना घर दिया। ये सीएजी रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है वेलफेयर बोर्ड जून 2019 में केंद्र के निर्देशन के क्रियान्वयन को, ये जिसमें आकस्मिक मृत्यु के मामले में 4 लाख और मृत्यु में 2 लाख, लेकिन इसको भी लागू नहीं किया गया। अब एक और बड़ी बात है कि एक सैस कलेक्शन जो है उपकर संग्रह जो कर कलेक्शन हुआ 204. 9 करोड़ उसमें और जिला रिकॉर्ड और बोर्ड के रिकॉर्ड के बीच में 204 करोड़ का अंतर है। मतलब ये statistics भी नहीं कर पा रहे,

(समय की घंटी)

डॉ अनिल गोयल : ऊपर से लेकिन massive unspent fund है और 9.5 परसेंट से 11.5 परसेंट रिसीट एक्सेप्ट 2021–22 जो कोविड था वो अनयूज्ड रह गई मतलब पैसा है लेकिन उनको खर्च भी नहीं किया कि वो खर्च करने के लिए क्षमता चाहिए, उसमें मेहनत चाहिए, ये तो शायद चुनाव के लिए ही ये पार्टी आई सिर्फ चुनाव के लिए।

माननीय अध्यक्ष : चलिए धन्यवाद जी।

डॉ अनिल गोयल : सर ये कंक्लूड करूंगा सर वो अब आदरणीय अध्यक्ष जी ये आंकड़े हैं उन मेहनतकश की चीख हैं जो रोज उस उम्मीद पर काम में जाते हैं जिनको दिया गया कि विश्व स्तरीय दिल्ली का नारा, लेकिन अब समय बदल चुका है हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार ने श्रमिक कल्याण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल किया है डिजिटल मंच शुरू किया है डाटा सुरक्षित करने को किया है 17 कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए किया है गर्भवती महिलाओं को सहायता बच्चों को शिक्षा ये पूरी दिल्ली अब जानती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा हर श्रमिक को कौशल प्रशिक्षण देंगे सिर्फ वह मेहनत करें। कल्याण निधि का सहयोग भी एक सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी रेखा गुप्ता जी की सरकार आज ढाल बन गई है। यह दिल्ली की जनता कह रही है। यह अब नहीं रुकेगी। हक पूरा करेगी। यह सीएजी रिपोर्ट बताती है आपके खोखले वादे, वादा खिलाफी, झूठ कुशासन को बताती है। मैं इस विधानसभा से अपील करता हूं कि हम सब मिलकर इन श्रमिकों के लिए नई सुबह जरूर लाएंगे। माननीय रेखा गुप्ता जी की नेतृत्व में यह समय कर्म का है मेहनतकशों के साथ खड़े होने का, जिन्होंने दिल्ली में इस सरकार को बनाया है। बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुलदीप सोलंकी जी।

श्री कुलदीप सोलंकी : धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे सीएजी रिपोर्ट पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी एक श्रमिक बोर्ड 1996 में यह बना और 2002 में लागू हुआ। जिस शहर के निर्माण में एक श्रमिक अपना मन लगाता है, तन लगाता है, सुंदर बनाने का काम करता है। लेकिन पिछली सरकारों के कुछ ऐसे कारनामे रहे हैं। अब जो मुझे लगता है कि वो पहले ही कुछ सोच के आए थे कि हमने तो किस–किस को लूटना है, किस–किस

को क्या–क्या करना है। आंकड़े बहुत हैं। सबके पास आए हैं। एक ऐसी चीज़ मेरे सामने आई के छोटी सी एक कहानी के रूप में मैं बता देता हूं इस बात को लेके। एक मध्यम परिवार का बच्चा रिपोर्ट तो यह 2019 की और 2023 के बीच की है। लेकिन यह स्क्रिप्ट तो 2015–16 में लिख दी गई थी जब ये सरकार बनी। एक 20 साल का बच्चा पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ और उसकी मां पीजीटी टीचर अचानक ही उसके जीवन में एक बदलाव आता है। पक्का मकान है सारी चीजें हैं, बदलाव आता है और वो एक लेबर बन जाता है जी, उसका कार्ड बन जाता है लेबर का। लेबर कार्ड बनने के बाद वो हर चीज का फायदा उठाता है क्योंकि उसने किसी पार्टी का झंडा उठाया होता है। कैग की रिपोर्ट में बहुत कुछ मिलेगा। महोदय इस रिपोर्ट में दक्षिणी दिल्ली उत्तर पश्चिमी का डाटा लिया गया है। मैंने ये उदाहरण दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली का दिया है, अपने क्षेत्र का दिया है। और यह बच्चा जो है आज जवान भी हो चुका है और मेरी विधानसभा में रहता है। 2016 के के टाइम पे ही केजरीवाल जी ने शपथ ले ली थी कि अगले दिन से दिल्ली में भ्रष्टाचार की नींव रख दी थी। इसके बाद यह बच्चा श्रमिक बोर्ड के उस फर्जी रजिस्ट्रेशन से एमसीडी में 1000 रूपये महीने भी लेता रहा। जो भत्ता मिलता है। ऐसे कारनामे इस रिपोर्ट में दिए हैं। इस पूरी कहानी का सार यह है कि श्रमिक बोर्ड और दिल्ली सरकार लेबर डिपार्टमेंट या मैं कहूं तो पूरा सिस्टम ही पहले दिन से ही भ्रष्टाचार में डूब गया था। मेरे साथियों ने सीएजी डाटा के रूप में मेरे पास भी डाटा है। सबके पास डाटा है। उजागर किया है। बोर्ड द्वारा पंजीकृत 7 लाख लाभार्थियों में से 5 लाख फर्जी पाए गए। यह डिटेल है। आपके पास भी है। सबके पास है ये। सरकारी सुविधाएं लेते रहे, लेकिन मैंने एक चीज देखी है। हमने आसपास में भी देखा है कि लेबर कार्ड जिनके बने वह झंडा एक पार्टी का ही उठाते थे आम आदमी पार्टी का। जिन्होंने हॉस्पिटल में भी जाकर फायदा उठाया। सब कुछ किया। लेकिन श्रमिकों को उसका कोई लाभ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से शुरू होने वाली अनिवार्य संस्थाओं का बीमा लाभ से भी गरीबों को वंचित रख दिया गया। श्रमिक स्कूलों में जाने वाले हजारों बच्चों को शिक्षा निधि से वंचित किया गया। बोर्ड में पंजीकृत लाखों श्रमिकों में से 350 को ट्रेनिंग दी गई। कैग रिपोर्ट के उल्लेख और सदन में प्रस्तुत गरीब बच्चों की कहानी से यह साबित होता है। गरीब के नामों पर ठगी की गई। केजरीवाल सरकार ने सबसे ज्यादा दिल्ली के लोगों को ठगा। मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस बोर्ड

या संबंधित विभाग के जिन अधिकारियों ने यह घोटाला किया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और श्रमिक भाइयों को जो धोखा किया उनको 100 बार सोचना चाहिए। मेरा ये निवेदन है ऐसे लोग जिन्होंने मेहनतकश लोगों का हक छीना है उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। धन्यवाद।

मननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय महावर जी।

श्री अजय महावर : धन्यवाद अध्यक्ष जी मैं अपनी बात चार लाइन से शुरू करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : चार लाइन में ही करो बस।

श्री अजय महावर : ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं बोलने में। कम में कर लूंगा मैं।

''सरेआम अपनी ईमानदारी नीलाम करते रहे,

सरेआम अपनी ईमानदारी नीलाम करते रहे,

पिछले 10 वर्षों में ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार ही करते रहे,

इनका भ्रष्टाचार दिन रात बढ़ता रहा,

इनका भ्रष्टाचार दिन रात बढ़ता रहा,

गरीब इंसान बस भूखा मरता रहा, बस भूखा मरता रहा।''

अध्यक्ष जी लोकपाल के नाम पर चुनकर आई हुई ये सरकार जो बड़ी–बड़ी बातें करती थी भ्रष्टाचार की। यह भ्रष्टाचार का पर्याय बनकर रह गई और अनियमितताओं में और भ्रष्टाचार में सीएजी के सारे रिपोर्टों को पढ़ने के बाद इनकी गुनाहों की, इनकी काली करतूतों की जो तस्वीरें सामने आई है, दुनिया के सब रिकॉर्ड इस सरकार ने तोड़ दिए। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने हवा नहीं छोड़ी, पेड़ नहीं छोड़ा, दवा नहीं छोड़ी, दारू नहीं छोड़ी। क्लासरूम का घोटाला गरीब बच्चों का नहीं छोड़ा।

(समय की घंटी)

माननीय अध्यक्ष : आप मुद्दे प बोलिए, मुद्दे पर।

श्री अजय महावर : सीएजी पे ही है। सीएजी पे ही है। गरीब श्रमिकों को इन्होंने नहीं छोड़ा। गरीब श्रमिकों पर तो है अध्यक्ष जी ये। ये इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं मुझे पता नहीं। लूट और झूठ की है ये सरकार। अध्यक्ष जी building and other construction workers के इस मामले में नींव से लेकर छत तक यानी सर से लेकर पांव तक इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। जब नींव की बात आती है तो पंजीकरण होता है। सबसे पहले इन्होंने पंजीकरण में ही घोटाला कर दिया और 97 कंपनी 97 कंपनीज ऐसी थी जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था निजी प्रतिष्ठानों का। यानी कि ये इनके द्वारा क्रिएटेड थी। मिलीभगत थी जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ और उसके हिसाब से यह काम करते रहे। यह पैरा 2.1 में है थर्ड में। सबसे बड़ी बात बहुत सारे लोगों ने कही डाटाबेस का जो फोटो जो है वह ज्यादा डबल डबल यूज़ कर लिया गया नकली रूप से वो तो इनकी आदत रही है लेकिन मैं जो चीज देख रहा था अध्यक्ष जी सबसे बड़ी जो दो तीन बात मुझे समझ में आई साउथ और उत्तर पश्चिम जिले में इनके ही आंकड़ों के अनुसार जो सीएजी ने निकाला है डिस्ट्रिक्ट और बोर्ड के आंकड़ों का अंतर देखिए 2019–20 में डिस्ट्रिक्ट कहता है 56.15 करोड़ यानी 56 करोड़ 15 लाख, बोर्ड कहता है 75.76। 20–21 में जिला कहता है 26.79 करोड़, बोर्ड कहता है 76.02 करोड।़ 2021–22 में 36.55 करोड़ जिला कहता है, बोर्ड कहता है 91.40 करोड़ और 22–23 में तो हद हो गई अध्यक्ष जी जब जिला इनका अभिलेख अनुसार जो उपकर राशि है वह कहता है 39.28 करोड़ और इनका बोर्ड कहता है 120.54 करोड़ यानी 204 करोड़ 95 लाख का सीधा–सीधा घोटाला है ये और ये सीधा–सीधा घोटाला की अगली परत भी साफ–साफ नजर आ रही है। जब इनके पोर्टल में रजिस्ट्रेशन में भी डिफरेंस आ रहा है। यानी कि हर साल पंजीकरण में इनके ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के आंकड़े, एनुअल रिपोर्ट के आंकड़े, बोर्ड के आंकड़े इन्हीं की सरकार के आंकड़ों में फर्क है और फर्क इतना ज्यादा है, कहीं–कहीं तो अगर मैं 2019 की बात करूं 2020 की तो कहीं पर अगर 9171 हैं तो कहीं 25,000 दिखा रहे हैं, कहीं 34,000 दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं इन्होंने अपने सारे पंजीकरण फेक साबित कर रखे हैं अध्यक्ष जी और दुख की बात यह है भारत सरकार उन गरीब मजदूरों के लिए 2019 में 4 लाख दुर्घटना में मृत्यु पर और प्राकृतिक मृत्यु पर 2 लाख की सहायता

स्वीकृत करती है, भारत सरकार करती है। इन्होंने भारत सरकार को धन्यवाद देने की बजाय इन्होंने उसको लागू करने के बजाय आज तक केवल दुर्घटना मृत्यु पर दो लाख और प्राकृतिक मृत्यु पर 1 लाख दे रही है। इनके सीएजी के पैरा 4.2 सेकंड पार्ट में पृष्ठ 42 पर ये उल्लेखित है। यानी कि भारत सरकार जो राशि गरीब मजदूरों के लिए दे रही थी वो भी इस सरकार ने देना उचित नहीं समझा। उनके हक का पैसा मारते रहे। खाली अपनी–अपनी जेबें भरते रहने का काम किया है इन लोगों ने। अध्यक्ष जी, आवासीय सुविधा में भी इन्होंने बीओसीडब्ल्यू कर्मचारियों को जो परागमन आवास देना था, रात्रि आश्रय देना था, यहां तक कि मोबाइल शौचालय और मोबाइल क्रैच जैसी सुविधाएं भी इनको प्रदान करनी थी। पर इनके बोर्ड ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, यह भी सीएजी की रिपोर्ट में उल्लेखित है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के साढ़े 5 वर्ष बाद भी अक्टूबर 2023 तक दिल्ली में बीओसीडब्लू के अधिनियम के कार्यान्वयन की सामाजिक लेखा परीक्षा यानी ऑडिट नहीं की गई। यह बड़ी शर्म की बात है। इन्होंने अपनी सरकार में जितने इस तरह के काले धंधे, गोरख धंधे किए हैं। यह भी अध्याय 5 और 1–ए पृष्ठ–47 पर उल्लेखित है। सुरक्षा और स्वास्थ्य निरीक्षण में इन्होंने लापरवाही की। मतलब लेखा परीक्षा अवधि के दौरान श्रम विभाग या औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा किसी भी निर्माणित स्थलों का कोई निरीक्षण नहीं किया। जबकि यह बीओसीडब्लू अधिनियम 1996 के तहत अनिवार्य था। इसीलिए अध्यक्ष जी मैंने कहा अपनी पीड़ा मैंने इसलिए जाहिर की कि यह लूट और झूठ की फर्जी सरकार ने फर्जी एडमिशन किए, फर्जी स्टूडेंट्स की भर्ती करी और फर्जी बीएसी वर्कर के साथ रजिस्ट्रेशन किया, फर्जी प्रतिष्ठान बनाए और इसी प्रकार से इन्होंने फर्जी लेनदेन करके अपनी जेबें भरने का काम किया है।

(समय की घंटी)

श्री अजय महावरः अध्यक्ष जी, एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूं। चंद सिक्कों के खातिर आपने अपना ईमान बेच दिया और गरीब श्रमिकों की आड़ में अपनी सिर्फ रोटी सेंक लिया यही काम आपने किया है, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री विरेन्द्र कादियान जी।

श्री विरेन्द्र सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, जो ये रिपोर्ट पेश की गई है इस रिपोर्ट के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं ये सबसे बड़ी ज्यादा तादाद में अन–ऑर्गनाइज सेक्टर है और दिल्ली की सरकार ने पिछले 11 वर्षों में इनके लिए जो किया आज तक किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। और यह जो रिपोर्ट है यह 19, अब ये एक पैराग्राफ पढ़ के आते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार कर लिया, ये सरकार भ्रष्टाचारी थी पांच एक लाइन का पैराग्राफ है, सारे वही पहले पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर ही मैं कहना चाहूंगा। ये 2019–20 की और 2022–23 तक की रिपोर्ट है। सब लोग जानते हैं कि 19–20 में, 2020 में कोरोना की महामारी आई। इस कोरोना की महामारी में जो लोग दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्कर और अन्य वर्कर थे क्योंकि हमारे दिल्ली में पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं और यहां पर रहते हैं और उस समय अधिकतर लोग यहां से वापस अपने गांव चले गए। कोई बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में अपने–अपने गांव में चले गए। और उस दौरान अरविंद केजरीवाल जी की एक ऐसी सरकार थी पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने 5–5 हजार रुपया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, टैक्सी ड्राइवर्स को, लेबर्स को 5–5 हजार रुपये की राशि दी सबसे पहले और फिर दोबारा से उनको लगा ये 5–5 हजार रुपये में गुजारा नहीं हो पाएगा, दोबारा से 5–5 हजार रुपये दिए। दो बार 5–5 हजार रुपये दिए केजरीवाल जी ने कंस्ट्रक्शन वर्कर की सहायता के लिए और ऐसे समय में जब केंद्र की सरकार ने मजबूर कर दिया उनको दिल्ली छोड़ने के लिए। पैदल जा रहे थे, ट्रेनें नहीं मिल रही थी, जहाज नहीं मिल रहे थे तब उन्होंने 10–10 हजार रुपये की सहायता राशि दी और यह कह रहे हैं भ्रष्टाचार कर दिया। अगर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को उनको राहत देना कोविड के दौरान अगर भ्रष्टाचार है तो इसको साबित करिए। मैं यह कहना चाहूंगा इसी रिपोर्ट के माध्यम से। इसमें लिखा गया है कि इसमें एक पैराग्राफ है महोदय जी। इसमें छठे पेज पर इसमें लिखा benefits were given only on the 12 out of 17 schemes यह मानती है, रिपोर्ट कहती है कि 12 स्कीमों में सरकार ने सहायता दी 17 में से। अब वो 5 कौन–सी कौन–सी बच गई। वो 5 स्कीमें बच गई। उसमें लिखा है कि that were known to purchase of work related tools, grant for purchase of work related tools, insurance policy अध्यक्ष महोदय, जब

यहां पर लोग थे ही नहीं 3 साल। लोग यहां से अपने–अपने गांव चले गए थे। सारे काम–धंधे बंद थे। गाड़ियां तक बंद थी। बाहर निकलना तक बंद था। उस दौरान पर कौन घर खरीदेगा, कौन लोन लेगा। ये पांच है, ये पांच चीजें हैं जो उस टाइम हो ही नहीं सकती थी। यह इन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा है। अगला लिखा है, इन्होंने ये माना है कि financial assistance for education of children of construction workers 2018-19, 2019-20 46.8 करोड़ रुपया दिया जो 58,998 स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली के शिक्षा विभाग को दिल्ली की सरकार ने इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए दिया, यह इस रिपोर्ट में लिखा है। इसमें आगे लिखा है कि . .

(समय की घंटी)

श्री विरेन्द्र सिंह कादियानः महोदय इसमें लिखा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वो चीजें थी ही नहीं लागू दिल्ली में। तो कहां से ये आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन योजना आ गई जब दिल्ली में लागू ही नहीं थी उस समय पे। तो ये मुझे लगता है फालतू की एक पैराग्राफ लिख दिया इसमें। मैं आगे–आगे कहना चाहता हूं कि आज भी यह आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत की योजना की बातें हो रही हैं, 70 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए सिर्फ लागू हुई है। किसी हमारी विधानसभा में मुश्किल से 150–200 लोगों को वो है। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं....

माननीय अध्यक्षः आप अपने मुद्दे पर बात करो न।

श्री विरेन्द्र सिंह कादियानः नहीं इसमें लिखा है, अध्यक्ष जी इसमें, रिपोर्ट में लिखा है। मैं नहीं कह रहा।

माननीय अध्यक्षः कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात..

श्री विरेन्द्र सिंह कादियानः कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए लिखा है आयुष्मान भारत मैंने नहीं लिखी है इसमें। तो इसके माध्यम से यह सबके लिए लागू होनी चाहिए थी। आज भी लागू होनी चाहिए थी। 70 साल से ऊपर की क्यों की। लोग हमारे दफ्तरों में आते हैं कहते हैं जी

रजिस्ट्रेशन करा दो मैं कहता हूं 70 साल से ऊपर का है, बोले 70 साल का तो है नहीं जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोविड के दौरान जब लोग अपने दिल्ली को छोड़ के अपने–अपने गांव में चले गए थे उस दौरान की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में जो डाटा दिखाए गए यह डाटा भी अप्रूव करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए काम किया, उनकी शिक्षा के लिए काम किया, उनके स्वास्थ्य के लिए काम किया, उनको राशन दिया। उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने दी। जो ये रिपोर्ट है ये खुद साक्षी है इस बात की और ये बिना पढ़े खाली 5–7 लाइन कि भई ये जो अरविंद केजरीवाल सरकार थी 11 साल भ्रष्टाचार ही करती रही। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से जानी जाती है महोदय।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद जी चलिए धन्यवाद।

श्री विरेन्द्र सिंह कादियानः तो ये रिपोर्ट जो है...

माननीय अध्यक्षः ये माइक जब तक मैं न कहूं तब तक बंद नहीं करना। मैं धन्यवाद कह रहा हूं इसका मतलब यह नहीं आप बंद कर दोगे। ठीक है जी बैठिए। माननीय सदस्य श्रीमती पूनम शर्मा जी।

श्रीमती पूनम शर्माः धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आज इस सदन में दिल्ली के हजारों मेहनतकश मजदूर के परिवारों की आवाज बनकर खड़ी हूं। दिल्ली में मजदूरों ने सड़कें बनाई, पुल बनाए, इमारतें बनाई लेकिन अफसोस पिछली सरकारों ने हॉस्पिटल, सड़कें, शराब, शिक्षा उन्हें जहां–जहां मौका मिला वहीं घोटाला कर दिया और सबसे बड़ी बात कि जो दिल्ली के मेहनत करने वाले श्रमिक मेरे भाई मजदूरों के साथ भी इन्होंने पीछे नहीं रहे उनके साथ भी इन्होंने इतना बड़ा मजाक किया और उन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। मैं अभी मेरे बड़े भाई साहब बोल रहे थे कि कोरोना काल के दौरान, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि उस टाइम पर घर से बाहर तो कोई नहीं था पर टीवी तो सभी लोग देख रहे थे। टीवी के अंदर बड़ी–बड़ी हेडलाइन आती थी कि दिल्ली का जो मुखिया कहता था कि मैं दिल्ली का बेटा हूं। उस बेटे की जिम्मेदारी बनती थी कि जितने भी श्रमिक भाई हैं और बहनें हैं उनकी जिम्मेदारी उनकी

थी। उनकी जिम्मेदारी उन्होंने क्या दिखाई कि दिल्ली से उन्होंने आनंद पर्वत का बस स्टैंड दिखाया कि यहां से बैठ के आप लोग अपने–अपने गांव को रवाना हो जाइए। उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके परिवार का पालन–पोषण करना, उनको अच्छी दवाइयां देना, उनको खाना देना यह दिल्ली सरकार का काम था। मगर दिल्ली सरकार के जो कहते थे कि मैं मुखिया हूं इसका, मैं बेटा हूं वह अपना शीश महल बनाने में बिजी था। उनको किसी मेहनत और श्रमिक भाइयों की कोई नहीं पड़ी थी। और उस दौरान भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भाई यहां पे हड़कंप में गए थे, दिल्ली छोड़ के गए थे। कोरोना काल में कितने परिवार उस कोरोना काल में खत्म हो गए थे। मैं आप सब ये झूठी बात ना फैलाओ कि भई यहां से उनको निकाल वो अपने–अपने गांव रवाना, गांव रवाना कोई नहीं हुआ था। आप लोगों ने उन लोगों को जबरदस्ती उनके गांव का रास्ता दिखाया था। और सीएजी रिपोर्ट में खास खुलासा हुआ है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड जिसमें मजदूरों के हक का पैसा जमा होता है उसको 1900 करोड़ से ज्यादा धन 2010–2018 के बीच आया। लेकिन 90 परसेंट से ज्यादा पैसा मजदूरों तक कभी नहीं पहुंचा। 7 लाख से ज्यादा फर्जी पंजीकरण किए गए। जरा सोचिए, मजदूरों के नाम पर बोर्ड भी लिया और उनके साथ घोटाला भी कर दिया। छात्रवृत्ति योजना जो मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई का सहारा बननी चाहिए थी उसमें भी 60 परसेंट राशि खर्च नहीं की गई। यानी बच्चों के भविष्य भी लापरवाही की भेंट चढ़ा दिए। वजीरपुर जैसे इलाके में आज भी कई मजदूर ऐसे हैं जिनके पास ना पेंशन है, ना इलाज की सुविधा है, ना बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और जब मजदूरों ने आवाज उठाई तो उन्हें झूठे वादों और जुमलों में बहलाया गया। झूठे वादे भी क्या कि आपके लिए बिजली फ्री है, आपके लिए पानी फ्री है। आज भी लोग मैं कहना चाहूंगी कि 200–200 रुपये का पानी खरीद के पी रहे थे आज से 6 महीने पहले, यह तो माननीय हमारे जल मंत्री भाई परवेश वर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि 6 महीने से उनको पानी खरीद के नहीं पीना पड़ रहा है और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह श्रमिकों के खून पसीने की कमाई की लूट है और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इस लूट पर वर्षों तक चुप्पी बनी रही। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आज की सरकार ने मजदूरों की पहचान और पंजीकरण और लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया है और वजीरपुर में हमारे हजारों श्रमिक भाई बहनों का

रजिस्ट्रेशन करवाया है और डीबीटी के जरिए सीधे उनके खातों में पैसा पहुंचाया जा रहा है। मैं इस सदन से आग्रह करती हूं कि सीएजी की रिपोर्ट में जो उजागर हुआ है धोखाधड़ी हुई है उसकी गहराई से जांच हो और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मैं हर उस मजदूर को यह भरोसा दिलाती हूं कि अब आपकी मेहनत का कोई हक नहीं छीन सकता। अब आपका पसीना राजनीति का शिकार नहीं बनेगा। अब आपकी आवाज माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी तक पहुंच चुकी है क्योंकि वह दिल्ली की एक बेटी भी है और बहन भी है।

(समय की घंटी)

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

श्रीमती पूनम शर्माः तो यह बहन का कर्तव्य बनता है कि अपने भाई बहनों के साथ रहे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्रीमती नीलम पहलवान जी।

श्रीमती नीलम पहलवानः माननीय अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कल्याण से जुड़ा नवीनतम सीएजी रिपोर्ट जिसमें वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के संदर्भ में अपने विचार रखना चाहूंगी। पंजीकरण और डाटा की विश्वसनीयता में अंतर जो पिछली सरकार और अब सीएजी की रिपोर्ट में उजागर हुआ है। वह है बोर्ड ने कुल 6.96 लाख निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया था। लेकिन 1.98 लाख श्रमिकों का ही डाटा उपलब्ध हुआ बाकी डाटा की कोई जानकारी नहीं है। तथा इनमें से भी 1.19 लाख श्रमिकों के फोटो का एक से अधिक प्रयोग करके 2.38 लाख रजिस्ट्रेशन दिखाया जो कि भ्रष्ट केजरीवाल सरकार की लूट व धोखे देने की मंशा को स्पष्ट करता है। पंजीकरण और नवीनीकरण दर की बातें करें तो यहां भी कोई कमी नहीं दिखाते हुए केजरीवाल सरकार अपनी धांधली का प्रदर्शन करते हुए मात्र 7.3 परसेंट श्रमिकों का पंजीकरण वर्ष 2019–23 तक कर सकी। जबकि देश में यह दर 74 परसेंट है। कल्याण निधियों में कमी का आंकड़ा हम बात करें तो 3.579 करोड़ से अधिक का निर्माण सेस एकत्रित हुआ था। जबकि केवल 11.3 परसेंट तक ही खर्च किया गया तथा बाकी राशि से केजरीवाल नीति पर लुटाते हुए भ्रष्ट होने की सारी हदें पार कर दी। कुल 17 कल्याण योजनाओं में से

केवल 12 लागू की गई। मातृत्व और सहायता आवास, ऋण उपकार खरीद, जीवन बीमा जैसी 5 महत्वाकांक्षी योजनाओं में कोई खर्च नहीं किया गया जो कि पूर्ण रूप से केजरीवाल से अधिकारियों की सांठगांठ प्रदर्शित करता है। लाभ वितरण में देरी और शैक्षिक सहायता में विलंब का जो आंकड़ा है वह सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट दिखता है कि लगभग 46.08 करोड़ जो 58,998 बच्चों की शिक्षा के लिए 2018–19 और 2019–20 में खर्च होने थे वह राशि उस समय न देकर मार्च 2022 में जारी किए गए तथा अन्य सहायता योजनाओं में 1423 दिनों तक की लंबित प्रक्रिया का पता चला। यह श्रमिक समाज की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है तो क्या है। सेस संग्रहण में भी बात करें तो गंभीर विसंगति जिले और बोर्ड में 2004.95 करोड़ तक का डाटा असंगत होने पर केजरीवाल सरकार निशब्द होकर अपनी नाकामियों को छुपाने का प्रयास करता है। बुनियादी सुविधाओं से श्रमिकों को वंचित रखा गया। कार्य स्थानों पर श्रम निरीक्षण नहीं किए गए। यात्रा, आवास, मोबाइल शौचालय, क्रेच की कोई व्यवस्था नहीं की गई। 2019–20 के बाद श्रमिकों को प्रशिक्षण भी नहीं मिला। अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा के बजाय केवल 10,000 तक की चिकित्सा सहायता दी गई। मैं आपसे एक बात और रखना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय जी। जो सीएजी की रिपोर्ट है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रमिकों को हम मजदूर नहीं सृजनकर्ता मानते हैं। मोदी जी उनके साथ बैठकर भोजन करके उनको व उनके परिवारों को बेहतर जीवन मिले इसके लिए कार्य करते हैं। सीएजी की रिपोर्ट स्पष्ट बताती है कि जहां पूरे देश के श्रमिकों का बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर से जुड़ने की दर 74 परसेंट है वहीं दिल्ली में यह दर 13.7 परसेंट है। निर्माण कार्य की लागत का 1 परसेंट श्रमिकों के विकास हेतु बोर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर में जाना होता है। जिससे लगभग 5899 करोड़ जाना चाहिए था, वह मात्र 46.8 करोड़ रुपये ही जमा हो पाए जो कि बिल्डरों तथा भ्रष्ट केजरीवाल की सरकार की साठगांठ दिखाता है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से श्रमिकों को 5 लाख तक की सहूलियत निशुल्क इलाज प्राप्त होती है जिसे लागू ना करके 10,000 की स्कीम श्रमिकों के लिए रखी गई जो कि बहुत शर्मनाक बात है। जिन परिस्थितियों में निर्माण कार्य चल रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन साइट पर सक्षम अधिकारी द्वारा सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं की जांच व निरीक्षण हेतु दौरा किया जाता है, जिसका नितांत अभाव पाया गया व शायद वह दौरा, दौरा न होकर उन अधिकारियों की जेब भरने का साधन बन गया। ऐसा सीएजी की रिपोर्ट में साफ–साफ

दिखता है। श्रमिकों द्वारा आपातकाल की स्थिति में सहायता हेतु आवेदन करते हैं। जिसमें 56. 3 परसेंट परंतु दिल्ली में यह दर 7.3 परसेंट ही रह गई।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद जी।

(समय की घंटी)

श्रीमती नीलम पहलवानः अध्यक्ष महोदय जी, मैं स्मरण करवाना चाहूंगी कि दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री व केंद्र सरकार में श्रम एवं रोजगार मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी द्वारा असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूर भाई–बहनों के लिए दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा व अन्य स्कीम तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी के कार्यकाल में शुरू किया गया था जो केजरीवाल ने पिछली सरकार में सारा मिट्टी पलित कर दिया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः सदन की कारवाई 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती।

(सदन की कार्यवाही सायं 4.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 4:35 बजे पुनः समवेत हुआ।

(माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य गण अब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वर्ष 2025 का संख्या दो) पर माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता संबोधित करेंगी।

माननीया मुख्य मंत्री (श्रीमती रेखा गुप्ता): माननीय अध्यक्ष जी। मेरे बहुत से साथियों ने सीएजी रिपोर्ट जो कि गरीब मजदूरों पर जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे उन सभी साथियों पर थी जो दिन रात पसीना बहा करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। सरकार ने अनेकों योजनाएं उनकी बनाई कि वो जीवन जी सके। हमारे संविधान में भी आर्टिकल 21 में डिग्निटी के साथ जीने की बात कही गई। एक व्यक्ति केवल जिए नहीं इज्जत के साथ जिए और इसी कारण सरकार ने अनेकों प्रोविजन क्रिएट किए कि गरीब के लिए अलग–अलग मदों में वो योजनाएं खड़ी की गई और हमारा यह मजदूर बोर्ड जो है यह भी इसी का परिचायक है। अफसोस तब

होता है जब सरकारों के पास पैसा भी होता है, लोग भी है और वो नियत ना होने के कारण काम ना कर सके। अभी विपक्ष के हमारे विधायक वीरेंद्र कादियान जी ने कहा 12 मदों में हमने काम किया। पांच ही में तो नहीं कर पाए। कोविड का समय था। पक्ष के नेता रटे रटाए पैरा पढ़ रहे हैं । मैं उन्हें कुछ–कुछ बातें बताना चाहती हूं। जिन योजनाओं की बात हमारे सभी साथी कर रहे हैं। उन सभी साथियों ने वो बातें कहां से कही? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालिक सरकार को डांट लगाई कि आपके पास पैसे भी हैं और लाखों मजदूर जो दिल्ली में काम करते हैं ग्रैब लग गया था। ग्रैब में सरकार का प्रोविजन होता है कि आप मजदूर को 8000/–रूपये दें। मैं पूछना चाहती हूं जिन माननीय सदस्य ने कहा कि जब लोग गांव चले गए तो जी कैसे करते? कहां से देते? कोर्ट कहता है कि आपने 2000/–रूपये तो दिया बाकी का 6000/– क्यों नहीं दिया? क्या चाहते थे उस 6000/– का करना? कोर्ट ने कहा कि 2000/–दिया 6000/– क्यों नहीं दिया? पूरा का पूरा 8000/– क्यों नहीं दिया? यदि वो गांव चला गया था तो 2000/– कैसे दिया? ये बताएं। माननीय कोर्ट ने दिसंबर में जब यह कहा कि भई आपको सब्सटेंस अलाउंस देना था, आपके मजदूरों को। आपने क्यों नहीं दिया? तो इन्होंने आनन–फानन में जवाब दे दिया कि जी वो आधार कार्ड से बैंक अकाउंट जुड़े नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड से यदि बैंक अकाउंट जुड़े नहीं थे तो क्या पैसा नहीं दिया जाएगा? क्या यह जरूरी है? तो ऐसा कोई कानून है? तो इन्होंने जवाब देना पड़ा। कोर्ट के आगे क्या बोलते। नहीं नहीं कानून कोई नहीं है जी। अगर कानून नहीं है तो पैसे क्यों नहीं दिए? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो फिर कोर्ट ने दोबारा से कहा कि तकनीकी कारणों से यदि आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो यह सरकार की कमी है। उस मजदूर की गलती नहीं है जिसके अकाउंट में आप पैसे नहीं दे रहे। तुरंत प्रभाव में दिल्ली के 90 हजार श्रमिकों के अकाउंट में 8000/–रूपये डालिए। यह बात स्वयं माननीय कोर्ट ने कही। फिर कोर्ट ने बार–बार कहा कि यह जो श्रमिक हैं निर्माण श्रमिक ये केवल अवसंचरना नहीं है। यह राष्ट्र बनाते हैं और ये जो राष्ट्र बनाते हैं और आपने जो बोर्ड बना के रखा है, इस बोर्ड के माध्यम से इनको वास्तविक लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने फिर दोहराया कि बीओसीडब्ल्यू एक्ट जो आपका 1996 का है, आप इतना सेस इकट्ठा करते हैं तो वो कहां जाता है? वह क्यों नहीं आप इनके स्वास्थ्य में, इनकी सुरक्षा में, इनके वेलफेयर में लगाते हैं, ये बताएं राज्य सरकार? राज्य सरकार के पास कोई जवाब नहीं

था अध्यक्ष जी। मैं वो पूरा का पूरा चार्ट भी यहां पढ़ना चाहती हूं कि कितनी योजनाएं हैं, क्या–क्या पैसे दिए जाते हैं, और तत्कालिक सरकार ने उसमें क्या किया। बात करती हूं, मिसकैरज। माननीय विधायक जी कह रहे थे गांव चले गए। अगर आपके पास रजिस्टर्ड है मिसकैरज जैसी महिलाओं की एक स्थिति है उसमें जिसमें मात्र 3000/–रूपये देने होते हैं, दिल्ली सरकार ने उस समय एक भी महिला को यह लाभ नहीं दिया, यह पैसे नहीं दिए ताकि वो अपनी मुसीबत की घड़ी में इसका लाभ ले पाती। नहीं दिए। इसी तरीके से जो मकान की बात उन्होंने कही कि जी मकान कैसे देते, गांव चले गए थे। फिर आपने वह 2000/–रुपये कैसे दिए और यह बताइए 24 में कौन सा कोविड था कि गांव चले गए थे? हजारों मजदूरों को तो आप अलग–अलग रूप में खूब दे रहे थे, फिर क्या हुआ? यानी कि वो चिट्ठा जिसकी बात माननीय सदस्यों ने बार–बार कही कि भई रजिस्ट्रेशन जो है वह अलग नंबर है। एक लाख 90 हजार के करीब और एक्चुअल रजिस्ट्रेशन। परंतु आपने कहा कि हमने 6 लाख मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर रखा है और रिवाइव करने के नाम पे सरकार के पास रिन्यूल होता ही नहीं। बड़ी समस्या ये भी थी कि जो दिल्ली सरकार थी वो रजिस्ट्रेशन में पैसे लेती थी 25/– रूपये। एक मजदूर के रजिस्ट्रेशन में 25/–रूपये और अगर उसे रिन्यू करवाना होता था तो 20/–रूपये सालाना 20/–रूपये जबकि यही पैसा केंद्र सरकार का है जीरो। मजदूर की रजिस्ट्रेशन में केंद्र सरकार एक भी रुपया नहीं लेती ना रिन्यूअल में लेती है और इसीलिए, इसीलिए केंद्र सरकार के पास जो डाटा बैंक है वो हर साल रिन्यू होता है। जबकि दिल्ली सरकार के पास जो डाटा है उसका मात्र 7 प्रतिशत जो नीलम जी ने कहा कि मात्र 7 प्रतिशत ही रिन्यू हो पाता है। वो डाटा कहां चला जाता है? क्योंकि आप सुविधा देते नहीं। क्या करेंगे उस 25/–रूपये पर एक गरीब आदमी से लेकर के जब केंद्र जीरो कर सकता है तो आप गरीब से 25/–रूपये लेने वाले कौन होते हैं? वो बेचारा कहां से भुगतेगा आपके 25/–रूपये? ये हालत थी। फिर आपने कहा कि जी और क्या कर सकते थे हम योजनाओं में? योजनाएं जो परमानेंट डिसेबिलिटी वाली योजना है। जिसमें एक लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है। लगातार 2018–19 से हम देखें उस मद में भी आपने लोगों को मजदूरों को पैसा नहीं दिया और काम करने के लिए टूल अगर मजदूर लेना चाहता है सरकार उसे मदद करती है बीस हजार रूपये की। बीस हजार रूपये की मदद जिससे उसका जीवन निखर जाता है उन उस साजो सामान के साथ

वो अपनी रोजी रोटी कमा पाता है पर देखिए जीरो । 2018 में जीरो 19 में जीरो 20 में जीरो 21 में जीरो 22 में जीरो 23 में जीरो 24 में भी जीरो कब कब कोविड था कब कब कोविड था? हर साल जीरो आपने किसी एक मजदूर को भी ये राशि दी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये जो मरने पे गरीब आदमी मर जाए और उसका असिस्टेंस देना होता है हर साल पैसा गया हुआ है, हर साल गया हुआ है। इन्होंने 2024 में 180 लोगों को दिया। 2023 में 146 लोगों को दिया। 2022 में 277 लोगों को। भई जब व्यक्ति यहां है, यहां जी रहा है, यहां मर रहा है तो उसको स्वास्थ्य का लाभ नहीं दे रहे, उसके बच्चों को कोचिंग का पैसा नहीं दे रहे। ये क्या फर्क है? वह मरने के लिए यहां आते हैं और जीने के लिए आपके पास फंड नहीं है। यह बड़ी अजीब बात लगी मुझे। इसी तरीके से एक्सीडेंट और नेचुरल डेथ के हमारे दो मद हैं। अगर नेचुरल डेथ होती है तो एक लाख रूपये सरकार देती है। अगर काम करते हुए एक्सीडेंटल डेथ होती है तो दो लाख रूपये। अफसोस है मुझे। इतनी बड़ी दिल्ली में जहां रोज हादसे होते हैं वहां पर आपने 2018 में मात्र 104 लोगों को 2019 में मात्र 126 लोगों को, सब मिला के नेचुरल एक्सीडेंटल सब मिलाकर के और 2020 में 124 लोगों को इस तरीके से आपने गिनगिन के चुन चुन के अपने नजदीक के लोगों को दिया जबकि जिनका हक बनता था उनमें से किसी को नहीं दिया। मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंट का खाना भी मैं पढ़ना चाहती हूं अध्यक्ष जी। 2018 में इतना बड़ा शून्य। 2019 में शून्य। 2020 में चार लोगों को 2021 में 182 लोगों को 2022 में फिर शून्य है। 2023 में एक व्यक्ति को 2024 में फिर शून्य। भाई गरीब की बात करते हो, मजदूर की बात करते हो, उसके मसीहा बनने का नाटक करते हो। जब झुग्गी पे कोई जाके खड़ा होता है तो छाती पीट पीट के रोते हो। भाई जो तुम्हारे हाथ के 52 सौ करोड़ रुपये थे यह क्यों नहीं दिए? जो आप दे सकते थे, जो आप कर सकते थे उस गरीब को उसका मकान लेने के लिए असिस्टेंस दे सकते थे, लोन दे सकते थे परंतु आपने नहीं दिया। फैमिली पेंशन नहीं दी, यात्रा पास नहीं बनवाया और यहां तक कि स्किल के लिए स्किल ट्रेनिंग जो होती है ऐसा काम मजदूर का जीवन संवर जाए। जीरो जीरो जीरो इतना बड़ा सीफर पूरी रिपोर्ट में इतना बड़ा सीफर यूं ही नहीं सीएजी आती है। आपके इन करतूतों और इन कारनामों के कारण से सीएजी बनती है जिसमें आपने लगातार मजदूरों का हनन किया। लगातार उनके हक को मारा। यह पता चलना चाहिए दिल्ली के एक–एक गरीब को कि यह आम आदमी पार्टी जो

अपने आप को आम कहती है, कितनी खास है क्योंकि इनकी नजर का चश्मा केवल उतना देखता है जहां से इनको फायदा होता है। गरीब आदमी दिखता नहीं है इन्हें। गरीब आदमी दिखता नहीं है। फायदे वाले लोग दिखते हैं। गरीब आदमी दिखता तो उसे योजनाओं का लाभ मिलता। 5200 करोड़ रुपए लेबर अकाउंट में पड़े पड़े बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि किस गरीब के हम काम आएंगे। परंतु इन्हें फुर्सत नहीं है। इन्हें फुर्सत नहीं है वो सब करने की, दिखाने की, लोगों की मदद करने की। अध्यक्ष जी मैं इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहती हूं कि ये जो पाप आम आदमी पार्टी ने किया है, ये जो पाप पिछली सरकार के मुखिया ने किया, इनके लेबर मिनिस्टर ने किया इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और ये जो सीएजी रिपोर्ट है ये पीएसी में जानी चाहिए। अध्यक्ष जी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण माननीया मुख्यमंत्री जो वित्त वित्त मंत्री के रूप में दिनांक 4 अगस्त 2025 को सदन पटल पर सीएजी की चार रिपोर्ट पेश की थी। Appropriation Account पर रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 23–24 के दौरान 15,237 करोड़ रुपये की राशि खर्च नहीं की गई। जिसमें से 8376.40 करोड़ रूपये सरेंडर में देरी के कारण लैप्स हो गए। इस राशि का उपयोग जरूरी विकास कार्यों के लिए किया जा सकता था। वर्ष 2023–24 के फाइनेंस अकाउंट में सीएजी ने पाया कि सरकारी विभागों ने contingency bill जमा नहीं किए जिस कारण 346.82 करोड़ रूपये की राशि बकाया थी। इसका अर्थ यह है यह कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं था कि विधानसभा के ऑथोराइजेशन के अनुसार राशि वास्तव में खर्च की गई थी या नहीं। वर्ष 2022–23 में यह राशि 574.89 करोड़ रूपये थी। सीएजी ने 31 मार्च 2024 तक 3760.84 करोड़ रूपये की राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ना करने पर चिंता व्यक्त की है। वर्ष 2023–24 के लिए स्टेट फाइनेंसिज पर रिपोर्ट के अध्ययन से पता चलता है कि वर्ष 2022–23 में रेवेन्यू सरप्लस 14457 करोड़ रूपये से घटकर 2023–24 में 6462 करोड़ रूपये हो गया। यदि केंद्र सरकार ने पेंशन देनदारियों और दिल्ली पुलिस पर 11123 करोड़ रूपये का खर्च वहन नहीं किया होता तो यह राजस्व घाटे में बदल जाता। वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार कैपिटल बजट से कम रहा है। राजकोशिय घाटा वर्ष 2019–20 में 416 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 3934 करोड़

रूपये हो गया है। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड पर सीएजी की रिपोर्ट में भी कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। तत्कालीन दिल्ली सरकार के पास बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की संख्या से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े नहीं थे। 6.96 लाख पंजीकृत श्रमिकों में से विभाग के पास केवल 1.98 लाख श्रमिकों का डाटाबेस था। डुप्लीकेट इमेज और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कई खामियां मिली। आश्चर्यजनक रूप से 1.19 लाख लाभार्थियों को 2.38 लाख इमेज से जोड़ा गया। राष्ट्रीय औसत 74 परसेंट के मुकाबले केवल 7.3 परसेंट रजिस्ट्रेशन को ही रिन्यू किया गया। एकत्रित किए गए सेस के रिकॉर्ड तथा जिला और बोर्ड के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के बीच 204.95 करोड़ रूपये का अंतर था। बोर्ड कुल एकत्रित सेस में से केवल 9.53 से 11 प्रतिशत के आसपास लाभ वितरित कर सका। श्रमिकों की सुविधा के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए और विभाग कोई भी सोशल ऑडिट करने में विफल रहा। माननीय सदस्य गण प्रक्रिया के नियमों के अनुसार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन रिपोर्ट्स की विस्तार से जांच करेगी। सदन अपेक्षा करता है कि समिति को विधानसभा के अगले सत्र तक सीएजी की रिपोर्ट पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिया जाता है कि इन रिपोर्ट को तुरंत संबंधित विभागों को भेजें ताकि वे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कार्रवाई नोट प्रस्तुत कर सके। अब यहां पर माननीय सदस्य श्री हरीश खुराना जी का अल्पकालिक चर्चा।

श्री हरीश खुरानाः अध्यक्ष जी मैं इसको विदड्रा कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः ठीक है धन्यवाद। समय भी कम था इसको अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। माननीया मुख्यमंत्री जी।

सुश्री आतिशी (माननीया नेता, प्रतिपक्ष)ः अध्यक्ष महोदय जैसा कि हमने कल रिक्वेस्ट करी थी हम चाहेंगे कि जो जीएसटी के दोनों बिल पेश हुए हैं उन पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष के कई सदस्य हैं जो जीएसटी अमेंडमेंट बिल जो दोनों हैं उन पर अपनी बात रखना चाहते हैं और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं उनसे दोनों बिलों पर सुनना भी चाहते हैं।

माननीय अध्यक्षः माननीय नेता, विपक्ष जानती है मैं सदन को भी अवगत करा दूं पूरी बात से जो जीएसटी का जो काउंसिल है जिसमें सभी स्टेट्स उसके पार्टनर हैं उसके हिस्सेदार हैं, उसके मेंबर हैं, ये सब जो अमेंडमेंट आता है जीएसटी में ये वहां डिसाइड होता है और हर स्टेट के लिए ये मैंडेटरी है उसको अपने–अपने स्टेट्स में लागू करना। आप माननीय नेता, विपक्ष आप खुद वित्त मंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। आपको पता है कि ये जो बिल है आपके समय में पिछले 10 साल में जीएसटी के बिल जिस दिन इंट्रोड्यूस होते थे उसी दिन वो पास हो जाते थे बिना कंसीडरेशन के। कभी कंसीडरेशन आज तक नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अगर आप एक मिनट एक मिनट। हां जी। एक मिनट गहलोत जी को कुछ कहना है। माननीय सदस्य कैलाश जी।

श्री कैलाश गहलोत : अध्यक्ष जी आपने जो कहा यह बिल्कुल सही है। फाइनांस मेरे पास भी रहा मैंने भी बजट पेश किया, इसी सदन में आतिशी जी भी फाइनांस मिनिस्टर रहीं कभी भी जितने भी इस तरह के अमेंडमेंट आए आज तक ये सिर्फ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी है इसपे कभी कोई चर्चा नहीं हुई। तो आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस सदन में आप रिकॉर्ड चेक करा लीजिएगा, जब सेंटर से पास होके जीएसटी काउंसिल से पास होके इस तरह के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं जब हर एक स्टेट के लिए यह मैंडेटरी है। इसमें कोई discretion नहीं है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यह सिर्फ mere formality है इस सदन से पास होना और इसमें कोई मुझे मुझे कोई शक नहीं।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः एक मिनट कोई बात नहीं। एक बैठिए बैठिए

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठिए मैम। बैठिये एक मिनट बैठिये। मैडम बात कर रही है ना। नेता विपक्ष बात कर रहे हैं फिर आप क्यों खड़े हो गए? आप खड़े क्यों हो गए?

सुश्री आतिशी : अध्यक्ष महोदय, कोई भी बिल mere formality कभी नहीं हो सकता। इस वाक्य का प्रयोग इस सदन का अपमान है क्योंकि यह दिल्ली गुड्स एंड सर्विसिज एक्ट है। यह

सेंट्रल एक्ट नहीं है। यह दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट है। इस विधानसभा में पास किया हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : चलिए अब आपकी बात हो गई ना। अब मैं .....

....व्यवधान.....

सुश्री आतिशी : तो हमारी राय और मान लीजिए मान लीजिए देखिए जीएसटी काउंसिल में जो वित्त मंत्री होते हैं वो अपनी बात रखते हैं। अगर दिल्ली विधानसभा को जो दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में अमेंडमेंट है उससे आपत्ति है तो दिल्ली के वित्त मंत्री की जिम्मेदारी है कि जीएसटी काउंसिल में वो बात रखें। कुछ मैंडेटरी नहीं होता। जनता ने हमको चुन के भेजा है। हम जनता के प्रतिनिधि है।

माननीय अध्यक्षः हो गया आपका भाषण ना। अब आप भाषण बैठ जाइए। अब आप बैठ जाइए।

सुश्री आतिशी : अध्यक्ष महोदय हम डिबेट चाहते हैं। .....

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए। बैठ जाइए। मैं मैं आपको बताता हूं। अभी अब आप बैठ जाइए ना। मैं आपको अगली बात बताता हूं। हम ऐसे नहीं कर रहे आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए ना। आप बैठ जाइए। बैठ जाइए। देखिए माननीय सदस्य गण। हां जी।

श्री कैलाश गहलोतः अध्यक्ष जी, मैं यह भी पूछना चाहूंगा और मैं यह आपसे अनुरोध करूंगा कि यह रिकॉर्ड पे लिया जाए कि जब आतिशी फाइनेंस मिनिस्टर थीं और सीएम भी थीं और कितनी बार इस तरह के बिल जब इस सदन में आए तो उन्होंने कितनी बार इस सदन को इन्फॉर्म किया।

माननीय अध्यक्षः इन्होने तो नहीं नहीं वो तो मैं, एक मिनट आप बैठ जाइए मैडम बैठ जाइए। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा।

....व्यवधान.....

श्री कैलाश गहलोत : तो unnecessary ये सदन का टाइम ये सदन का टाइम खराब किया जा रहा है और.....

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः अगर आप नहीं बैठेंगे तो दिक्कत होगी बैठ जाइए। कुलदीप जी मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको प्लीज बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूं आपको बिल पर कुछ कहना है लेकिन strictly आपने डिस्कशन के नाम पर, कंसीडरेशन के नाम पर यहां राजनीतिक बयानबाजी की तो मैं कारवाई करूंगा आपके खिलाफ, ठीक है एक बात।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठ जाइए बैठ जाइए आप दूसरा जो माननीय सदस्य कैलाश गहलोत जी ने कहा है मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह जो नई सरकार आई है ये जो परिवर्तन हुआ है यह लोकतंत्र की प्रहरी है। यह सदन लोकतंत्र का प्रहरी है। हम चर्चा में विश्वास रखते हैं। लेकिन इसी सदन में 10 वर्ष मैं चश्मदीद हूं क्योंकि जीएसटी 2014 के बाद जब 2015 में ये सरकार बनी उसके बाद जब जीएसटी आया तो एक बार भी एक बार भी बिल चर्चा में नहीं आया।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः यहां तक, सिर्फ चर्चा में ही नहीं आया। इन्होंने बिल जो है इंट्रोड्यूस किया और पास कर दिया। एक दिन अगले दिन तक भी नहीं हमने तो फिर भी इसको बिल को कल इंट्रोड्यूस किया है सरकार ने आज उसको हम पास करने के लिए लाए हैं। अब आप अपनी बात कहें लेकिन आप जो amendment आ रहा है स्ट्रिक्टली आप उसको खोल लीजिए बिल को सभी लोग। आप शांत रहिए, शांत रहिए। अब इस पर पक्ष की तरफ से भी कोई बोलना चाहेंगे क्या? तो फिर, नहीं–नहीं क्योंकि, नहीं मैं चाहूंगा, ठीक है। आप आप अपनी बात कहिए। आप कहिए अपनी बात। नहीं जब पक्ष से कोई बोलेंगें तो आप भी बोलेंगे और फिर मुख्यमंत्री जी बोलेंगी, इसमें क्या है। जब proportionate ही तो होगा ना आप बोलिए।

सुश्री आतिशी : नहीं अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः प्रोपोशनेट होगा।

सुश्री आतिशी : हमारे दो विधायक बोलना चाह रहे।

माननीय अध्यक्षः नहीं तो तो फिर इधर से जब नाम नहीं आ रहे तो फिर ऐसे चर्चा देखिए।

सुश्री आतिशी : वो उनकी इच्छा है, वो उनकी इच्छा है।

माननीय अध्यक्षः ये तो सदन का आप बोलिए आपको जो बोलना।

सुश्री आतिशी : वो उनकी इच्छा है अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः आप बोलिए तो बोलना है। आप बोलिए।

सुश्री आतिशी : अध्यक्ष जी हमारे दो विधायक गण पहले.....

माननीय अध्यक्षः आप बोलिए मैं आपको इजाज़त दे रहा हूं बस।

सुश्री आतिशी : अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी ये क्या तरीका है।

माननीय अध्यक्षः और उधर मुख्यमंत्री जी को बस इसके बीच में कोई नहीं।

सुश्री आतिशी : अध्यक्ष जी जब जब, क्या तरीका है? अध्यक्ष जी मैं तो बोलूंगी ही।

माननीय अध्यक्षः आप बोलिए।

सुश्री आतिशी : मैं बिल्कुल दोनो बिल पर।

माननीय अध्यक्षः बैठिए। मार्शल अनिल झा जी को बाहर ले जाइए। मैंने इन्हें चार वार्निंग दी थी।

सुश्री आतिशी : अध्यक्ष जी क्या तरीका है।

माननीय अध्यक्षः अनिल झा जी को बाहर ले जाइए।

सुश्री आतिशी : ये गलत है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी ये गलत है।

माननीय अध्यक्षः मैं देखिए अब मुझे मजबूर होना पड़ेगा बार–बार क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा तंग कर रहे हैं। बहुत हो गया। सुबह से मैं देख रहा हूं हर चीज में आपको बोलना है और चार आदमी खड़े होते हैं। वो चार ही हर बात में बोलते हैं। बैठ जाइए आप सब लोग।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मार्शल्स द्वारा माननीय सदस्य श्री अनिल झा को सदन से बाहर किया गया)।

माननीय अध्यक्षः बैठिए आप भी। आप समय सदन का समय खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप सीरियस नहीं है। सीरियस नहीं है यहां पर। सीरियस नहीं है आप। चलिए।

सुश्री आतिशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दो जीएसटी अमेंडमेंट बिल्स इस सदन पटल पर रखे गए हैं। उस जीएसटी अमेंडमेंट बिल्स पे हमारे कुछ प्रश्न भी हैं और हमारे कुछ

observations भी हैं। सबसे पहले तो इस बात पर तो आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने इस पर डिबेट की शुरुआत करी। परंतु अगर हमारे विपक्ष के विधायक गण बोलना चाह रहे थे। उनके कुछ सवाल थे।

माननीय अध्यक्षः आप बोलिए ना।

सुश्री आतिशीः तो उनको बोलने का मौका जरूर मिलना चाहिए।

माननीय अध्यक्षः हाथी के पैर में सबका पैर।

सुश्री आतिशीः सबसे पहला जो नंबर फोर दिल्ली गुड्स एंड सर्विसेस एक्ट अमेंडमेंट बिल 2025

Section-7: Amendment of Section 16:

In Section 16 of the Delhi Goods and Services Tax Act, with effect from the Ist day of July, 2017, after sub section (4), the following sub-section shall be inserted namely:-

Number (1): notwithstanding anything contained in sub section(4) in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20, and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed up to the thirtieth day of November 2021.

(6) where registeration of a registered person is cancelled under section 29 and subsequently the cancellation of registration is revoked by any order, either under section 30 or pursuant to any order made by the Appellate Authority or the Appellate Tribunal or court and where availment of input tax credit in resepct of an invoice or debit note was not restricted under sub-section (4) on the date of order of cancellation of registration, the said person shall be entitled to take the input tax credit in

respect of such invoice or debit note for supply of goods or services or both in a return under section 39.

हमारा यह सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो अमेंडमेंट ऑफ़ सेक्शन 16 है ये किस संदर्भ में लाया गया है और दिल्ली के कई व्यापारी गण इस मुद्दे पर कि यह पूरी इनवॉइसिंग की प्रक्रिया और इनपुट टैक्स की प्रक्रिया में बदलाव आ रहा है। इस बात को लेकर चिंतित हैं। इसी तरह से

Section (18): in section 54 of the Goods and Services Tax Act (a) the section (3) of the second proviso shall be omitted;

(b) after sub- section (14) and before the explanation, the following sub-section shall be inserted.

"(15) Notwithstanding anything in this section, no refund of unutilized input tax credit on account of zero rated supply or goods or of integrated tax paid on account of zero rated supply of goods shall be allowed where zero rated supply of goods is subjected to export duty."

इस पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के सिस्टम में जो बदलाव लाया जा रहा है, यह व्यापारी गणों के लिए एक चिंता का मुद्दा है क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि बार–बार इनपुट टैक्स क्रेडिट्स पे जो बदलाव लाए जाते हैं, उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, इतनी कॉम्प्लिकेशन हो रही है कि किसी भी व्यापारी को जीएसटी कब फाइल करना है, कैसे फाइल करना है, कहां फाइल करना है, उनको उसका पता नहीं रहता।

माननीय अध्यक्षः इसका बिल से क्या लेना देना है?

सुश्री आतिशी : अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्षः बिल में अमेंडमेंट है सिंपल।

सुश्री आतिशीः अध्यक्ष महोदय तो यह उसको बताएंगे ना कि ये क्यूं लेकर आये हैं।

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं आपको अगर मान लो पॉलिटिकल मुद्दे उठाने हैं तो आपको मैं और समय दे दूंगा लेकिन आज क्योंकि बिल की बात हो रही है।

सुश्री आतिशीः अध्यक्ष महोदय, ये पॉलिटिकल कहां है ये तो प्योरली टेक्निकल है ये पॉलिटिकल कहां है? आपने कहा अमेंडमेंट पर सीमित रहो हम अमेंडमेंट पर सीमित है।

माननीय अध्यक्षः अमेंडमेंट पर बात करिए ना। करिए, करिए आप।

सुश्री आतिशीः जो दो स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हैं इनपुट टैक्स से रिलेटेड उस पे हमारे सवाल हैं। नहीं अभी रुकिए ना ये। अभी हुआ नहीं ना। इन्होंने दूसरे स्पीकर्स ने बोलना था इस पर। मैं तो उनके ओर से बोल रही हूं। हां जी। (आपसी चर्चा) मैंने तो इस बिल पर बोलना नहीं था। अध्यक्ष जी ने हमारे विधायकों को बोलने नहीं दिया। तो इसलिए क्या करें?

—.... व्यवधान ....

सुश्री आतिशीः अध्यक्ष महोदय Amendment of Section 171:

In sub section (2) the following proviso and explanation shall be inserted namely:-

'Provided that the govt. may by notification, on the recommendation of the council, specify the date from which the Authority shall not accept any request for examination as to whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of goods or services or both supplied by him.'

तो ये तीनों अमेंडमेंट्स जो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स के सिस्टम को बदलाव की ओर लेके जा रहे हैं। इस पर मैं चाहूंगी कि माननीया मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखें क्योंकि इसको लेकर दिल्ली के व्यापारी चिंतित हैं।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

सुश्री आतिशीः जो जीएसटी का दूसरा बिल है बिल नंबर 5 ऑफ 2025 इसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर हम क्लेरिफिकेशन चाहेंगे। सेक्शन फाइव अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 15 जो इस सेक्शन में अमेंडमेंट लाया गया है। ये दिखने में तो छोटा सा है कि लिखा है प्लांट और मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी माना जाएगा। लेकिन इस छोटे से अमेंडमेंट से जो पूरा रियल स्टेट सेक्टर,

जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जहां पे फ्लैट्स बेचे जा रहे हैं, जहां पे commerical complexes बनाए गए हैं, बेचे जा रहे हैं। ये एक retrospective amendment है जो 2017 से लागू होगा। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने, बहुत सारे रियल स्टेट डेवलपर्स ने इस क्लॉज के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। उस आधार पर उन्होंने अपने बिल्डिंग में जो मकान बनाए, जो दुकानें बनाई उसके दाम किए। अब जब 2017 से retrospectively ये अमेंडमेंट लागू किया जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा? अगर मैं दिल्ली में रहने वाली हूं और मैंने नोएडा में किसी बिल्डर से फ्लैट खरीदा है। मैंने गुड़गांव में कहीं बिल्डर से फ्लैट खरीदा है। जिस रेट पे मैंने फ्लैट खरीदा था, जो बिल्डर ने दाम लगाया था उसका कॉस्ट 2017 से बढ़ गया। यानी जो उसके लोग फ्लैट बेच के चले गए, वो तो चले गए। पर जो भी आज ईएमआई पर, होम लोन पर जिसके पास फ्लैट है, उसके फ्लैट के दाम डेढ़ गुना बढ़ जाएंगे दिल्ली वालों के ....

माननीय अध्यक्ष : चलिए धन्यवाद।

सुश्री आतिशीः दूसरी बात अध्यक्ष महोदय इसका असर बहुत सारे जो commercial complexes हैं दिल्ली में उन पर भी पडेगा।

माननीय अध्यक्षः ठीक है धन्यवाद। धन्यवाद।

सुश्री आतिशीः नहीं अध्यक्ष जी एक और है एक और क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।

माननीय अध्यक्षः बात हो गई आपकी।

सुश्री आतिशीः अरे एक सेकंड रुक जाइए अध्यक्ष महोदय। जो सेक्शन 14 .....

माननीय अध्यक्षः वैसे आपको बोलना है तो मेरे को वैसे बता दिया करो आप। एक अलग से सेशन आपको दिया करूंगा।

सुश्री आतिशीः Amendment of schedule 03, supply of goods, warehouse in a special… एक तरफ जहां पे आम लोग मकान खरीद रहे हैं, दुकानें खरीद रहे हैं, दुकानें लीज पर ले रहे हैं, वहां पर 2017 से टैक्स लगाया जा रहा है।

माननीय अध्यक्षः ये इसमें कहां से आई? ये तो अमेंडमेंट का बताइए ना। सैक्शन बताईये। वो बताइए।

सुश्री आतिशीः मैं बता रही हूं ना। वहां दूसरी तरफ.....

माननीय अध्यक्षः आपको भाषण देना है तो मैं आपको अलग से समय दे दूंगा। कोई बात नहीं।

सुश्री आतिशीः सैक्शन 14 सप्लाई ऑफ़ गुड्स वेयर हाउस एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में भारी टैक्स की छूट दी जा रही है। देश का सबसे बड़ा एसईजैड किसका है? मुंद्रा पोर्ट का एसईजैड किसका है?

माननीय अध्यक्षः चलिए धन्यवाद आपकी बात हो गई पूरी अब आप बैठ जाईये।

सुश्री आतिशीः दिल्ली में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने खास दोस्तों को इस बिल के माध्यम से...

माननीय अध्यक्षः सदन का समय जाया ना करें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

सुश्री आतिशीः एसईजैड बनाकरके क्या टैक्स की छूट देने वाली है। इस पर मैं चाहूंगी कि दिल्ली की वित्त मंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो पांचों क्लॉज़ मैंने बताए हैं उन पर अपना जवाब दें।

माननीय अध्यक्षः ठीक है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री।

माननीया मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। माननीय आतिशी जी जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही फाइनेंस मिनिस्टर रही, आज बड़ी शिद्दत के साथ में इस हाउस में पूरा समय उपस्थित रह के जिस तरीके से कि मुझे यह पूछना है जीएसटी में क्या हुआ? ये अमेंडमेंट क्या है? ऐसे इनके सदस्य कि हमें तो डिबेट चाहिए। हम चर्चा चाहते हैं। जैसे वो पूछ रहे हैं मुझे इतना अच्छा लग रहा है और मैं उनके ज्ञान के लिए बताना चाहती हूं कि आज जो यह संशोधन हो रहे हैं, ये पिछले साल जो जीएसटी समिट हुई थी जिसकी सदस्य खुद आतिशी जी थी जिसमें इनको जाना था, उन अमेंडमेंट को किया जा रहा है। ये वो अमेंडमेंट है। जिसकी....

...व्यवधान.....

माननीया मुख्य मंत्री : अध्यक्ष जी यह अगर बोले तो मैं बैठ जाऊं। मैं बैठ जाऊं।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः आप जारी रखिए हो गया।

माननीया मुख्य मंत्री : ऐसे नहीं चलेगा।

माननीय अध्यक्ष : अब यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो उसके पक्ष में....

माननीया मुख्य मंत्री : नहीं मैं बोलूंगी।

माननीय अध्यक्षः अच्छा बोलेंगी ना आप, तो बोलिए।

माननीया मुख्यमंत्री : मैं बोल रही हूं।

माननीय अध्यक्षः मैंने कहा आप बैठिए। फिर, आप बोलिए। वो उनको मैं बैठाऊंगा।

माननीया मुख्य मंत्री : नही–नहीं सदन की इतनी गरिमा इस सदन को रखनी पड़ेगी कि अगर मैं बोल रही हूं तो कोई माननीय सदस्य बीच में ना बोले। मैं किसी के भी बीच में नहीं बोलती।

माननीय अध्यक्षः ये मैं मैं देख लूंगा मुख्यमंत्री जी। आप अपनी बात कहिए। आप अपनी बात कहिए।

माननीया मुख्य मंत्रीः मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूं। आपने सवाल कर लिया ना जवाब तो सुनने की हिम्मत रखिए।

माननीय अध्यक्षः चलिए।

माननीया मुख्य मंत्रीः तो जिस फाइनेंस की ये मिनिस्टर होने के बाद सदस्य थी ये उस कमेटी में गई ही नहीं जो कि 55वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी और आज जो यह चर्चा हमसे करना चाहती है उस मीटिंग में पास हुई, पास होकर के तब से लेकर अब तक ये दिल्ली में लागू है, दिल्ली में चल रही है और खुद फाइनेंस मिनिस्टर ये थी और आज ये हमसे पूछ रही है कि ये क्या है, ये क्या है? और मैं बताना चाहूंगी और मैं बताना चाहूंगी इससे पहले भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल की सदस्य हैं। परंतु यह जाती ही नहीं थी काउंसिल की मीटिंग में। 51 में भी नहीं गई, ये 52 में भी नहीं गई, 53 में भी नहीं गई, 55 में भी नहीं गई और दिल्ली की जनता दिल्ली की जनता दिल्ली की जनता...

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः आप साइलेंट रहिए। बैठ जाइए। बैठ जाइए मैडम। मैडम बैठिए आप।

माननीया मुख्य मंत्री : दिल्ली की जनता की परेशान होती रही।

माननीय अध्यक्षः जब जवाब नहीं था आपको आप खड़े हो जाते हो। वो आपके बीच में बोली है। आप बोल रहे थे वह चुप बैठी। बैठिये।

माननीया मुख्य मंत्री : दिल्ली की जनता परेशान होती रही।

माननीय अध्यक्षः बैठिए आप बैठिए। बैठिए आप। चलिए शुरू करिए।

माननीया मुख्य मंत्री : कोई हमारे सुझाव केन्द्र तक पहुंचाये, परंतु दिल्ली की जनता चाहती थी कि हमारे सुझाव केंद्र की काउंसिल तक पहुंचे। आज भी देती हैं वो सुझाव। परंतु वित्त मंत्री के पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वह उस काउंसिल को मीटिंग को जाकर अटेंड करें और यह जो इतना बड़ा रेजोल्यूशन देश का था जिसमें आर्थिक एकता देश की दिखाई देती थी। केंद्र का जीएसटी दिल्ली का जीएसटी मिलकर के लगातार रिफॉर्म की ओर काम कर रहा था। इतने सारे रिफॉर्म लगातार केंद्र ने दिल्ली के लिए किए और वो लगातार चल भी रहे हैं। परंतु माननीय मंत्री जी एक्स मंत्री फाइनेंस को इसकी जानकारी ही नहीं थी। मैं जरूर बताना चाहूंगी कि ये जितनी भी संशोधन हैं जो कि यहां पे आज 45 संशोधन पास हो रहे हैं। जिस बात की बात इन्होंने कही है कि भई सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात इन्होंने कही। मैं यह बताना चाहती हूं ये तो दिल्ली की जनता के हित में आया है। दिल्ली की जनता के जो भी केसेस 17, 18, 20, 21 तक के थे उसमें केंद्र सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी कि आप अपना कोई भी क्रेडिट का दावा अगर चाहते हैं तो 30 नवंबर 2021 तक रख सकते हैं। ये डेट एक्सटेंड की गई थी। ये डेट एक्सटेंड की गई थी जिसकी जानकारी ये मुझसे पूछ रही है जो कि इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में इन्होंने पूछा, फिर इन्होंने सेक्शन 13 की बात की है। वो भी बताना चाहती हूं। ये है कि जब एक कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अपने यहां से सामान निकाल करके किसी दूसरी यूनिट में भेजती है और मान लीजिए वो सामान लेने के लिए मना कर दे तो वो उसने वहां से सामान भेज दिया, इसने यहां से छोड़ दिया तो वो किसके अकाउंट में उसके ऊपर टैक्स लगेगा? इस सेक्शन में उसे क्लियर किया गया है कि जो सप्लायर है बिल्कुल भी उसके अकाउंट में उसका टैक्स नहीं जुड़ेगा, यह बात कही गई है, ये एक रिफॉर्म है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए सरलीकरण किया है। एक–एक शब्द को परिभाषित किया गया है। जितने झगड़े जीएसटी में होते थे, उन सारे झगड़ों को निपटान किया गया है। दिल्ली में एपिलेंट अथॉरिटी कौन होगा, उसको डिफाइन किया गया है। प्रोडक्शन जो आपने अगले सेक्शन की बात की कि प्रोडक्शन और मशीनरी यह है प्रोडक्शन के ऊपर सुपरवीजन ताकि पूरा ट्रैक रिकॉर्ड किया जा सके। आज केंद्र की केंद्र सरकार ने जैसे गुटखा की कंपनियां है। कितने गुटके बेच रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या सोसाइटी में फैला रही

है, पता नहीं चलता उसकी क्वांटिटी का, सरकार ने ऐसी मशीनरीज को अप्रूव किया है कि हर गुटके के पैकेट का उसका इंडिविजुअल नंबर होगा और उन सारी मशीनरी को चेक एंड बैलेंस करने के लिए यह कानून में संशोधन लाया गया है। तो इस तरीके से एक–एक संशोधन, 45 संशोधन, 45 संशोधन जो केंद्र सरकार लेके आई है, हर एक संशोधन दिल्ली के हित में है जिससे ट्रैक मैकेनिज्म भी सुदृढ़ होगा और वो कंपनियां जो अलग–अलग राज्यों में काम करती हैं, कई–कई मल्टीपल राज्यों में काम करती है, उनके लिए सारी चीजें डिफाइन कर दी गई है कि किस राज्य का टैक्स का शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। यह अपने आप में एक इतना बड़ा सोशल रिफॉर्म, एक जीएसटी रिफॉर्म, आर्थिक रिफॉर्म है जिसके बारे में हमें केंद्र सरकार का धन्यवाद पिछले सालों में ही कर देना चाहिए था। केंद्र की लाई गई इस जीएसटी amnesty scheme के कारण से दिल्ली को पिछले गत वर्ष में 218 करोड़ की जीएसटी की रिकवरी हुई। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूं केंद्र सरकार का। ये जीएसटी amnesty scheme अभी भी केंद्र की चल रही है। जनवरी 2025 से लगातार और जो अपील पर जो पूर्व में राशि जमा कराई जाती थी वो भी केंद्र सरकार ने अब 10 प्रतिशत से 7 प्रतिशत कर दी है उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, ये सारे रिफॉर्म से फायदा यह होगा कि दिल्ली की जनता को लाभ मिलेगा। मुकद्मेबाजी कम होगी, प्रक्रियाएं इज़ी हो जाएगी और कंप्लायंस भी इज़ी हो जाएगा, क्लेरिटी आएगी कांसेप्ट में, यह सारी चीजें होने का लाभ लगातार हमें मिल रहा है। मैं एक डाटा जरूर बताना चाहूंगी। पिछली सरकार के समय में इस समय तक जो कि अगस्त में हम खड़े हैं। अगस्त तक पिछली सरकार के समय 14,500 करोड़ का जीएसटी प्लस वैट कलेक्शन हुआ था। जबकि हमारी सरकार में 24–25 में आज की डेट तक 15,535 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। 7 प्रतिशत की वृद्धि मात्र 5 महीने में हमने करके दिखाई है। 7 प्रतिशत की वृद्धि यह इन संशोधनों के कारण ही हुआ है। एक चीज़ का और जवाब इस प्रस्ताव को पारित करने से पहले मैं देना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर एक्स, एक्स चीफ मिनिस्टर बार–बार कह रही थी 2 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का टैक्स शायद इन्हें ये पता नहीं है हम दिल्ली जो हैं यूनियन टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं यूनियन टेरिटरी में ये जो टैक्स मैंडेट होता है वो केंद्र सरकार का होता है, दिल्ली

सरकार का नहीं होता है। दिल्ली सरकार का होता है जीएसटी, दिल्ली सरकार का होता है वैट, दिल्ली सरकार की होती है एक्साइज, दिल्ली सरकार का होता है स्टैंप ड्यूटी, दिल्ली सरकार का नहीं होता.. एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जी और इसके एवज में केंद्र सरकार जो है हमारे लिए सारी सुरक्षा व्यवस्था करती है, पुलिस को सैलरी देती है, पुलिस को पेंशन देती है, मात्र 15,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का फंड तो केंद्र सरकार पुलिस के ऊपर खर्चती है। हमारे जितने एम्प्लाइज हैं ये सारे जितने लोग बैठे हैं यह साहब बैठे हैं, ये बैठे हैं आशीष जी ये सब लोगों की पेंशन भी केंद्र सरकार देती है जो कि 6000 करोड़ रुपये बनती है। सारा सेंट्रल असिस्टेंस केंद्र सरकार देती है, डीडीए का खर्चा केंद्र सरकार उठाती है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार देती है, मेट्रो रेल केंद्र सरकार चलाती है, हाउसिंग फॉर ऑल केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विद्यालय सब केंद्र सरकार चलाती है, रेलवे केंद्र सरकार चलाती है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार चलाती है, अर्बन डेवलपमेंट केंद्र सरकार चलाती है, लॉ एंड ऑर्डर, पोस्ट ऑफिस, एयरपोर्ट, टेलीकॉम सारे के सारे खर्चे, हम केंद्र सरकार का हिस्सा हैं, हम केंद्र सरकार से अलग नहीं है। इसलिए उन्हें यह पता होना चाहिए जो दिल्ली का हक है, वो दिल्ली को उससे ज्यादा मिलता है और एक बात कहना चाहती हूं मैं तो, आप यदि सही से चलते, आप लोग यदि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में बदतमीज़ियां नहीं करते, केंद्र सरकार के सामने अच्छे बच्चे के जैसे रहते तो आपको इससे भी ज्यादा फंड मिलता जितना आपको मिला, पर उन्हें मालूम था कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। वो फंड भी आपके अकाउंट में पड़ा–पड़ा जीरो हो गया। आपने 2400 करोड़ रुपये यूज़ नहीं करे। आरोग्य मंदिर हमने बनवाए। आपने आयुष सोसाइटी में यूज़ नहीं करे उसे हमने किया। मैं तो आज इस बिल को पास करवाते हुए एक्स फाइनेंस मिनिस्टर साहब को केवल इतना कहना चाहती हूं, अरे चली जातीं आप जीएसटी की मीटिंग तो अटेंड करती, काउंसिल की।

.....व्यवधान.....

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री) : ये आपको शोभा देता है ऐसे बोलना, आप सीएम रह चुके हो शोभा देता है ऐसे बोलना बार–बार खड़े हो जाते हो बार–बार खड़े हो

जाते हो आपको शोभा देता है ऐसे, क्या आपको शोभा देता है ऐसे बोलना बार–बार, क्या आपको शोभा दे रहा है सीएम रह चुके कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो।

माननीया मुख्यमंत्री : जीएसटी की मीटिंग में आप नहीं गईं और सवाल यहां बैठ के पूछ रही है। आप यहां बैठ के पूछ रही है।

''तख्त पे बैठे थे तो आईना साथ में रखते

तख्त पे बैठे थे तो आईना साथ में रखते

बेईमानी के धब्बे हर जगह दिखाई देते।''

अध्यक्ष जी।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी अब यह एक मिनट यह प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा क्योंकि माननीय नेता, विपक्ष जो है ना वह पूरा हाईजैक करना चाह रही हैं हाउस को तो चीजें, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ये विचार किया जाए यह प्रस्ताव करेंगी।

.....व्यवधान.....

माननीया मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव रखती हूं की दिनांक 7 अगस्त, 2025 को सदन में इंट्रोड्यूज।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : कुलवंत जी नहीं प्लीज । नहीं कोई भी मेंबर, कोई भी मेंबर, यहां पर बिल्कुल एक आदर्श स्थिति में बैठेंगे और सदन की गरिमा को बना के रखेंगे। ये मेरा सबसे आग्रह है।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : नहीं नहीं कोई नहीं। मैं आपकी बात, चलिए मैम।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : अरे हमारी क्या एलओपी तो सबकी है वो। बैठिए आप, वो एलओपी पूरे सदन की हैं। आपकी नहीं है। बैठिए आप। हां, पूरा करिए। बैठिए, बैठिए।

.....व्यवधान.....

माननीया मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 7 अगस्त, 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या चार) पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं वे न कहें,

माननीय अध्यक्ष : रिकॉर्ड पर ले लें ना आपकी, मतलब कांस्टीट्यूशनल क्राइसेस कराना चाहते हैं क्या आप, शांत ही रहो।

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जी, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 7 अगस्त, 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर विधेयक 2025 को पारित किया जाए।

माननीया मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या चार) को पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ। विधेयक पास हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 7 अगस्त, 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या पांच) पर विचार किया जाए।

माननीया मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 7 अगस्त, 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या पांच) पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगी कि दिनांक 7 अगस्त 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या पांच) को पारित किया जाए।

माननीया मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिनांक 7 अगस्त, 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या पांच) को पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब श्री आशीष सूद माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्माण निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या तीन) पर चर्चा में सदस्य भाग लेंगे। मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि चर्चा के दौरान सदस्य अपने संशोधनों के संबंध में भी बताएंगे। विधेयक पर खंडवार विचार के दौरान इन संशोधनों पर विचार किया जाएगा। अब शुरू चर्चा करें ।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना एक सबमिशन देना चाहता हूं

.....व्यवधान.....

श्री संजीव झाः कि पूर्व मुख्यमंत्री जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं करी। उन्होंने चार मीटिंग का हवाला दिया।

माननीय अध्यक्ष : अभी आप देखिए वो हो गया ना विषय ।

श्री संजीव झा : नहीं बस मैं नहीं–नहीं ये हाउस को मिसलीड करना हो गया ना। वहां रिकॉर्ड है। केवल एक मीटिंग जो एमसीसी के दौरान नहीं अटेंड की है। बाकी सारी मीटिंग अटेंड की है।

माननीय अध्यक्ष : चलिए धन्यवाद।

श्री संजीव झा : तो मुख्यमंत्री जी मिसलीड कर रही हैं हाउस को।

माननीय अध्यक्ष : चलिए चलिए ठीक है। धन्यवाद।

श्री संजीव झा : आप मिसलीड कर रही हैं। तो आपको तो संज्ञान लेना चाहिए इसका।

माननीय अध्यक्ष : अब श्री अरविंदर सिंह लवली।

.....व्यवधान.....

श्री अरविंदर सिंह लवली : चलो, चलो आतिशी जी हो गया अब।

.....व्यवधान.....

श्रीमती आतिशी (माननीया नेता, प्रतिपक्ष) : मैंने एक रिक्वेस्ट डाली थी कुछ पेपर्स के लिए, रूल 131.....पर डाली थी।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट वो मंत्री जी को भेज दिए थे हमने।

सुश्री आतिशी : पर वो आए नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष : वो आप कर लेंगे बात।

श्री आशीष सूद (माननीय शिक्षा मंत्री) : उसका जवाब विधानसभा सचिवालय ने मेरे को भेजा था मैंने प्रेषित कर दिया है जी।

माननीय अध्यक्ष : कर दिया आपको। अब चलिए अब आगे लवली जी आप शुरू करिए।

सुश्री आतिशी : हमें कागज दो अध्यक्ष जी हमारा अधिकार है।

माननीय अध्यक्ष : नहीं वो कागज आपके जो है ना।

श्री अरविंदर सिंह लवली : अध्यक्ष जी बैठाओ तो सही इनको।

.....व्यवधान.....

श्री अरविंदर सिंह लवली : आतिशी जी, मैं आप ना पूर्व सीएम रही हैं हमको इस हाउस में डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए। लीडर ऑफ़ द हाउस खड़ी होती है तो आप खड़े हो जाते हैं बोलने अध्यक्ष जी किसी और को अलॉओ करते हैं तब आप खड़े हो जाते हो। ऐसा तो फर्स्ट टाइम का मेंबर भी नहीं करता।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एक मिनट लवली जी, लवली जी एक सेकंड। माननीय सदस्य गण सुश्री आतिशी नेता, प्रतिपक्ष एवं श्री संजीव झा से प्राप्त नियम 131 के तहत प्राप्त नोटिस मैंने माननीय शिक्षा मंत्री के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए भिजवा दिया था। इस संबंध में शिक्षा विभाग से उत्तर प्राप्त हुआ है कि 'the information sought does not qualify as papers on Bills. The Bill is based and thus is not covered under rule - 131.' अब माननीय सदस्य अरविंदर सिंह लवली।

श्री अरविंदर सिंह लवली : धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि वो Fixation and Regulation of Fees Act का एक बिल जो है इस विधानसभा में लेकर आए। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंदर वर्षों से चली आ रही एक बहुत बड़ी एनॉमली थी ये कि फी रेगुलाइजेशन के लिए जो है उचित प्रावधान खास करके अनएडिड स्कूल्स के लिए, उस एक्ट का पार्ट नहीं थे। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप वर्षों की चली आ रही इस एनॉमली को जो उस एक्ट को सप्लीमेंट करेगा। आप ऐसी रेगुलाइजेशन फी को मुख्यमंत्री जी और आप लेकर आए हैं पूरी कैबिनेट को और आपको बधाई देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी मुझे लगा था कि यह एक्ट आने के बाद जो है विपक्ष

का भी गंभीर रवैया क्योंकि बार–बार अपने भाषणों में तो कंसर्न शो करते ही है पेरेंट्स के लिए एक्चुअल में हो या ना हो, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन के और जीएसटी एक्ट के बारे में सुन के उसके बाद हमारे दूसरे साथी भी कह रहे थे कि एक मीटिंग है जिसमें जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी फाइनेंस मिनिस्टर जी नहीं गए उस एक्ट में ही लिखा है, मैंने तो उस एक्ट को इससे पहले पढ़ा नहीं। अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद, आपने ऑनलाइन सब कुछ कर दिया। अभी मैंने पढ़ा और हम चर्चा कर रहे थे कैलाश जी और मैं कि इस अमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि तीन जीएसटी की मीटिंग हुई एक 11.07.2023 को, मीटिंग में नंबर 50। दूसरी मीटिंग हुई 52 नंबर 7.10.2023 को, तीसरी मीटिंग हुई 53 नंबर 22.06.2024 को इन तीनों मीटिंग में केवल कॉमन ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर यहीं थी ठीक है कि नहीं? तो मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ नीचा दिखाना चाहता हूं या कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों की गंभीरता दिख रही है। मैं तो बड़े गंभीर रूप से आज डिस्कस करने के लिए एजुकेशन को आया था। जब आप अपने डिपार्टमेंट के प्रति, फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रति गंभीर नहीं है तो आप इस एक्ट के प्रति क्या गंभीर होंगी, जिसकी अमेंडमेंट जो है आप इस सदन के अंदर ले कर आयी हैं। आज जो है निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी 5 महीने से मुख्यमंत्री हैं। आपका हर मुद्दे के ऊपर चाहे वह दिल्ली के अंदर फीस हो, दिल्ली में बारिश आ जाए, दिल्ली में 5–10 मिनट के लिए लाइट चली जाए, दिल्ली में सड़कें जो इतने वर्ष से टूटी हुई हैं, तो आप जिस तरीके से जो है अपने ट्वीट्स और हमला करती हैं। ऐसा लगता है कि 10 साल में तो दिल्ली बड़ी स्वर्ग थी और दिल्ली के लोग जो है दिल्ली के लोगों को आप नासमझ समझ रहे हो कि जिन्होंने आपके पार्टी के मुखिया को भी हरा दिया, आपके दूसरे नंबर के नेता को भी हरा दिया, और जो है 10 साल पहले सब कुछ सही था। अचानक 4–5 महीने में, मैं मुख्यमंत्री जी आपको बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए। आपको बधाई इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आप बिना इस बात की परवाह किए हुए और 10 सालों 11 सालों में जो दिल्ली का हाल आप खराब करके गए, आप उम्मीद कर रहे हैं कि 4 महीने में मुख्यमंत्री जी जो है उसको सबको ठीक कर देंगी। सड़कें जिसके लिए आपके पार्टी के चीफ ने खुद आपको चिट्ठी लिखी। उसके लिए कोई रायशुमारी करी थी उन्होंने उस चिट्ठी लिखने से पहले आपको, कि दिल्ली की सड़कें खराब है,

दिल्ली की सड़कें ठीक कराओ। यह तो मुख्यमंत्री जी को और उनकी कैबिनेट को बधाई है कि वो बजाय इस बात की परवाह किए हुए कि उनको केवल 4 महीने हुए हैं, वो हर काम में इस तरीके से जुटी हुई है जैसे उनकी जिम्मेवारी है। अपने परिवार के लोगों के लिए जो है लड़ाई लड़ रही है। वो ऐसे लड़ाई लड़ रही है जैसे दिल्ली के लोग इनके परिवार हों और आप हर मुद्दे को आपकी पार्टी ऐसे उठा रही है जैसे आपका कारोबार हो। जब भी लड़ाई कारोबार और परिवार में होती है, हमेशा परिवार वाले जीतते हैं यह मैं आप लोगों को जो है कहना चाहता हूं। और कारोबार शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया? कारोबार शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि सबसे पहले शोर आपने मचाया कि पेरेंट्स और अभिभावकों के साथ जो है स्कूल वाले अन्याय कर रहे हैं और जब हमारी सरकार एक बिल लेकर आती है। बिल में आपके सजेशंस हो सकते हैं। बिल के बदलाव करने का जो है ये लोकतांत्रिक परंपरा में विधानसभा में आपका हक हो सकता है कि आप पॉजिटिव सजेशन दें। आप पहली अमेंडमेंट क्या लेके आते हैं? आप अभी तक तो सरकार पे इल्जाम लगा रहे थे कि सरकार ने देरी कर दी, सरकार बिल नहीं लेके आई। सरकार ने इतना टाइम कर दिया। तो आप पहली अमेंडमेंट क्या लगाते हैं? आप पहली अमेंडमेंट लगाते हैं कि Select Committee को दे दिया जाए। तो सिलेक्ट कमेटी को देने का मतलब आप तो चाहती हैं कि यह बिल और देरी से आए, अभी ना आए। तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप अभिभावकों के साथ है कि आप पब्लिक स्कूल वालों के साथ हैं। यह तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। आप अगर उस बिल को देरी से लाना चाहती हैं तो आप सिलेक्ट कमेटी में देने की बात करती हैं। और मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। आशीष जी ने जिक्र किया था मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का और पहली बारी और मेरा सौभाग्य है कि मैं शिक्षा मंत्री था उस समय वो जब बिल आया, वो पहली बार ऐसा ऐसा जजमेंट था कोर्ट का, जो डीओई को सशक्त करता था, जो डीओई को को डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को पहली मर्तबा पावर आई कि वो पब्लिक स्कूल्स के कामों में पब्लिक स्कूल्स की फी रेगुलाइजेशन में, पब्लिक स्कूल से नॉर्म्स में इंटरफेयर कर सकता है। तो वो जो पावर उस हाई कोर्ट के ऑर्डर से मिली थी उस पावर को जो है डिरेल किसने किया? आपने किया तो इसलिए आपका दर्द समझ सकता हूं। आप सिलेक्ट कमेटी को जिसकी सरकार थी, जब वही

केस जिस केस जो पावर डीओई जिससे डेराइव करता था उस पावर को कम करने का काम किस समय हुआ, आपके समय में हुआ। तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी क्या मंशा है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को दिया जाए और इसको जो है लेट किया जाए। मैं उस बात को भलीभांति समझ सकता हूं। मैं आपके अमेंडमेंट्स देख रहा था और उसका जिक्र भी देख रहा था। आप ऑडिट के ऊपर जोर दे रही थी। ऑडिट का तो ऑलरेडी दिल्ली की डायरेक्ट्रेट ऑफ एजुकेशन को मैंडेट है। और आपने तो उस ऑडिट से भाई इसमें जरूरी नहीं है होना। ये जरूरी नहीं है। ये बिल ही आप संजीव जी आपके समझने की प्रॉब्लम यही है आपकी कि इन लोगों ने तुमको 10 साल कुछ सीखने नहीं दिया। अब यह 5 साल सीखने का मौका है। लोकतंत्र में सरकारें आती है, जाती रहती है। तो 5 साल में चीजों को समझो। आपका भविष्य है। हम लोग तो और 5–10 साल राजनीति कर लेंगे। आप लोगों का भविष्य हम चाहते हैं आप ऐसा मत करें जैसा इन्होंने 10 साल किया है। आप कम से कम कभी गलती से पावर में आए तो अच्छी सरकार तो दें। तो ऑडिट का ऑलरेडी प्रोविजन है और यह एक्ट मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? मैंने कहा कि यह एक्ट दिल्ली के मेन स्कूल एजुकेशन एक्ट को सप्लीमेंट करता है। इस एक्ट का कतई मतलब यह नहीं है कि यही एक्ट सब कुछ है। यह उसको सप्लीमेंट करता है दिल्ली के स्कूल एजुकेशन एक्ट को। वो एक्ट जो है पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक्ट है। जब आपका समय आएगा जवाब दीजिएगा और आपको बताता हूं कि ऑडिट जो है दिल्ली के स्कूलों का 2005–06 में शुरू हो गया था। बाकायदा आप शिक्षा मंत्री रही हैं। मुझे मालूम नहीं आतिशी जी को क्योंकि फाइनेंस वाले में तो हमारा एक्सपीरियंस कुछ और रहा है। शिक्षा मंत्री के नाते क्या रहा हो मुझे उसका अंदाजा नहीं है। हालांकि मैं सम्मान बहुत करता हूं आतिशी जी का। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने ऑडिटर्स भी जो है रखे थे और मुझे पता नहीं आपने तो कुछ किया था या नहीं किया था अपने टाइम में। 2005–06 में सेंट कोलंबस जैसे इंस्टट्यूट को डीरिकोग्नाइज कर दिया गया था उनके ऑडिट में कंप्लेंट की वजह से और जब तक उन्होंने अपने अकाउंट्स ठीक नहीं किए थे उनकी रिकॉग्नाइजेशन उनको वापस नहीं की थी इसलिए ऑडिट तो ऑलरेडी जो है डीओई करता है स्कूल्स के अंदर उसका आपको मेंशन जैसे क्योंकि आप लोगों को आदत है ऐसा लगता है दिल्ली के लोगों को आपकी एडवर्टाइजमेंट देख के कि ईडब्ल्यूएस आपने शुरू किया ईडब्ल्यूएस एडमिशन जबकि आपसे कई समय पहले

जो है ईडब्ल्यूएस एडमिशन शुरू था। दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल्स के अकाउंट ऑडिट होंगे। ये पहले से था। दिल्ली के अंदर नेबरहुड दिल्ली के अंदर एडमिशन का क्राइटेरिया होगा ये आपकी सरकार आने से पहले से था। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे ताजमहल भी आप लोगों ने बनाया है शाहजहां ने पता नहीं बनाया है कि नहीं बनाया। उसकी कंस्ट्रक्शन भी जो है आप लोगों ने की थी। चाहे वो विद्यालय कल्याण समिति की बात हो कुछ हो, लेकिन सुरंग हां सुरंग भी बना दी अध्यक्ष जी ये तो आपने अध्यक्ष जी ये तो फांसीघर आपने करेक्ट कर दिया और फांसीघर के बाद अध्यक्ष जी जब आपने मुझे बताया फांसीघर है 5 मिनट के लिए तो मैं ये समझा कि केजरीवाल जी महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लजपत राय, विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल इन सबसे महान थे जो चीज उन्होंने नहीं देखी इन्होंने देख ली। उन्होंने एक बार ऑब्जेक्ट नहीं किया, वो इतने असंवेदनशील थे कि उन्होंने जो है लोकतंत्र का मंदिर वहां चलाना अलॉओ करा दिया जहां फांसी घर था। इन्होंने देख लिया उन्होंने नहीं देखा।

माननीय अध्यक्ष : फांसीघर का बोर्ड हटा दिया गया है वहां।

श्री अरविंदर सिंह लवली : हां तो अध्यक्ष जी शुक्र है आपका। तो अध्यक्ष जी ना केवल आपने हिस्ट्री बचाई है, मैं समझता हूं हमारे उन महान नेताओं के प्रति भी अपनी श्रद्धा और हमने जो है उनके प्रति अपना जो है आभार व्यक्त किया है। तो अध्यक्ष जी मैं यह कह रहा था कि पब्लिक स्कूल्स की अभिभावकों की चिंता कौन कर रहा है? पब्लिक स्कूल्स के अभिभावकों की चिंता वो कर रहे हैं जो सबसे बड़े जिम्मेवार है पब्लिक स्कूल के ग्रोथ का। 2013 के अंदर 2014 में जब 50 दिन की सरकार आई पहली बारी और उसके बाद 2015 और उसमें हुआ। तो इसलिए मैं ज्यादातर 2013 के फिगर्स को कोट करूंगा अध्यक्ष जी अपनी बात में। आशीष जी ने अपने शुरुआती भाषण में कहा था आशीष जी आपने 2003 के बाद का तो जिक्र करा कि 2003 में इतने सरकारी स्कूल थे लेकिन जब इनकी सरकार आई 2013 में इनको धरोहर के रूप में 969 स्कूल्स मिले और 36 स्कूल की बिल्डिंग्स के अंदर काम चल रहा था। यानि जो है ऑलमोस्ट 1000 स्कूल इनको मिले। उसके अलावा आज दिल्ली के अंदर 1061 स्कूल हैं। पूरे 10 साल के अंदर पूरे 10 साल के अंदर वो भी 61 स्कूल वहां है। अध्यक्ष जी 82 प्लॉट्स जो है डीडीए ने दिल्ली की एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो है दिए थे 2013 के अंदर। तो ऑलरेडी मतलब लैंड

पूल था दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास। लैंड पूल होने के बावजूद मात्र केवल 31 नए स्कूल जो है यह 10 सालों के अंदर बना पाए हैं।... एक मिनट राजकुमार जी एक मिनट 31 स्कूल जो है पिछले 10 सालों के अंदर जो है वो बना पाए और अध्यक्ष जी पिछले 10 सालों में पब्लिक स्कूल कितने बढ़े दिल्ली में? 220 । सरकारी स्कूल बढ़ते हैं 31 और दिल्ली में पब्लिक स्कूल बढ़ते हैं 220 और फिर यह कह रहे हैं कि हमें अभिभावकों की चिंता है और आप कह रहे हो कि आप जो है शिक्षा का मॉडल लेके जो है आप जबरदस्त शिक्षा का मॉडल लेकर आए और एक इनसे प्रश्न यह भी पूछना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों के अंदर आपने कितने नए प्लॉट सरकारी स्कूलों के लिए अलॉट करवाए दिल्ली की सरकार के लिए, जो ऑलरेडी 82 स्कूल थे उनमें अभी तक कितने प्लॉट प्लॉट्स वेकेंट है और कितने प्लॉट पेंडिंग है जिसके अंदर आप स्कूल की बिल्डिंग.....

माननीय अध्यक्ष : 82 वेकेंट प्लॉट थे मतलब स्कूल नहीं वेकेंट प्लॉट थे सरकार के पास।

श्री अरविंदर सिंह लवली : वेकेंट प्लॉट का ही वर्ड यूज़ कर रहा हूं अध्यक्ष जी। तो अध्यक्ष जी ये चिंता का विषय है और एग्जैक्ट फिगर अध्यक्ष जी 2012–13 में 1468 स्कूल थे पब्लिक स्कूल और जब ये सरकार छोड़ के गए तो 1682 स्कूल तो पब्लिक स्कूल को जो है कौन जो है बढ़ावा दे रहा है । अध्यक्ष जी, तकलीफ उससे बड़ी यह है कि किसी भी सरकार की बेसिक जिम्मेवारी क्या है? किसी भी सरकार की जो है वो बेसिक जिम्मेवारी यह होती है कि आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन जो है वो ना बढ़े। किसी भी सरकार की बेसिक जिम्मेवारी यह होती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है स्कूल के अंदर आयें। दिल्ली में अरे पब्लिक स्कूलों पब्लिक स्कूलों ने ये अत्याचार क्यों मचाया फीस बढ़ाने का? मैं उसकी बात कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइए। देखिए बड़ा सीरियस डिस्कशन हो रहा है। आपको पूरा टाइम मिलेगा। आप अब बिल्कुल मिलेगा। जो मेरे पास नाम आए हैं मैं आपको मौका दूंगा। प्रोपोर्शनेट जितने सदस्य यहां बोलेंगे उसके प्रपोर्शन में आपको पूरा मौका मिलेगा।

श्री अरविंदर सिंह लवली : अध्यक्ष जी सवाल यह है अध्यक्ष जी ये मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि यह बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह पब्लिक स्कूल वालों ने इतना कहर क्यों

अभिभावकों में बनाया? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का स्ट्रक्चर फेल हो गया इन 10 सालों में। इसलिए इसको भी डिस्कस करना साथ में जरूरी है कि क्यों यह सरकार मजबूर हुई इस बिल को लेके आने के लिए इसलिए इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। तो अध्यक्ष जी किसी भी सरकार की जिम्मेवारी होती है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल आए। अध्यक्ष जी एक एजेंसी है यूडीआईएसई। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि 2013 तक दिल्ली के अंदर ड्रॉप आउट रेट खास करके क्लास वन टू नाइंथ का केवल, आ रहा हूं बिल पे भी आ रहा हूं ना। केवल दो परसेंट था।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। बैठिए आप बैठिए।

...व्यवधान.....

श्री अरविंदर सिंह लवली : अरे भाई पूरी बात तो सुन लो।

माननीय अध्यक्ष : अब तक यह सबसे

...व्यवधान.....

श्री अरविंदर सिंह लवली : इतनी मिर्चें क्यों लग रही है?

माननीय अध्यक्ष : आपके समय में से कटेगा। देख लो अब आप। ये नोट करा जाए जब जब विपक्ष चोर बचाएगा वो उनके समय में से कट जाएगा। बैठ जाइए। आप अपनी बात कहिएगा ना। जब आपका नंबर आएगा आप बताइए। आपको जो क्रिटिसाइज करना है करिए। बैठिए आप। बोलने दो। डिस्टर्ब मत करो पर। डिस्टर्ब मत करो। आप बोलो।

श्री अरविंदर सिंह लवली : इतनी टेंशन क्यों हो रही है? इनका तो मॉडल बड़ा जबरदस्त था।

माननीय अध्यक्ष : ये पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने पूरा विभाग देखा है, वो तो जानकारी दे रहे हैं वो। उनको जानकारी देने दें।

श्री अरविंदर सिंह लवली : अरे मैं तो केजरीवाल मॉडल ऑफ़ गवर्नेंस की तारीफ कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : विभाग की जानकारी दे रहे हैं। अच्छी बात है। इन्फोर्मेशन मिल रही है आपको भी।

श्री अरविंदर सिंह लवली : अध्यक्ष जी

माननीय अध्यक्ष : आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है ना।

श्री अरविंदर सिंह लवली :अध्यक्ष जी माननीय

माननीय अध्यक्ष : सारे सदन को जानकारी मिल रही है। बैठिए आप। बैठिए बैठिए।

श्री अरविंदर सिंह लवली : अध्यक्ष जी। माननीय केजरीवाल जी हार क्या गए इन्होंने तो मुंह ही पलट लिया। उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस को सुनना ही नहीं चाहते ये। वो क्या हो गया चुनाव में हार–जीत होती रहती है तुम्हारे नेता है यार ऐसे मत करो। अध्यक्ष जी, ये पब्लिक स्कूल वालों ने अत्याचार क्यों करना शुरू किया इसलिए करना शुरू किया कि 2009–10 की फिगर दे रहा हूं दिल्ली का ड्रॉप आउट रेट था 2 परसेंट और हमारी बहुत ही एजुकेशन मॉडल वाली सरकार ने दिल्ली का ड्रॉप आउट रेट 2023–24 में कहां छोड़ा? 10.4 परसेंट, 8 परसेंट ड्रॉप आउट रेट बढ़ाने का क्रिमिनल ऑफेंस जिन लोगों ने किया हो, वो आज दिल्ली के अभिभावकों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। वो जो है अपने आप को जो है दिल्ली के अभिभावकों का रक्षक समझने की बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी। जिन लोगों ने यह पाप किया हो कि 2013–14 के अंदर दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल की इनरोलमेंट हो, 17 लाख बच्चे पढ़ते हों और 2019–20 में वह घट के 16 लाख हो गए हो, 1 लाख बच्चे कम हो गए हो, वह जो है इस समय जो है दिल्ली के अभिभावकों की रक्षा की बात करते हैं अध्यक्ष जी। और इन सारे 10 सालों के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ोतरी बच्चों की कहीं हुई हो तो 3,29,000 बच्चे पब्लिक स्कूल के अंदर बढ़े हुए, उसके जिम्मेवार जो है ये लोग हैं। आज पब्लिक स्कूल वालों ने अगर लूट मचाई है तो उसके लिए अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेवार है वो इनका एजुकेशन मॉडल और इनकी 11 साल की नॉन गवर्नेंस एजुकेशन को लेकर वो जिम्मेवार है दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली के अंदर वो लाने की। किसी कोई, कोई तो चीज ठीक की हो। 2013 में सरकारी

स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल कम थे 254 आप कितने छोड़ के गए हो आज 1030 कम है 1030 कम है कोई चीज तो ठीक की हो।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : अरे शांत रहिए, शांत रहिए

श्री अरविंदर सिंह लवली : अध्यक्ष जी नौवीं और 11वीं के तो बहुत लोगों ने बात की। नौवीं और 11वीं के बच्चे, नौवीं 11वीं के बच्चों की बहुत लोगों ने बात की।

.....व्यवधान.....

श्री अरविंदर सिंह लवली : यार इतनी मिर्चें क्यों लग रही है? सुन तो लो यार। अपनी बारी में बात कर लेना।

माननीय अध्यक्ष : अब अगर कोई भी डिस्टर्ब करेगा। देखिए डिस्टर्ब करेगा फिर मैं वार्निंग दे रहा हूं। डिस्टर्ब मत करिए।

श्री अरविंदर सिंह लवली : अध्यक्ष जी। नौवीं, 11वीं के बच्चों की हमेशा बात होती रही है। 2011–12 में।

.....व्यवधान.....

श्री अरविंदर सिंह लवली : मेरे भैया एक भी साबित कर दोगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा असेंबली से नहीं तो तुम कर देना तो या तो तुम कर देना या मैं कर दूंगा बोलो अभी तय करते हैं अगर मेरा एक भी होगा तो मैं कल इस्तीफा दे दूंगा और नहीं तो तुम कर देना इससे ज्यादा क्या हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिये आप।

.....व्यवधान.....

श्री अरविंदर सिंह लवली : तो आठवीं, हां मैं तो कह रहा हूं एक भी दिखाओ कल लो इस्तीफा और ना निकले तो तुम दो।

.....व्यवधान.....

माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री : ये कोई तरीका नहीं है अध्यक्ष जी इनको बाहर निकालिए.....

श्री अरविंदर सिंह लवली : अध्यक्ष जी इसको बाहर निकालिए इसको।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : मार्शल्स अमानतुल्लाह खान को बाहर लेकर जाइए।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मार्शल्स द्वारा मानीय सदस्य श्री अमानतुल्लाह खान को सदन से बाहर किया गया।)

श्री अरविंदर सिंह लवली : अध्यक्ष जी बाहर निकालिए इनको।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : 1 मिनट, 1 मिनट।

माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री : अध्यक्ष जी इनके कार्यकाल में इतनी देर में तो सबको उठा के बाहर फेंक देते थे। कृपया आप इनको बाहर करें। मैं प्रस्ताव करता हूं उनको बाहर करें।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

सदन सांय 6 बजे पुनः समवेत हुआ
माननीय अध्यक्ष (श्री विजेन्द्र गुप्ता)पुनः पीठासीन हुए

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए बढ़ाई जाती है।

यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है वो हां कहे।

जो इसके विरोध में है वो ना कहे।

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

समय 7:00 बजे तक के लिए निर्धारित हो गया।

माननीय अध्यक्ष : शुरू करिए जी।

श्री राजकुमार चौहान : अध्यक्ष जी आपके सामने हाउस में

माननीय अध्यक्ष : जो अच्छा बोलेगा उसे एक मिनट फालतू मिलेगा।

श्री राजकुमार चौहान : आपके सामने

माननीय अध्यक्ष : इनफॉर्मेटिव होना चाहिए। टू द पॉइंट होना चाहिए। डिबेट में होना चाहिए। लच्छेदार भाषण देने के लिए बाहर मंच लगा हुआ है वहां बोलो।

श्री राजकुमार चौहान : आपके सामने हाउस में, सभी सदस्यों के सामने उस सदस्य ने धमकी दी लवली जी को, इसकी कोई ना कोई पनिशमेंट तो होनी चाहिए। अध्यक्ष जी हम लोग कमजोर नहीं है। ये पिछला हाउस भी ना समझे। ये जो पिछला हाउस था ना वो ना समझे। पिछला हाउस भी ना समझे। अध्यक्ष जी हम लोग कमजोर नहीं है। इस तरह से हाउस के अंदर दोबारा धमकी दी तो यहां हाउस से बाहर नहीं जा सकेंगे ये लोग। मैं आपके सामने स्पष्ट लफ्जों में कहना चाहता हूं। अगर वो चाहता हो कि उसके एरिये में जाकर बात करें तो हम वहां भी कर सकते हैं। यह पुराना हाउस नहीं है। मैं यह आपके सामने कहना चाहता था अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्ष : चलिए शुरू करिए।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। बैठिए। देखिए बहुत हो गया अब टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है बैठ जाइए आप। अब आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए चलिए शुरू करिए।

श्री अरविंदर सिंह लवली : अध्यक्ष जी हमारी मंशा जो है वो एक सकारात्मक डिस्कशन की है और यह सदन बना भी उसी के लिए और नेचुरली जो है आप अपना पक्ष रख सकते हैं जब रखना हो लेकिन आप यह कहें कि आप अपना पक्ष रखें और दूसरे के पक्ष की बात नहीं सुनेंगे तो ऐसा लोकतंत्र में और इस हाउस में होता नहीं है। तो अध्यक्ष जी मैं यह कह रहा था कि नाइंथ और 11 क्लास के बच्चों की बात तो सारी दिल्ली ने बहुत की है कि नाइंथ और 11वीं के बच्चों को फेल किया गया। आप अध्यक्ष जी आठवीं का देखिए। अध्यक्ष जी सन 2011–12 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर 100 परसेंट बच्चे जो है वो एट्थ पास हुए थे और हमारे जो महानुभव हैं इनके पैर पड़ते ही जहां–जहां पैर पड़े संतन के वहां वहां बंटाधार, इनके पांव पड़ते ही अध्यक्ष जी 2023–24 की बात कर लेता हूं हालांकि 2016–17 में ही काम कर दिया था इन्होंने तो 2023–24 में अध्यक्ष जी 2,34,894 बच्चों ने एट्थ क्लास के एग्जाम दिए 46,662 बच्चे फेल हुए इन्होंने फेल कर दिए। 46,000 बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फेल होंगे तो वह प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? अगर आज आप पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हो उसके लिए कोई सबसे बड़े जिम्मेवार हो तो आप लोग हो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल का जो है मैं जिक्र कर रहा हूं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी इनरोलमेंट आप घटा दो रिजल्ट आप घटा दो और फिर आप कहो कि हमारा जो है कमाल का शिक्षा मॉडल है जो है। सीबीएसई के अंदर अध्यक्ष जी मैं तो लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहा हूं। सीबीएसई के अंदर पूरे के पूरे रीजन में दिल्ली आती थी दूसरे नंबर पर, चेन्नई फर्स्ट आती थी। बेंगलुरु कभी अजमेर थर्ड हो जाता था। कभी दिल्ली थर्ड हो जाती थी तो पूरे रीजन में दिल्ली थर्ड या फोर्थ नंबर पर रहती थी। आज दिल्ली कितने नंबर पर है? 15वें नंबर पर। बड़ा कमाल का मॉडल है, कल बच्चे बेचारे पब्लिक स्कूल नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगें। तो पब्लिक स्कूल वाले इसीलिए उनको पता है कि कोई रास्ता नहीं है। यह आपका जो है एजुकेशन का जो है मॉडल है और अध्यक्ष जी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि निश्चित रूप से सरकार बधाई की पात्र है और सरकार ने जो है

इस बिल को लाकर जो है वो पेरेंट्स की आवाज को और मैं समझता हूं कि उनकी आवाज को कानूनी जामा पहनाने का काम किया। किसी भी बिल के अंदर कमी हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन उस मंशा को समझना चाहिए, जिस मंशा के साथ बिल लेकर आए हैं। यहां मैं यह उम्मीद करूंगा कि सरकार अभिभावकों की लड़ाई लड़ेंगे, वहां मैं यह भी उम्मीद करूंगा कि इनके ऊपर लगाम कसने के साथ–साथ हमको यह भी जरूर इंश्योर करना चाहिए कि इंस्टिट्यूशन भी एजुकेशन के जिंदा रहें चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूलों का भी जो है, उसके अंदर भी जो है हम लोगों को बढ़ोतरी करनी चाहिए। हमको गवर्नमेंट स्कूल की प्रोग्रेस करनी चाहिए और हमको पब्लिक स्कूल्स में लगाम कसते हुए वह इंस्टीट्यूशन मरे ना इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो यह तो एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं कि पेरेंट्स 10 कर दो उसके बाद वहां पर इलेक्शन कराओ। मतलब एजुकेशन को तो कम से कम पॉलिटिक्स से बाहर रख ही देना चाहिए। इन पर लगाम कसनी चाहिए ये मैं आतिशी जी की बात से सहमत हूं। लेकिन हमें संस्था भी आप हर जगह जो है जो है इस तरीके का माहौल बनाके उस संस्था को भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। हमको जो है वह भी उस उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और और दिल्ली के अंदर जो है सारी की सारी लीग जो है वो लीग को आगे बढ़ाना चाहिए और दिल्ली में बहुत सारी चीजें अध्यक्ष जी आज सिर्फ इसको शिक्षा तक रखना चाहता हूं। फालतू बात करना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद है कि आपके इस बिल के लॉ बनने के बाद दिल्ली के अंदर जो है पेरेंट्स को, अभिभावकों को और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये मेरी अनुरोध है, बहुत–बहुत धन्यवाद, जय हिंद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री हरीश खुराना।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः ये इस पर क्योंकि पक्ष जो है वो, बताइए मंत्री जी

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है वह इस पर जरा बताएं। यह फैसला मतदान से ही होगा । हां जी। ये सदन पर छोड़ रहा हूं मैं। जो आपकी रिक्वेस्ट है मैं सदन पर छोड़ रहा हूं। सदन जो फैसला लेगा वैसे हो जाएगा।

माननीय लोक निर्माण मंत्री(श्री प्रवेश वर्मा): अध्यक्ष जी ये खाली दो मिनट का विषय नहीं है। अध्यक्ष जी खाली दो मिनट का विषय नहीं है। आपके दो लोगों के आने से, आपके दो सदस्यों के आने से वोटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके दो सदस्य के आने से वोटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

सुश्री आतिशी(माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय ने ये बात कही कि सदन आपस में डिस्कस कर ले और इस बात पर अगर इस बात पर अगर चर्चा हो रही है कि उन्होंने कुछ गलत कहा, मेरा सबसे आग्रह है मैं आज कई पक्ष के सदस्यों से इंडिविजुअली भी बात कर चुकी हूं। मेरा मानना है कि कुछ सदन की मर्यादा पर हमें आपसी सहमति बनानी चाहिए। यह तू–तड़ाक की भाषा चाहे पक्ष से आए चाहे विपक्ष से आए वो ठीक नहीं है। परिवार पर टिप्पणी पक्ष से आए विपक्ष से आये, ये ठीक नहीं है तो यह मेरा रिक्वेस्ट है।

माननीय लोक निर्माण मंत्री(श्री प्रवेश वर्मा): अध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने ये प्रस्ताव रखता हूं कि जिन विपक्ष के सदस्यों ने अमानतुल्ला खान और अनिल झा जी ने यहां पर सदन का समय खराब किया है कि कृपया उनको आज के लिए पूरे दिन बाहर रखा जाए।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य हरीश खुराना जी।

.....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः देखिए मैं मैं एक मिनट बैठिए आप अभी जब ब्रेक अभी जो मैंने 5 मिनट के लिए सदन इस विवाद के कारण स्थगित किया था कि विपक्ष को बार–बार कहने के बाद भी चर्चा को जारी नहीं रखने दिया जा रहा था। तो विशेष रूप से मेरे कक्ष में माननीय मंत्री प्रवेश वर्मा जी आए थे और उन्होंने सत्ता पक्ष की मनोस्थिति बताई थी। इस कारण से यह फैसला मैं स्वयं अब लेने में अपने आप को कॉम्पीटेंट नहीं मानता हूं। यह फैसला मेरे को सदन से ही लेना होगा। सदन की जो सेंस होगी उस पर ही काम होगा।

माननीय नेता प्रतिपक्षः माननीय मंत्री जी ने दो दिन पहले मेरे परिवार पर टिप्पणी करी, उन्होंने कहा कपिल मिश्रा जी ने कहा..

माननीय अध्यक्षः एक मिनट आप बैठ जाइए ना। देखिए प्लीज अब आप कितना 10:00 बजे तक बैठेंगे आप यहां? डिनर का इंतजाम करूं क्या यहां पर, बताइए आप? बैठिए आप। हरीश खुराना जी। नहीं अब मुझे कार्रवाई अब अब चर्चा में कोई भी डिस्टर्ब करेगा और चेयर की बात की अवहेलना करेगा उस पर कार्रवाई होगी, अब आगे लगातार होगी।

श्री हरीश खुरानाः आदरणीय अध्यक्ष जी सबसे पहले तो मैं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और एजुकेशन मिनिस्टर आशीष सूद जी को बहुत–बहुत बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आज उन्होंने दिल्ली के अभिभावकों की चिंता करी और जो पिछले कई वर्षों से दिल्ली के अभिभावक मोटी फीस के बोझ तले जो दबते हुए आ रहे थे उन माता–पिता को पीठ सीधी करने का जो आपने आज कार्य किया है इसके लिए आपको बहुत–बहुत बधाई हो, बहुत–बहुत शुभकामनाएं। अध्यक्ष जी पिछले 11 साल से जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर शिक्षा के नाम पर, क्रांति के नाम पर दिल्ली की शिक्षा का बेड़ा गर्क हुआ किसी से छिपा हुआ नहीं है अध्यक्ष जी। आपको याद होगा अध्यक्ष जी कि कड़ी कुंडे की छत जिसमें आप भी कंप्लेंट थे। एक 250 फुट का कमरा, 300 फुट का कमरा जो 4 लाख, 5 लाख में बन जाना चाहिए था, 25 लाख रूपये में इन्होंने दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा स्कूलों के नाम पर ठगा। लगभग ढाई हजार करोड़ रूपये 12,000 कमरों के नाम पर जिस प्रकार से ठगा, आज उनपे इनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। इनको शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने शिक्षा का बेड़ागर्क किया पिछले 11 सालों के अंदर। हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की ये लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार की। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। दिल्ली के अंदर पिछले सदन में मुझे याद है जय भीम–जय भीम के नारे लगे थे। भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान हम भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने जय भीम योजना के अंदर भ्रष्टाचार किया इनको शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर शिक्षा के नाम पर एससी/एसटी लोगों के लिए किस प्रकार से इन्होंने उसके अंदर घोटाले किए, सबके सामने है। 3000 स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट और लगभग 10,000 स्टूडेंट से ऊपर के स्टूडेंट्स के ऊपर का इन्होंने घालमेल कर दिया। इनको शर्म नहीं आई? हर चीज में पैसा, हर चीज में भ्रष्टाचार। भीमराव की बात बाबा साहब की बात करते हैं। अध्यक्ष जी जिस प्रकार से इन्होंने स्कूलों में एक योजना चलाई थी अध्यक्ष जी कि हम लोग फ्री में बच्चों को फॉरन भेजेंगे एससी/एसटी स्टूडेंट को। माननीय रेखा गुप्ता जी इन लोगों की हालत ये है कि

2020–21 में सिर्फ एक बच्चे को इन्होंने विदेश भेजा, एक बच्चे को। 2021–22 के अंदर एक बच्चे को, 2022 में एक बच्चे को, 2023 में दो बच्चों को। टोटल पैसे दिए 25 लाख रूपये और आपने एडवरटाइजमेंट के ऊपर इसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 16 करोड़ रूपये खर्च कर दिए और तुम बात करते हो शिक्षा मॉडल की, शर्म नहीं आती तुम लोगों को और बातें करते हो बड़ी–बड़ी कि हमने शिक्षा में ये कर दिया, शिक्षा में क्रांति ला दी। अध्यक्ष जी जिस बिल का नाम ही ट्रांसपेरेंसी हो वो ट्रांसपेरेंसी लाने वाला बिल है। सबके सामने माता–पिता के सामने उनके हक को दिलाने वाला अध्यक्ष जी, आपका यह है कि इस फीस की बढ़ोतरी अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? ट्रांसपेरेंसी है। आपकी तरह नहीं है, सामने बैठे हुए मेरे विपक्ष के साथियों की तरह नहीं है कि सिर्फ भ्रष्टाचार किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल का? सिर्फ establishment of independent fee requlatory committee, mandate करना submission of financial statements, promote financial transparency through regular audits, protect parents' interest by providing a grievances, and ensure uniform regulation of all private unaided schools, including minority institutions also. आपका भी इंस्टीट्यूशन private institutions है उसको भी करा जा रहा है। पूरे जितने स्कूल हैं सबको उसमें लिया जा रहा है। ये होती है ट्रांसपेरेंसी। ऐसे नहीं होता जैसे आप लोग करते थे पिछली बार। अध्यक्ष जी इनका modus operandi होती क्या थी? इनकी modus operandi होती थी कि एक कमेटी बिठाए उसके अंदर एक स्कूल को बुलाएं, स्कूल को बुलाने के बाद उसको उसकी रिपोर्टें निकालें और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करें। ये होती थी पिटीशन कमेटी की इनकी जो ब्लैकमेलिंग का तरीका होता था। ये हालत है इन लोगों की। और जिस प्रकार से इन्होंने घोटाले किए मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं अध्यक्ष जी ऑडिट किया था अभी ऑडिट की बात करी थी आतिशी जी कि इसमें ऑडिट नहीं है। इन्होंने भेजा है ना कि ऑडिट नहीं है, प्रेस में भी चिल्ला–चिल्ला के बोलीं। जीडी गोयनका स्कूल पब्लिक स्कूल रोहिणी के अंदर पिछले वित्तीय वर्ष 2014 से 15 से लेकर 21–22 तक स्कूल के भवन पुर्ननिर्माण और भवनों की खरीद में 9.73 करोड़ रूपये छात्रों के फंड से ले लिया गया अध्यक्ष जी । ये बात करते हैं ऑडिट में क्या एक्शन लिया इन लोगों ने। पब्लिक

स्कूलों के आज कहते हैं पब्लिक स्कूल क्यों हो, क्योंकि हम फेवर कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया ये बतायें। K R mangalam school स्कूल बस और कार के खर्च के चुकाने के लिए 2.77 करोड़ रूपये खर्च कर दिए गए और छात्रों से पैसे ले लिया गया, कोई एक्शन नहीं क्योंकि modus operandi ये थी पिटीशन कमेटी के द्वारा बुलाओ, उसको ब्लैकमेल करो और उनसे मोटे पैसे लेकर उनको छोड़ दो मेरा ये आरोप है इन लोगों पर। यहां ही नहीं रुकते चाहे वो **Ahlcon Public School** हो, चाहे बाल भवन पब्लिक स्कूल हो, दरबारी लाल डीएवी स्कूल हो, रविंद्र पब्लिक स्कूल हो, *N.K. Bagrodia Public School* स्कूल हो, venkateshwar public school हो, द इंडियन पब्लिक स्कूल हो ये तो कुछ स्कूल है अध्यक्ष जी इनका सिर्फ modus operandi थी पिटीशन के मामले में बुलाओ और सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करो और कुछ नहीं था। ये हालत है इन लोगों की। अध्यक्ष जी ये कहते हैं कि फीस की ऑडिट की बात कहीं नहीं गयी। मुझे लगता है आतिशी जी और मेरे तमाम विपक्ष के साथियों ने उस बिल को पढ़ा ही नहीं, साफ–साफ लिखा है इस बिल के अंदर कि फीस वृद्धि से सबसे पहले माता–पिता करेंगे उसका ऑडिट और किसी के पास नहीं होता तो ये बिल भरने का काम किया जाएगा। स्कूल की टेंडर फीस प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा और अभिभावक फीस मंजूरी समिति बनाकर उसको परखेंगे, पढ़ लेते तो शायद जैसे अभी सेल्फ गोल हुआ इस जीएसटी के मामले में ऐसे सेल्फ गोल नहीं होता।

(समय की घंटी)

श्री हरीश खुरानाः मेरा मानना यह है अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है जी तमाम बातें हुई इसके अंदर डीओई कहते हैं डीओई के अंदर कोई उनको राइट नहीं है। पढ़ लेते तो अच्छा था। ये बिल में साफ–साफ लिखा है आतिशी जी आप पढ़ लेना इसको 11वें नंबर पर Special powers have been given to Director of Education आप कहते हो डायरेक्टर ऑफ़ एजुकेशन को कोई पावर नहीं। क्यों झूठ बोलते हो? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। सौरभ भारद्वाज ने कहा। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के झूठ बोलना ना थोड़ा सा लगता है,

कॉम्प्लीमेंट करता है यह बिल। रिप्लेसमेंट नहीं करता 1973 ये समझना आपको जरूरी होगा आतिशी जी। इसलिए मेरा मानना है।

(समय की घंटी)

श्री हरीश खुरानाः अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय श्री करनैल सिंह जी।

श्री करनैल सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं माननीय मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी का ह्रदय की गहराई से बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इस प्रदेश के हर बच्चे की चिंता की है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह बिल कमरे में बैठकर नहीं बनाया क्योंकि मेरे विधानसभा के अंदर भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दौरा किया चार स्कूलों में मेरे साथ रहे। आप हैरान होंगे कि जो लूट इन लोगों ने मचाई स्विमिंग पूल की जो नीचे की जो जमीन होती है उसके अंदर टाइलों की बजाय प्लास्टिक के कवर को पेंट किया हुआ था ताकि वह टाइल लगे वो हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने हाथ से जब उसको उठाके देखा हमने भी सोचा जब हम स्विमिंग पूल में उतर गए कि टाइल होगी। लेकिन जब देखा तो हमारे खुद के ही पैर उसमें धंस गए। वह प्लास्टिक का तार था सिर्फ तार बची हुई थी। फिर हम दूसरे स्कूल में गए। दीवारों पर जो टाइल लगी होती है उसको तोड़ने के लिए या तो हथोड़े की जो सीमेंट की टाइल होती है या तो उसको तोड़ने के लिए हथोड़े की जरूरत होती है या किसी और मेटल की जरूरत होती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उसको ऐसे मारा ऐसे सिर्फ ऐसे और पूरी टायल नीचे गिर गई पूरी टायल और वो हमारे पास हम इसको सिर्फ बता नहीं रहे हैं राजनीति नहीं कर रहे हैं, हमारे पास उसके कैमरे में रिकॉर्ड है और पूरी मीडिया के पास है। जिस तरह से इन्होंने गरीब बच्चों के साथ धोखा किया जैसा कि अभी लवली जी बता रहे थे कि कितना इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को बिजनेस बनाया। अब आज इस टाइम पहली बार अभिभावकों की अपनी सरकार है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री को बहुत–बहुत धन्यवाद। हमारी मुख्यमंत्री को ह्रदय की गहराई से बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। यह पारदर्शिता का सूर्योदय हुआ है। अब तक स्कूलों की कमाई और खर्च पर ऐसा अंधेरा कुंआ

था जिसमें अभिभावकों की मेहनत की कमाई डूब जाती थी। यह कानून पारदर्शिता का सूर्य उदय है। अब हर स्कूल को अपनी तिजोरी का हिसाब किताब अभिभावकों के सामने रखना होगा और हर एक रुपए का खर्च बताना होगा जिसके बाद फीस पर कोई बात इससे पहले फीस पर कोई बात नहीं होगी। बच्चों के सम्मान की रक्षा का कवच यह कानून बन के आया है। जरा सोचिए उस बच्चे के दिल पर क्या बीतती होगी जब फीस के लिए उसका नाम पूरी क्लास के सामने पुकारा जाता था, उसका आत्मविश्वास टूट जाता था। यह कानून सिर्फ फीस पर नहीं बच्चों पर हो रहे इस मनोवैज्ञानिक अत्याचार पर भी रोक लगाता है। अब किसी भी बच्चे को रिजल्ट रोकने या उसके क्लास से बाहर निकालना सिर्फ एक कानून का उल्लंघन नहीं होगा बल्कि एक दंडनीय अपराध भी होगा। धन्यवाद करता हूं शिक्षा मंत्री जी का। कागजी ही नहीं फौलादी कानून है यह। दिल्ली में बहुत कागजी कानून देखे हैं जिससे स्कूल कभी नहीं डरे, स्कूल के लोग कभी डरे नहीं। यह कानून फौलादी है जिसके पास असली दांत है, नियम तोड़ने का 10 लाख तक का जुर्माना और बार–बार गलती करने पर स्कूल प्रबंधन से छीन लिए जाने की ताकत इस कानून को इतना शक्तिशाली बनाती है कि कोई भी स्कूल अब इसकी मनमानी करने से पहले 100 बार सोचेगा। न्याय का त्रिस्तरीय मार्ग है यह यह कानून।

(समय की घंटी)

श्री करनैल सिंहः यह कानून न्याय के लिए एक त्रिस्तरीय मार्ग राजमार्ग बनाता है। अगर स्कूल स्तर पर अभिभावकों की बात नहीं सुनी जाती तो वह जिला की समिति के पास जा सकते हैं। अगर वहां भी समाधान नहीं मिला तो एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति न्याय करेगी। अब कोई स्कूल भी यह कहकर नहीं बच सकता कि सुनवाई का कोई रास्ता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी लूट में छिपे रास्तों पर ताला लग गया है यह। विविध शुल्क, वार्षिक स्कूल, विशेष गतिविधि शुल्क इन नामों पर पिछली छूट लूट से कहीं छिपे हुए रास्ते थे कानून इन सभी रास्तों पर ताला लगाता है। अब फीस हर एक घटक स्पष्ट रूप से परिभाषित होगा, जो पारदर्शिता है वही लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह लोगों ने ईडब्ल्यूएस

(समय की घंटी)

श्री करनैल सिंहः मुझे एक मिनट और चाहिए। ईडब्ल्यूएस के बच्चों के क्योंकि मेरे यहां पर 14 प्राइवेट स्कूल हैं, जब मैं उनमें उनमें गया तो पता चला निचले स्तर पर बड़े–बड़े सेठों के लोग ईडब्ल्यूएस के नाम पर जो धोखा होता था उनमें दाखिला लेते थे और कराने वाले कौन थे इनके मंत्री फोन करते थे कि इस बच्चे को ईडब्ल्यूएस में दाखिला ले लीजिए मैं प्रूफ दे सकता हूं। दूसरी बात यह लोग जो प्रशिक्षण के नाम पर डेलीगेशन लेके जाते थे उसके अंदर कभी कोई काम नहीं हो पाया। जैसा कि अभी हरीश जी ने बताया कि कितने बच्चों को यह बाहर लेकर गए। एक–एक बच्चों पर उनके ढकोसले करते रहे और उसके ऊपर 16 करोड़ रुपए जो इन्होंने खर्च किए उसके लिए बहुत बड़ी शेम की बात है। उन अभिभावकों का कितना दिल दुखा होगा कि उनके गाढ़ी कमाई से यह लोग स्कूलों पर नहीं अपनी एडवर्टाइजमेंट पर लगाते थे। ऐसा इनके ऊपर ऐसी गहरी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। शिक्षा मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं इन्होंने अच्छा कानून बनाया और अध्यक्ष जी आपका भी बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे बोलने का मौका दिया। जय श्री राम।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झाः बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं उम्मीद करता हूं कि सात मिनट का समय हमें देंगे ताकि इसको कंप्लीट कर लें।

माननीय अध्यक्षः पांच मिनट का, उनको भी मैंने पांच मिनट दिये हैं।

श्री संजीव झाः मैं पहले लाइटर नोट में एक बात कह दूं। मैं बड़ा रिगार्ड करता हूं पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली जी का। लवली जी ने बातों बातों में अपनी कांग्रेस सरकार की सारी अचीवमेंट गिना गए और सता पक्ष के सभी लोगों ने तालियां बजाई। आपने 19 मिनट का समय दिया। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप का भी, आप आप सब ये मानते थे कि कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही थी इसलिये अभी उपलब्धि गिना रहे थे। अब दूसरी बात।

श्री सूर्य प्रकाश खत्रीः आपसे अच्छी थी।

माननीय अध्यक्षः एक मिनट एक मिनट सूर्य जी प्लीज।

श्री संजीव झाः बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अध्यक्ष महोदय दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल मानसून सत्र में आया है, अगस्त में आया है। अध्यक्ष जी इस पूरे सदन को ज्ञात होगा कि जब सरकार बनी, सरकार बनते ही प्राइवेट स्कूल के फी अचानक बढ़ने लगे और पेरेंट्सों के बीच हाहाकार मचने लगा, पेरेंट्स जगह–जगह प्रोटेस्ट करने लगे। मंत्री जी से मिले, कई विधायक से मिले, मुख्यमंत्री जी को ही मैंने देखा मैं धन्यवाद करता हूं कि कुछ पेरेंट्स पहुंचे उन्होंने डायरेक्ट फोन किया प्राइवेट स्कूल्स में। लेकिन इनके फोन करने के बावजूद प्राइवेट स्कूल ने किसी का ना सुना, जिन बच्चों के लिए फोन किया उन बच्चों को फी बढ़ने के कारण क्योंकि फी नहीं दे पाए तो उसको अंदर स्कूल नहीं जाने दिया। ये अच्छी बात है कि आशीष सूद जी ने संज्ञान लिया और कहा कि हम इसकी ऑडिट कराएंगे और ऑडिट एसडीएम करेगा। मुझे लगा कि ये ऑडिट होगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। एसडीएम की ऑडिट हुई, उस ऑडिट का रिपोर्ट क्या था किसी को पता नहीं चला। हमने जब रूल 131 में डॉक्यूमेंट मांगा तो इन्होंने कह दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आखिर छुपाने का मकसद क्या है? दूसरी बात कि अभी उस समय में इन्होंने कहा कि हम विशेष सत्र बुलाएंगे इस पर। हम इंतजार कर रहे थे कि सत्र बुलाया जाएगा, कुछ ना कुछ ठोस होगा। विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। फिर उन्होंने कहा कि हम ऑर्डिनेंस लाएंगे। हम इंतजार कर रहे थे ऑर्डिनेंस का, ऑर्डिनेंस भी नहीं आया। फिर उन्होंने बिल बनाया और ये जो दिल्ली एजुकेशन बिल है ये पब्लिक प्लेटफार्म पर नहीं गया तो जनता से राय नहीं ली गई, पेरेंट्स से राय नहीं ली गई, किसी एक्टिविस्ट से राय नहीं ली गई। तो आखिर ये छुप छुपाकर बिल क्यों बन रहा था? अगर आपको मानसून सत्र में ही लाना था, आपके पास लंबा समय था। आप उसको वेबसाइट पर डालते, लोगों से राय ले लेते, लोगों से समझ लेते तो यह बिल और अच्छा बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे यह लगता है कि इसके कारण थे कि आखिर यह अगस्त में क्यों आया? यह अगस्त में इसलिए आया कि तब तक दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूल ने फी अपना बढ़ा लिया। अब इस बिल के जरिए उस स्कूल के बढ़े हुए फी को प्रोटेक्शन दे दिया गया। आप अध्यक्ष महोदय जब मैं इस बिल को पढ़ रहा था तो सेक्शन टू का सब क्लॉज़ टू पढ़ा एग्रीव्ड पेरेंट्स। इन्होंने कहा कि अगर आपको कंप्लेंट करना है तो 15 परसेंट पेरेंट्स की जरूरत है। यानी अगर बढ़े हुए फी की शिकायत हमें करनी है, 4000 बच्चे हैं तो हमें 600 पेरेंट्स के पहले घर जाएंगे, उनसे साइन करवाएंगे, फिर हम

कंप्लेंट कराएंगे और फिर उसकी लिमिटेशन पीरियड क्या है? तो मैं यह देख रहा था कि एग्रीव्ड पेरेंट्स ग्रुप में within 30 days prefer appeal against the decision of school level fee regulation committee. 30 दिन के अंदर ही करना है वरना लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाएगा आपका। अब ये 600 पेरेंट्स को घूमते–घूमते तो छः महीने लग जाएंगे। तो फिर आप क्यों शील्ड कर रहे हैं और किसको बचा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं सेक्शन यह टू का सब क्लॉज सिक्स देख रहा था फी का डेफिनेशन था। मुझे लगता है कि अगर आपकी मंशा वास्तव में पेरेंट्स को बचाने की होती, बहुत सारे घोस्ट फी होते इस प्राइवेट स्कूल्स के डोनेशन के नाम पर, कभी इवेंट के नाम पर, कभी टूर के नाम पर उसको ऐड कर देते। आपने कहा ऑडिट की ऑडिट कहीं है ही नहीं। अभी मैं सुन रहा था। लवली जी ने कहा कि यह सप्लीमेंट है प्रीवियस कानून का। मैं फिर से पूरा कानून बैठे–बैठे पढ़ लिया। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट है प्रीवियस कानून का। अध्यक्ष महोदय हम केवल सब्जेक्ट पर ही बात कर रहे हैं। तो मुझे यह लगता है कि जब आप अगर ऑडिट ही नहीं होगी और अभी खुराना जी कह रहे थे पेरेंट्स ऑडिट करेंगे। अरे पेरेंट्स कैसे ऑडिट करेंगे भाई? तो अगर आपकी मंशा पेरेंट्स को बचाने की होती तो सबसे पहले उसका ऑडिट होता क्योंकि मान लीजिए एक स्कूल अपने एक्सपेंडिचर में उसी पहले पेरेंट से ले लेता है टूर का खर्चा, इवेंट का खर्चा और फिर अपने एक्सपेंडिचर में भी डाल देता है कौन इसको ऑडिट करेगा, कौन पता करेगा तो एक्सपेंसेस तो ज्यादा हो गया ना जो इसमें नहीं है फी के डेफिनेशन में आपके तो इसका मतलब यह है कि आप स्कूल को मनमानी आप करने दे रहे हैं। फिर मैंने देखा कि ये स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी में कौन–कौन होगा। चेयर पर्सन कौन होगा? रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, सेक्रेटरी कौन होगा? प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, मेंबर तीन टीचर पांच पेरेंट्स। एक ऑब्जर्वर। अब ये लोग पेरेंट्स के हित में बनाएंगे या पेरेंट्स के अगेंस्ट बनाएंगे। फिर District Level Committee बना दी आपने। उसमें भी तमाम इनके लोग। रिवीजन कमेटी तमाम इनके लोग और आश्चर्य की बात यह है अभी वो सब क्लॉज़ 11 की बात कर रहे थे। सब क्लॉज़ 11 में कमाल हो गया। पूरी पावर आपने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को दे दिया। अब मैं एक बात आपको बताता हूं। अज्यूम कीजिए कि इस सरकार में शिक्षा मंत्री और डायरेक्टर कंप्रोमाइज हो

गया। मैं सर्च कर रहा था ऐसे कि दिल्ली में लगभग 16 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। मान लीजिए 1000–1000 फी बढ़ा दिया 1600 करोड़ हो गया। अगर 150 करोड़ मान लीजिए अंडर टेबल चला गया तो पूरा का पूरा बिल पेरेंट्स को नहीं बचा सकता। पूरा का पूरा बिल उन सभी स्कूलों को बचा सकता है। और आश्चर्य की बात ये है एक बस क्लाज। एक क्लाज बस मैं खत्म कर दूंगा कि इस : Jurisdiction of Civil Courts barred एक बात बताइए आप कॉन्सिटट्यूशन का आर्टिकल 13 और केशवानंद भारती के केस में कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यु जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप जुडिशियल रिव्यू कैसे रोक सकते हैं भाई? यानि मैं इसलिए कहा कि अगर शिक्षा मंत्री कंप्रोमाइज हो गया तो पूरे रिवीजन कमेटी से लेकर स्कूल के कमेटी सारे इनके लोग हैं। हम कोर्ट जा ही नहीं सकते। बड़ा अजीब बात। पहला कानून हमने ऐसा देखा। जिस कानून में।

माननीय अध्यक्षः चलिये, थैंक्यू।

श्री संजीव झाः शिक्षा मंत्री जी ने लोगों को कोर्ट जाने से ही रोक दिया। तब मैं कह रहा हूं कि यह जो बिल है आपका। अध्यक्ष महोदय ऐसे कैसे होगा?

माननीय अध्यक्षः देखो आपने 7 मिनट बोला था ना सवा सात मिनट हो गए।

श्री संजीव झाः 19 मिनट बोले थे। कुछ तो हम तो फैक्ट पर बात कर रहे हैं। ये प्राइवेट बिल पर बात हो रही थी। हर सरकारी स्कूल पे गाली दे रहे हैं हमें।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री अशोक गोयल। आपने जितना समय मांगा पांच मिनट से मैंने उतना ज्यादा दे दिया।

श्री संजीव झाः मुझे लगता है कि इस बिल के बारे में इस बिल के बारे में दिल्ली के सभी पेरेंट्स को जानना जरूरी है कि इस बिल के ज़रिए किस तरह से एक्सटॉरशन पेरेंट्स को हो रहा है और किस तरह से।

माननीय अध्यक्षः चलिये धन्यवाद, ठीक है धन्यवाद, अशोक गोयल जी शुरू करें। चलिये। अब बैठिए ना।

श्री अशोक गोयलः माननीय अध्यक्ष जी आपने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और

शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद जी का इस ऐतिहासिक बिल के लिए अभिनंदन करता हूं जिन्होंने दिल्ली के निजी स्कूलों की जो मनमानी फीस वसूली पर नकेल कसने के लिए यह ठोस और जन हितकारी Delhi School Education Transparency in Fixation and Regulation Bill 2025 लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी जब मैं 8 फरवरी को रिजल्ट आया, विधायक बना उसके दो–तीन दिन बाद ही मेरे क्षेत्र के पास ही एक North Ex मॉडल टाउन है। छः–सात स्कूल है वहां पर, मैंने देखा कि उसके तीन–चार दिन के बाद ही लगातार पेरेंट मेरे यहां आने लग गए और उन्होंने कहा कि हमारी फीस बढ़ गई है 20 परसेंट, 15 परसेंट तो मैंने सोचा कि यह क्या हुआ? मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी फोन किया। इन्होंने कहा कि डीओई से हम भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। फिर मैंने जानकारी ली कि इस साल भी 20 परसेंट और 15 परसेंट फीस बढ़ी है। इससे पिछले वर्ष भी बढ़ी थी और उससे पिछले वर्ष भी बढ़ी थी। तो मैंने कहा जब इतना प्रोटेस्ट आपने तुरंत कैसे किया? जब पिछले साल फीस बढ़ी 2024 में और 23 में तब क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा यह जो पिछली सरकार थी इससे हमें कोई उम्मीद नहीं थी और अब यह रेखा गुप्ता की सरकार बनी है इसलिए उम्मीद है इसलिए हम आपके घर आए हैं। मैं माननीय मंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं के जिस तरह से वो लोग रो रहे थे के लगातार पिछले दो वर्ष उनकी फीस बढ़ती रही। वो रोते रहे, चिल्लाते रहे और मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उनके सामने चुप और गूंगी बहरी सरकार बनकर रही। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने और आशीष सूद जी ने यह जो बिल लेकर आए हैं, मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूं और पूरी दिल्ली के अभिभावक इनका धन्यवाद करते हैं। यह विधेयक सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं है यह लाखों अभिभावकों की उम्मीदों की आवाज है। जो जो अभिभावक दौड़ते रहते थे, जो अभिभावक लगातार अपनी फीस के वृद्धि के लिए चिल्लाते रहते थे, आज यह एक उम्मीद उनके लिए बनकर आया है। आज फीस बढ़ाने का जो अधिकार है वो पेरेंट्स के पास है। प्रेम चौहान जी कह रहे थे कि पेरेंट्स कम है। इन्होंने बिल ही नहीं पढ़ा। पांच पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर है और पांच स्कूल के हैं और एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का है और ये युनानिमस डिसीजन अगर होगा तो ये फीस बढ़ेगी। अगर आपने यह विधेयक पढ़ा होता तो आप ही रेखा गुप्ता जी का और आशीष सूद जी का धन्यवाद करते प्रेम चौहान

जी, आपने यह बिल ही नहीं पढ़ा। और इसमें पारदर्शिता है। एक–एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा फीस बढ़ाने से पहले कि किस–किस हेड पर खर्चा किया जा रहा है और तभी फीस बढ़ पाएगी। बच्चों के सम्मान का रक्षा कवच है यह। मैं देख रहा था कि जब फीस बढ़ती है पेरेंट जब फीस नहीं दे पाता है और जब बच्चे को बेंच के पीछे खड़ा कर दिया जाता है या क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है या उसका जब रिजल्ट हेल्ड अप कर लिया जाता है वो जब बच्चा रोता है और उसके पेरेंट्स जवाब नहीं दे पाते अपने बच्चे को कि ये बढ़ी हुई फीस मैं कहां से दूं। कितने सालों से यह चल रहा था। आप लोग बात करते हो बच्चों की फर्जी शिक्षा क्रांति की, फर्जी शिक्षा क्रांति के जनक की लेकिन ये जब बच्चे रो रहे थे, डेस्क के बाहर खड़े कर दिए गए थे आपने इनकी चिंता नहीं की, अगर चिंता की है तो रेखा गुप्ता की सरकार ने की है। ये बिल उन लाखों बच्चों के हितों की रक्षा करेगा। ये आर्थिक स्थिरता का वरदान है। 3 साल में एक ही बार बढ़ेगी, पेरेंट अपना बजट बना सकता है। उसको पता है कि मुझे कितनी फीस देनी है और संकट के वक्त भी यह जो हमारे पेरेंट है उनकी ढाल बनेगा। कोरोना आया उसके अंदर भी लूट लेकिन इसमें ये दिया गया कि सरकार ऐसे वक्त पर काम करेगी।

''शिक्षा बिके बाजार में यह अब मंजूर नहीं।
शिक्षा बिके बाजार में अब ये मंजूर नहीं,
बच्चों के सपनों का सौदा हो यह अब मंजूर नहीं।
अब किसी मध्यम वर्गीय पिता के बच्चों की सपनों की उड़ान दूर नहीं।''

ये रेखा गुप्ता जी की सरकार करेगी। मैं, माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं के पिछली सरकार में जो 16 लाख बच्चे इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, इनके हितों से समझौता किया गया। इनको स्कूल लूटता रहा, सरकार चुप रही, अभिभावक चिल्लाते रहे, गुहार लगाते रहे लेकिन यह लूट और झूठ की सरकार लगातार सोती रही क्योंकि स्कूल मनमानी करता रहा लेकिन अब यह नहीं होने वाला। अब इस बिल के अंदर माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान किया है, 5 लाख रूपये का फाइन, फिर 10 लाख रूपये का फाइन। उसके बाद भी अगर स्कूल ने मनमानी की तो उसको डीरिकग्नाइज और मैनेजमेंट सरकार अपने हाथ में ले सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अब नहीं चलेगा अब नहीं चलेगा शिक्षा व्यापार का

अड्डा। अब नहीं चलेगा शिक्षा व्यापार का अड्डा अब चलेगा रेखा गुप्ता की सरकार का ईमानदारी का डंडा।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री अशोक गोयलः माननीय अध्यक्ष जी मैं इस ऐतिहासिक बिल के लिए पूर्ण समर्थन करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि इस विधेयक से दिल्ली में शिक्षा का एक नया युग प्रारंभ होगा। बहुत–बहुत धन्यवाद, बहुत–बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य सूर्य प्रकाश।

श्री सूर्य प्रकाश खत्रीः आदरणीय अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस साहसिक एवं ऐतिहासिक कदम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। यह कदम केवल एक नीतिगत परिवर्तन नहीं है बल्कि यह दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में एक सकारात्मक क्रांति है। एक ऐसा सुधार है जिसे पिछली सरकारें कभी नहीं कर सकीं। पिछली सरकारों ने बाहरी ढोल पूरे भारत में पीटा कि हमने स्कूल की दशा व दिशा को बदल दिया है। अध्यक्ष जी मैं सामने बैठे हुए समस्त विपक्ष को आमंत्रित करता हूं कि यह चलकर देखें कि दिल्ली में इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या है। आज दिल्ली के अंदर जो इनके अंतर्गत स्कूल आते थे सभी स्कूलों की आज जर्जर हालत है। आज भी मेरे इलाके में स्कूल टीनों कें अंदर चल रहे हैं लेकिन इन्होंने उन स्कूलों की मरम्मत, उन स्कूलों की दिशा सुधारने की बजाय इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लेकिन इनको स्कूलों को देखने नहीं आए। अध्यक्ष जी मैं यह कहना चाहूंगा मैं आज सदन में विपक्ष से एक सीधा और ईमानदार प्रश्न करना चाहता हूं। यह अपने दिल पर हाथ रख के कहें क्या आपके पास कभी दिल्ली के अभिभावक अपनी पीड़ा को लेकर नहीं आए? क्या आप इस दिल्ली के वासी नहीं है? क्या आप लोग दिल्ली के अलावा किसी और स्टेट में रहते हैं? आपके स्कूल और दिल्ली में हमारे स्कूल अलग–अलग हैं? क्या आपके पास आपकी क्षेत्र की जनता नहीं आती, कि उनके साथ उनके बच्चों के साथ स्कूलों के अंदर क्या व्यवहार होता है? ये अपने आप से पूछ के देखो, अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखो। लेकिन आज जो कदम मेरी मुख्यमंत्री जी ने और मेरे शिक्षा मंत्री जी ने एक क्रांति के रूप में दिल्ली के अंदर जो 1973 के बाद मैं पूछता हूं इस बिल के अंदर कभी अमेंडमेंट नहीं हुआ। आप लोग सत्ता में 2013 से आए थे। यह मौका आपके पास भी था। आपने

2013 से लेकर 2025 तक आपने कभी अमेंडमेंट लाने की चिंता करी जो आज आप बैठकर यहां शोर कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी बोल रही थी आपका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि किस तरीके से हाउस को डिस्टर्ब करना है और दिल्ली की चलती हुई सत्ता को रोकना है, दिल्ली के विकास को रोकना है लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मोदी जी के राज में हम लोगों को दिल्ली की जनता ने एक मजबूत सरकार दी है। कोई ताकत नहीं है, दिल्ली के विकास को रोकने में आप लोग कभी भी सफल नहीं होंगे। अध्यक्ष जी यह विधेयक कोई साधारण दस्तावेज नहीं है। यह दिल्ली के बच्चों के भविष्य की नींव है। इस बात का संकल्प है कि शिक्षा को व्यापार नहीं बनने दिया जाएगा बल्कि यह बच्चों का एक मौलिक अधिकार बनकर कायम रहेगा। यह नीति स्कूल की बैलेंस शीट पर नहीं बच्चों के आत्मविश्वास के ऊपर आधारित है। अध्यक्ष जी दिल्ली सरकार का यह कदम सुनिश्चित करता है। शिक्षा का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर पीढ़ी का निर्माण करना है। अध्यक्ष जी हमने कोरोना काल में देखा कि संकट के समय बहुत सारे स्कूल और भी निर्मम हो गए थे और यह कानून भविष्य के हर संकट में अभिभावकों की ढाल बनेगा। महामारी हो या आपदा, सरकार के पास फीस को नियमित करने की शक्ति होगी ताकि मुश्किल समय में कोई भी स्कूल अभिभावकों का फायदा ना उठा सके। अध्यक्ष जी इतिहास में पहली बारी दिल्ली का अभिभावक अब एक मूकदर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक के रूप में कार्य करेगा। यह कानून हर स्कूल में अभिभावकों की अपनी सरकार बनाता है। एक ऐसी समिति जिसमें स्कूल का प्रबंधन के बराबर पांच सदस्य अभिभावक होंगे। अब फीस का फैसला बंद कमरों में नहीं होगा बल्कि उन लोगों की मौजूदगी में होगा जिनके बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। यह सत्ता का हस्तांतरण है जो कि अभिभावकों के हाथ में है। हर साल अप्रैल के महीनों में अभिभावकों के दिमाग में दिल में एक डर बैठ जाता था कि इस साल बच्चों की फीस कितनी बढ़ेगी, पर यह कानून उस सालाना डर को खत्म करता है। एक बार फीस तय होने के बाद 3 साल तक फीस में कोई बदलाव नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ी अभिभावकों के लिए आर्थिक स्थिरता का एक वरदान है। जहां तक इसके अंदर अगर कोई सहमति नहीं बनती, जिस तरीके से हम लोगों के पास आम नागरिकों के पास एक मौका होता है वो अपनी बात को पहले लोअर कोर्ट में कह सकते हैं। लोअर कोर्ट में न्याय नहीं

मिलता वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता तो वह सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं।

(समय की घंटी)

श्री सूर्य प्रकाश खत्रीः इसी तरीके से अध्यक्ष जी इनको भी एक मौका अभिभावकों को स्कूलों में समिति बना कर दिया गया। मैं जरा यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी एक बारी खुद अपने आप को बचपने में ले जाकर अगर हम सब लोग देखें। चाहे, चाहे कितने ही विधायक यहां बैठे हैं, चाहे कितने ही अफसर बैठे हैं जब हम स्कूल में थे, टीचर जब कोई नाम लेता था तो उस समय में हमारी हालत क्या होती थी? हमारी वो पोजीशन कि आज मैं फीस नहीं लेके आया घर से, आज स्कूल के अंदर हमारे साथ क्या होगा, उस क्षण को याद करें। उस क्षण को ताकि वह बच्चा उस दौर से दोबारा ना गुजरे उसके लिए यह कानून बनाया गया है। अध्यक्ष जी अब यह थ्रैट नहीं है कि बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, बच्चे को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, बच्चे का रिजल्ट रोक दिया जाएगा।

(समय की घंटी)

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री सूर्य प्रकाश खत्रीः मैं अध्यक्ष जी इसी बात के साथ ही अपनी बात को यहां विराम देता हूं। लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जिस तरीके से पहले भी यहां पर विपक्ष रहा है और यह तो बहुत पुरानी लेकिन मैं विपक्ष की जो हमारी प्रतिपक्ष नेता है उससे कभी भी मैं एक अमानवीय व्यवहार की अपेक्षा नहीं करता। कल मेरी मुख्यमंत्री जी का अगर गला किसी वजह से सूख गया, उन्होंने अगर थोड़ा सा पानी पी लिया, आपके अंदर इतनी संवेदना नहीं है कि आप पानी पीने के ऊपर जो हमारे धर्म के अंदर ये हमें सिखाता है, हमारे संस्कार के अंदर है। अगर आपको ये प्यास लगी होती तो मैं चाहे चार बोतल ला के आपको देता आप कहते, लेकिन आपने जो कल टिप्पणी करी ये बड़ी शर्मनाक टिप्पणी थी।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः चलिए धन्यवाद। हो गई बात। अब माननीय सदस्य– जरनैल सिंह जी।

श्री सूर्य प्रकाश खत्रीः और उम्मीद करता हूं कि दोबारा ऐसा....

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री जरनैल सिंहः थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, दा दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल जिसमें ट्रांसपेरेंसी एंड फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस पे चर्चा हो रही है, इस चर्चा में समय देने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। स्पीकर साहब, भाजपा की दिल्ली सरकार बनते ही एक वर्ग के अंदर बड़ी विशेष खुशी देखी जा रही थी और वो वर्ग था प्राइवेट स्कूल के मालिकों का वर्ग। तो उस वर्ग की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए इस बिल को लाया गया है। बहुत सारी प्रेम कहानी हमने सुनी है सर, जिसमें लैला–मजनू की कहानी सुनी है, रोमियो–जूलियट की कहानी सुनी है, हीर–रांझा की कहानी भी सुनी है, सोनी–महिवाल की कहानी सुनी है। एक नई कहानी जो अब सुनने को और देखने को मिली है, वो है भाजपा का यह स्कूल मालिक प्रेमी शिक्षा विधेयक, मतलब सारी दुनिया को परवाह ना करते हुए सिर्फ प्राइवेट स्कूल के मालिकों की परवाह की गई है, भई जो मर्जी अंजाम हो, जैसा लैला के साथ मजनूं का प्यार था, भई सारी दुनिया एक तरफ है पर तू मेरे लिए एक तरफ है, ऐसा ही भाजपा सरकार के लिए प्राइवेट स्कूल के मालिक एक तरफ है और लाखों अभिभावक एक तरफ दरकिनार कर दिए गए जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं।

स्पीकर साहब, रॉलेट एक्ट की बात हो रही थी दो दिन पहले, तो सर, सिडनी रॉलेट ने एक एक्ट पेश किया जिसके अंदर इसी तरीके के कुछ प्रावधान पेश किए गए थे। उसमें पहला प्रावधान यही था कि किसी को भी बिना मुकद्मे के जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरा प्रावधान यह था कि बिना वकील और बिना अपील का मतलब वकील और अपील का उससे हक छीन लिया जाएगा। तो यह जो दिल्ली एजुकेशन बिल है यह अपने आप में किसी भी सूरत में रॉलेट एक्ट से कम नहीं है, दिल्ली के अभिभावकों के लिए यह रॉलेट एक्ट ही है। सर, बार–बार हम एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं, दिल्ली के अभिभावक लगातार पिछले तीन दिन से मुझसे भी मिल रहे हैं कि हमारे बच्चे इतने सालों से पढ़ रहे हैं, एक एवरेज अभिभावक 8, 10, 15, 20 बच्चों के पेरेंट्स से ज्यादा किसी को नहीं जानता, ये भी वो जिनका सोशल दायरा अच्छा है। स्कूल

में जैसे हमारे संजीव भाई ने बोला कि अगर 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी ऐसा अभिभावक नहीं होगा जो 600 अभिभावकों को जानता होगा, सर, किस तरीके कंप्लेंट होगी, आपने तो कंप्लेंट का हक ही छीन लिया। मान लिया चलो जी आपके इस बिल के खिलाफ आप मान रहे हो जी कोई भी शिकायत नहीं करेगा। पर अगर कोई शिकायत करना भी चाहे, आपने तो सर, उसके भी हाथ काट दिए। कैसे कोई, आप बताओ तो सही क्या तरीका है? आप, इतने सारे आपके भी बहुत सारे सदस्यों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे होंगे, आप ही बता दो आप कितने अभिभावकों को जानते हो? क्या एक भी सदस्य चैलेंज से कह सकता है कि हां मैं अपने स्कूल के 600 अभिभावकों को जानता हूं तो मैं मान लेता हूं आपकी बात सही है। कंप्लेंट करने का हक ही आप छीन ले रहे हैं सर, आपने आवाज ही खत्म कर दी पेरेंट्स की।

तीन स्तरों में आप कह रहे हो जी कमेटी को बांट लिया। पहले विद्यालय स्तर की कमेटी है, 11 मेंबर है, 11 में से मेजॉरिटी 6 मेंबर स्कूल के मैनेजमेंट के ही आपने डाल दिए, पांच पेरेंट भी जो इलैक्ट होकर आएंगे, जो अभिभावक, अभिभावक संघ में हैं वो इस कमेटी में आएंगे, अभिभावक संघ बनेगा पहले, उसमें भी स्कूल अपनी मर्जी से पिक करेगा, भई आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, जो हमारी हां में हां मिलाओ, जो हमने सब्सिडाइज कर रखे हैं उनको आ जाओ और उसके बाद वो कमेटी जो फाइनल करेगी, वो फाइनल होगा। तो पूरी तरह ये जो कमेटियां आपने बनाई हैं इसमें स्कूल के अभिभावकों की भावना से बिल्कुल ये दूर रहेंगी, किसी भी तरीके स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उनकी भावना इस कमेटी में नहीं आ सकती। जिला स्तर की कमेटी है, टोटल दस मेंबर हैं, आठ मेंबर्स आपके मैनेजमेंट के हैं शिक्षा विभाग के हैं, बाकी दो मेंबर्स पेरेंट्स की तरफ है, वो भी जो स्कूल चाहेगा, वही आएंगे। संशोधन समिति है, छह मेंबरों की समिति है, सिर्फ एक मेंबर है समिति में जो पेरेंट्स की भावनाएं रख सकता है, वो भी वो मेंबर आएगा जो स्कूल भेजेगा।

तो सर किस तरीके का ये बिल आप पेश कर रहे हैं, इससे तो मतलब हमने पिछले 11 सालों में बड़ी मेहनत से स्कूलों को फीस बढ़ाने से रोक रखा था। 550 स्कूलों ने सर फीस वापस करी है, 550 स्कूलों ने फीस वापस करी है बढ़ी हुई, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल की सरकार में

मुमकिन था क्योंकि हमारी जवाबदारी, हमारी सरकार प्राइवेट स्कूलों के मालिकों से चंदा लेकर नहीं बनी थी,

(समय की घंटी)

श्री जरनैल सिंहः हमारी जवाबदारी प्राइवेट स्कूलों के मालिकों को नहीं है, हमारी जवाबदारी उन लाखों अभिभावकों के लिए है जिन्होंने हमारे को चुनकर यहां भेजा है। पर आप धोखा कर रहे हो। आपको भी बोर्ड डाली होगी उन लोगों ने जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं पर भाजपा की दिल्ली सरकार ने उन सब अभिभावकों की पीठ में छुरा मारने का काम किया है यह बिल लाकर।

माननीय अध्यक्षः चलिए, धन्यवाद।

श्री जरनैल सिंहः ये स्कूल मालिक प्रेमी विधेयक का सर हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं।

माननीय अध्यक्षः चलिए धन्यवाद, बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री चंदन चौधरी जी।

श्री चन्दन कुमार चौधरीः आदरणीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने शिक्षा बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। ''जब अंधेरा घना हो तो दीपक जलाना पड़ता है और अन्याय जब बढ़ जाए तो न्याय का संकल्प उठाना पड़ता है।'' मैं आज इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनते हुए इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री– रेखा जी का एवं माननीय शिक्षा मंत्री– आशीष सूद जी का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने दा देहली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 को लाकर लाखों माता–पिताओं को राहत की सांस दी है। यह विधेयक ना सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज है बल्कि वह संकल्प है जो शिक्षा को व्यापार नहीं अधिकार बनाता है।

हमारी बड़ी बहन आतिशी जी हमारी पड़ोसी भी हैं और यह शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और सीएम भी रही हैं, इन्होंने पिछले साल अपनी सरकार में एक स्कूल का उद्घाटन किया और उसमें 2300 बच्चों का एडमिशन हुआ जिसमें अध्यक्ष महोदय मात्र 43 वो भी चार ट्रांसफर, पांच ट्रांसफर करा के चले गए, 38 शिक्षक थे। हमारे संगम विहार में कोई भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं

है। इनके पड़ोसी, हमारे विधायक पहले वाले जो थे वो भी थे लेकिन इन्होंने अपने विधायक को कभी भी यह सलाह नहीं दिया कि तुम भी प्रश्न उठाओ और अपने संगम विहार में सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलवाओ। एक जे–ब्लॉक स्कूल है जो मात्र 10^{th} class तक है, उस विधायक ने उस स्कूल को कभी भी 12^{th} बनाने का प्रयास नहीं किया, जमीन भी बहुत बड़ी है, स्कूल का स्ट्रक्चर भी है और स्कूल का स्ट्रक्चर जो टूटा हुआ है वो बन भी सकता था लेकिन उन्होंने कभी भी 12^{th} का बनाने का प्रयास नहीं किया। और 12^{th} तो छोड़ दीजिए अध्यक्ष जी, उस स्कूल के बच्चों को 12^{th} में कहां एडमिशन हो उसके लिए भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, उस स्कूल के बच्चों का 4 किलोमीटर दूर तुगलकाबाद गांव में जो स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहां एडमिशन होता था लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस सरकार का हिस्सा हूं और हमारी मुख्यमंत्री रेखा जी हैं और आशीष सूद जी शिक्षा मंत्री हैं, जिनकी वजह से उस जे–ब्लॉक के बच्चों का एडमिशन, 750 बच्चे हैं, उनके बच्चों का एडमिशन देवली में मात्र 200 मीटर की दूरी पर तीन स्कूल हैं जिनका उद्घाटन आतिशी जी ने किया था, टीचर तो नहीं दिए थे लेकिन हमने डायरेक्टर एजुकेशन से लड़ के कहिए, रिक्वेस्ट करके कहिए, आशीष जी से लड़ के उसमें अभी टीचर्स भी हमने दिए हैं और अपने सभी बच्चों का 11^{th} क्लास में एडमिशन कराने का प्रयास किया और इन सब की, हमारी सरकार की कृपा से सभी 750 बच्चों के पेरेंट्स इतने खुश हैं जो कि 11 साल में कभी नहीं थे।

हमारी सरकार के अच्छे रवैये की वजह से आज शिक्षा क्रांति जो पिछली सरकार देती थी, अध्यक्ष जी बड़े–बड़े दावे किए जाते थे, शिक्षा क्रांति, दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जैसे वादों से जनता को लुभाया गया। कागजों में इन वादों की तस्वीरें रंगीन थी, भाषणों में आंकड़े चमत्कारी थे लेकिन जब हम जमीनी सच्चाई देखने निकले तो पाया कि ना तो कक्षाओं में शिक्षक थे, ना पाठयक्रम समय से पूरा होता था। सरकारी स्कूलों की छतें टपक रही थी, शौचालय गंदगी से भरे थे और बच्चों को बुनियादी सुविधाएं तक मयस्सर नहीं थी। जो कुछ टीवी पर दिखाया गया वह महज प्रचार था, हकीकत में शिक्षा व्यवस्था रसातल की ओर बढ़ चुकी थी। वादे जो किए गए थे, हर सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा दी जाएगी, फीस नियंत्रण की व्यवस्था लाई जाएगी, लेकिन

वास्तविकता कुछ और थी। आज भी 60 प्रतिशत सरकारी स्कूल में विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। पीडब्ल्यूडी के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के 1,027 स्कूलों में से 530 स्कूलों की छत जर्जर स्थिति में है। शिक्षा के नाम पर बड़े–बड़े पोस्टर लगे, लेकिन स्कूलों में शौचालय और पानी तक की व्यवस्था नहीं की गई। अध्यक्ष जी, शिक्षा अच्छे पोस्टर से नहीं अच्छे मास्टर से बनती है। मनमानी फीस, ये लोग कहते थे हमने फीस बढ़ने नहीं दिया। मैं जरनैल सिंह जी को, कहां गए, चले गए क्या, तो मैं जरनैल सिंह जी को कहना चाहता हूं कि एक स्कूल ने 48,000, एक साल की फीस को 48,000 से लेकर के 88,000 कर दिया गया। कई स्कूलों ने बच्चों के रिजल्ट को रोक दिए, फीस समय पर नहीं दी गई इसलिए रोक दिए गए। उदाहरण के रूप में मयूर विहार का एक निजी स्कूल है, 2023 में 28 प्रतिशत फीस बढ़ा दिया गया, जब अभिभावकों ने विरोध किया तो उनके बच्चों को परीक्षा से रोका गया।

(समय की घंटी)

श्री चन्दन कुमार चौधरीः एक हमारे शिक्षा मंत्री जी के यहां भी स्कूल है जो 2024 में खोला गया, 56 बच्चों के ऊपर मात्र दो शिक्षक थे, तो इनकी ये शिक्षा क्रांति थी अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री चन्दन कुमार चौधरीः अध्यक्ष जी, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है।

माननीय अध्यक्षः नहीं–नहीं....

....व्यवधान.....

श्री चन्दन कुमार चौधरीः मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को....

माननीय अध्यक्षः कंक्लूड कर दीजिए बस।

श्री चन्दन कुमार चौधरीः हां। अध्यक्ष जी, स्कूल के मनमाने पर अंकुश लगाने के लिए अतिरिक्त राशि जो हमारी सरकार ने लाया है, ब्याज सहित उसको वसूला जाएगा, यदि कोई अनियमितताएं पाई जाती है तो। ऑडिट और रिपोर्ट की मजबूती के लिए हर निजी स्कूल को अपने–अपने

आय व्यय का वार्षिक लेखा–जोखा सार्वजनिक करना होगा। एक स्वतंत्र समिति बनाई जाएगी जो सुनिश्चित करेगी कि कोई भी स्कूल शिक्षा को लाभ का माध्यम ना बनाए। यह विधेयक माननीय मुख्यमंत्री, रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में क्षमता और शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज दिल्ली एक नई दिशा में कदम रख रही है, जहां शिक्षा अधिकार है, अभिमान है और समानता का आधार है।

''ज्ञान गंगा अब बहेगी साफ,

ना होगी उसमें अब लालच की मिलावट,
हर बच्चा, पढे–बढ़े
यही है हमारी सरकार की सच्ची चाहत।''

जय हिंद, जय दिल्ली।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री जितेन्द्र महाजन जी।

श्री जितेन्द्र महाजनः धन्यवाद अध्यक्ष जी। दा दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025.... के लिए मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री–श्रीमती रेखा गुप्ता जी और शिक्षा मंत्री–आशीष सूद जी का बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसे लाखों अभिभावकों की बात सुनी जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में ऐसी आपदा सरकार जिसने हर विधान सभा में पांच स्कूल खोलने की बात की थी, दिल्ली के अंदर नए कॉलेज खोलने की भी बात की थी, उन्होंने कोई बात पूरी नहीं की, अपितु शौचालय बनाकर क्लास रूम के बिल पास करवाए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री शराब माफिया हो गए, यह भी हम सभी लोगों को मालूम है। आज 11 सालों के अंदर उन्होंने दिल्ली के अंदर एक भी ऐसा बिल नहीं लाए जिससे अभिभावकों के, छात्रों के हितों की रक्षा कर सके। आज जब यह दिल्ली के लाखों लोगों के लिए खुशी की बात आई है तो यह दिल्ली, यह आपदा के लोग उस खीर के अंदर मक्खी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं पुरानी बातों को रिपीट नहीं करना चाहता। मैं पिछले पांच सालों से एक स्कूल की शिकायत, यह ऑन रिकॉर्ड पर है, कर रहा था कि यहां पर डोनेशन ली जाती है, एडमिशन के

समय अंडर टेबल पैसे लिए जाते हैं। ईडब्ल्यूएस के बच्चों को किताबें और वर्दी नहीं दी जाती है। ये 5 साल से मैं शिकायत कर रहा था। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को, एजुकेशन डायरेक्टर को मैंने शिकायत की थी, मेरे पास यह ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल किसी भी आपदा सरकार के किसी भी अधिकारी ने, किसी भी मंत्री ने ऐसे परिवारों की कोई सुनाई नहीं की, यह मेरे पास रिकॉर्ड है, यह मेरे पास रिकॉर्ड है, और....

माननीय अध्यक्षः एक मिनट मैं, जितेन्द्र महाजन जी, एक सेकंड। माननीय सदस्यगण, सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है। चलिए शुरू करिए।

श्री जितेन्द्र महाजनः यह मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं दिखा सकता हूं। आज आप यह देखिए कि इनकी सरकार के समय में फीस तो बढ़ ही रही थी, डोनेशन के पैसे भी जा रहे थे। कई जगह चेक पर जा रहे थे, कई जगह अंडर द टेबल कैश पैसे भी जा रहे थे, ये और कहीं पर कोई सुनवाई नहीं थी। एक उदाहरण मैं और देता हूं। यह पर्चा है, आतिशी दीदी से चेक करवा सकते हैं। एक परिवार के चार बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं। एक बच्चे ने पहली क्लास से 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली। पिछले 10 दिनों से यह तीन बच्चे फीस सिर्फ लेट हो गई इस कारण से अपने घर पर बैठे हैं। ऐसे एक नहीं ऐसे हजारों उदाहरण इनकी सरकार के समय पर थे जहां पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। ऐसे लाखों मां–बाप जो अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 11 सालों के अंदर जहां वाइस प्रिंसिपल नहीं है, जहां टीचर नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, बिल्डिंगों की हालत खराब है, रिजल्ट नहीं है, तो वहां पर लोग स्वाभाविक सी बात है कि प्राइवेट स्कूलों की ओर गए। और प्राइवेट स्कूलों के अंदर ऐसे गरीब लोग, ऐसे लोग जो अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं, ऐसे बच्चों की कोई सुनवाई हुई नहीं। आज जब दिल्ली के अंदर यह बिल आया है तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आशीष जी यहां बैठे हैं इनको बधाई देना चाहता हूं, दिल्ली के अभिभावकों में दीपावली का माहौल है कि अब हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे और फीस के नाम पर हमारा शोषण नहीं होगा, इसके लिए मैं आशीष जी को बधाई देता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, 5 साल से जिसकी, जिस स्कूल की मैं कंप्लेंट कर रहा था, पांच साल मेरी सुनवाई नहीं हुई, और उस स्कूल के बारे में मैंने अध्यक्ष जी और एजुकेशन डायरेक्टर को लिख कर दिया। एजुकेशन डायरेक्टर का मेरे पास पत्र आया और आज उस स्कूल के सभी बच्चों को वर्दी भी मिली है, ईडब्ल्यूएस की किताबें भी मिली है, इसके लिए मैं आशीष जी को बधाई देता हूं। और यह चेतावनी है ऐसे स्कूलों के लिए जो फीस के नाम पर बच्चों को घर बिठा रहे हैं, फीस के नाम पर बच्चों और परिवारों का शोषण कर रहे हैं। ये बिल उनके लिए नई उम्मीद की किरण है और दिल्ली के लाखों परिवारों को, लाखों बच्चों का फायदा होगा। मैं इस बिल के लिए सरकार को बहुत–बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य– श्री कुलदीप कुमार जी।

श्री कुलदीप कुमारः धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार बनी है तो दिल्ली के बच्चों के ऊपर ये सरकार एक विपदा की सरकार साबित हो रही है। पहली बार दिल्ली ने ऐसा देखा कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के अंदर बच्चों को बंधक बनाया गया, बच्चों को पनिश किया गया। स्कूल वालों ने बच्चों को स्कूल के अंदर घुसने से रोकने के लिए वहां बाउंसर लगाए गए। दिल्ली ने ये दृश्य आज से पहले 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, कभी दिल्ली ने देखने का काम नहीं किया। लेकिन अध्यक्ष जी यह बिल जिसकी चर्चा इस सदन में हो रही है। दिल्ली के पेरेंट्सों को लग रहा था के जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, जब से प्राइवेट स्कूल वालों को ये लगा कि अब तो प्राइवेट स्कूल के हित की सरकार आ चुकी है, प्राइवेट स्कूल वालों की सरकार आ चुकी है अब तो हम मनमाने ढंग से अपनी फीस को जल्दी–जल्दी बढ़ा लेते हैं क्योंकि सरकार तो हमारी है और उन्होंने सरकार के शपथ लेते ही आनन–फानन में जल्दी–जल्दी अपनी फीसें बढ़ानी शुरू कर दी। तो अध्यक्ष जी उसके बाद जैसा सभी सदस्यों ने यहां बताया कि वो लोग मुख्यमंत्री से भी मिले, दिल्ली में उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बना और दिल्ली के पेरेंट्स बहुत परेशान हुए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा हम एक बिल लेकर आ रहे हैं। दिल्लीवालों को लगा, हमको भी लगा कि सरकार प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए बिल लेकर आ रही है। ये दिल्ली के पेरेंट्स

के लिए एक उम्मीद का बिल साबित होना चाहिए था। लेकिन अध्यक्ष जी आज जब इस बिल पर चर्चा हो रही है तो वो दिल्ली का अभिभावक, वो उन बच्चों के माता–पिता वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जिस तरह से दिखाया तो कुछ और था और बिल में कुछ और लेकर आ रही है, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि दिल्ली के पेरेंट्सों का जो उनके दिमाग में जो बात थी कि भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट स्कूलों के मालिकों के दबाव में, उन स्कूलों के दबाव में ये बिल लेकर आ रही है, उनके समर्थन का बिल ले आ रही है, जो उनकी प्राइवेट लूट थी उस लूट को सरकारी लूट बनाने का बिल लेकर आ रही है, उनको आज ये बात समझ में आ रही है कि इस बिल के माध्यम से वो जो लेकर आए हैं।

अध्यक्ष जी, हमने इस बिल में कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ अमेंडमेंट दिए हैं और मुझे लगता है कि अध्यक्ष जी सरकार को विपक्ष के इस अमेंडमेंट को जो हमारे साथियों ने रखे हैं उसको मानना चाहिए। अध्यक्ष जी, जैसे हमने इसमें दिया है, इस बिल में ये कहते हैं कि ''every school shall constitute a parent-teacher association following such guidelines may be prescribed'' हम ये कहना चाहते हैं अध्यक्ष जी कि स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं इसके अंदर, इस कमेटी में उनके बच्चों के माता–पिता को शामिल किया जाए और जो संख्या उन पेरेंट्स की पांच की बात की गई है उसको 10 करने का काम किया जाए। वरना ये वैसे ही साबित होगा कि जो वो कमेटी है वो कमेटी ऐसे साबित होगी कि जैसे होता है ना किसी में आप पांच लोग ले लो पक्ष के और विपक्ष के ले लो आप दो लोग, तो पांच वाला तो बिल पास ही कर लेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सुझाव को मानने का काम करें।

दूसरा अध्यक्ष जी एक इसमें पॉइंट है पांच और छह नंबर क्लॉज जो है इसमें, बी–4 में, उसमें हमारा जो सुझाव है अध्यक्ष जी वो मैं यहां देना चाहता हूं कि इसमें जो आपने कहा है के कोई भी पेरेंट्स जो है वो एलिजिबल होगा 2 साल के लिए तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप, जब ये मैनेजमेंट कमेटी पर नियम लागू नहीं होता है तो आप इसके अंदर पेरेंट्स अगर

कोई दो बार जाता है तो उसको तीसरी बार भी उसको मौका मिलना चाहिए इस मैनेजमेंट कमेटी के अंदर, यह हमारा सुझाव है।

तीसरा अध्यक्ष जी जो सात नंबर पॉइंट है, जो the school level Fee Regulation Committee shall be general meeting at least once before the 15th August of every year अध्यक्ष जी, इसमें जो हमारा सुझाव है, हमारा सुझाव अध्यक्ष जी इसमें यह है कि जो भी इसकी आम सभा हो उससे 15 दिन पहले जो उसके पिछले वर्ष के खाते हैं उनको जो अगले seesion के लिए....

(समय की घंटी)

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष जी, मैं तो खत्म ही कर रहा हूं, लास्ट है। मैं तो बिल पर ही बात कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्षः हां, तो अपनी बात पूरी करिए फटाफट।

श्री कुलदीप कुमारः जो उसके लिए है वो अभिभावकों को पहले ही भेज दिए जाएं और उसके बाद उनकी टिप्पणियां जो उसकी आम सभा की जो भी बैठक है उसमें प्रस्तुत वो कर सकते हैं और लिखित रूप में उसे भेज सके और.... उनके पेरेंट्स की जो राय है वो उस बैठक में प्रस्तुत करके लिखित रूप में उनको दी जाए और उसके बाद फीस की वृद्धि पर कोई निर्णय लिया जाए। अध्यक्ष जी, इन सुझावों को मेरा आपसे मानना है कि हमारे इन सुझावों को आप मानेंगे और अगर ये कदम उसके बाद मुझे लगता है कि दिल्ली के स्कूलों पर आप इसके बाद लगाम लगाने का काम करें जो हमने सुझाव इसमें दिए और फिर यह सरकार जो है ऐसा ना साबित हो कि ये सरकार प्राइवेट स्कूलों के हक में खड़ी दिखाई दे और दिल्ली का पेरेंट्स, दिल्ली के अभिभावक अपने आपको ठगा हुआ महसूस करें और आज के दृष्टिकोण से,

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री कुलदीप कुमारः इस बिल के दृष्टिकोण से तो ये साफ साबित होता है कि दिल्ली की ये बीजेपी की सरकार पूरी तरह उनके समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। बहुत–बहुत धन्यवाद, बहुत–बहुत आभार।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य– श्री संजय गोयल जी।

श्री संजय गोयलः धन्यवाद अध्यक्ष जी आज आपने मुझे दिल्ली स्कूल एजुकेशन फीस निर्धारण विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी– श्रीमती रेखा गुप्ता जी और माननीय शिक्षा मंत्री– श्री आशीष सूद जी का विशेष धन्यवाद करता हूं कि जब दूसरा सत्र सरकार बनने के बाद में स्टार्ट हुआ तो मैंने रूल 280 में ये विषय उठाया था और 280 में उठाने के बाद में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं इस पर इतनी जल्दी से, मात्र अभी पांच महीने ही सरकार बने हुए हैं और अभिभावकों की परेशानी को समझते हुए क्योंकि अभी, मेरे कुछ साथी कल कह रहे थे और आज भी कुछ साथियों ने जो विपक्ष के साथी हैं उन्होंने कहा कि पिछली सरकार जो आपदा की सरकार थी कभी आपके फीस की वृद्धि नहीं हुई। 68 परसेंट केसेस में जो स्कूल थे उनकी फीस वृद्धि हुई है जो कि मैं उनको बता सकता हूं कि 2019–20 से लगातार डीपीएस– द्वारका ने 13 परसेंट आपके फीस वृद्धि की, 9 परसेंट की, 8 परसेंट, 7 परसेंट। ऐसे सृजन स्कूल है उसने भी 2024–25 में 36 परसेंट की वृद्धि की। Ahlcon स्कूल ने 13 परसेंट और 15 परसेंट की स्कूल फीस में वृद्धि की। लगातार जिस तरह से हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा कहा जा रहा था, कल 280 में एक विपक्ष के साथी ने कहा कि सरकारी स्कूलों की एजुकेशन सिस्टम अच्छी हो। मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्ष के साथियों से कि पिछले 10 साल में आपने तो बड़ा शिक्षा मॉडल, आज हमारे विपक्ष के एक साथी कह रहे थे, शिक्षा का मॉडल, हमारा स्वास्थ्य का मॉडल इतना जबरदस्त रहा कि इसकी बेस पर हमारी सरकार थी लेकिन उन्हीं के साथ, उन्हीं के विधायक जो स्वयं पिछली बार भी विधायक थे शायद उन्होंने कहा कि अब हमारी शिक्षा का मॉडल जो है दिल्ली के अंदर जो पिछली सरकार में था वह गलत था क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही थी और सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब थी..... इसलिए वो उसको ठीक किया जाए।

और अभी इन्होंने कहा कि ऑडिट होनी चाहिए, इनकी सरकार के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं अधिकांश स्कूलों में फीस नियंत्रण ऑडिट ही नहीं था। ऑडिट यदि करते और उन्होंने जो वृद्धि के प्रस्ताव हैं वो स्वीकार कर लिए। जिस तरह से उन्होंने अनेकों अनेक कार्य किए विपक्ष ने क्योंकि अब विपक्ष चला गया है और मात्र हमारे एक भाई बैठे हुए हैं और मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो शिक्षा के व्यवसायीकरण और मुनाफाखोरी पर लगाम लगाई है उसके लिए मैं इनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना को ध्यान में रखते हुए कि कहा गया है, जो इसमें मूल विचार है कि शिक्षा को व्यापार नहीं बल्कि शिक्षा सेवा का माध्यम माना जाना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान दिया। मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, अभी हमारे साथी विधायक कह रहे थे कि 15 परसेंट, 4000 से 600 अभिभावकों की आवश्यकता है। इन्होंने एक बात नहीं पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था, क्लॉज में लिखा हुआ है, अभी पढ़ लें। क्लास और स्कूल, क्लास और स्कूल क्योंकि ये जो स्कूल वाले हैं वो पूरे स्कूल की एक साथ फीस नहीं बढ़ाते हैं कभी भी। वो क्लास वाइज स्कूल की फीस बढ़ाते हैं और क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में मात्र 15 परसेंट का मतलब है 15 अभिभावकों की आवश्यकता है, ना कि आपके 600 अभिभावकों की आवश्यकता है, उसको पढ़ सकते हैं बकायदा विधेयक में दिया हुआ है। और इन्होंने कहा है कि हमारे, इससे जो है शैक्षणिक और छात्र हित में जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किया है और वो उसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और साथ में मैं माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय में जो पेनल्टी है, पेनल्टी का क्लॉज़ बहुत अच्छा है क्योंकि बात सही है जो मनोवैज्ञानिक तरीक़े से उनके मन पर प्रभाव डालता है पेरेंट्स के ऊपर, बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि जब मैं विधायक बना और विधायक बनते ही तुरंत अभिभावक मेरे पास आने लगे। इसका मतलब मैंने उनसे पूछा भई क्या फीस अभी इस साल भी बढ़ी है क्या, कह रहे, नहीं सर ये बार–बार बढ़ती है। मैं तो पहले से जब बच्चे को एडमिशन कराया था तो उस समय हम 1500 देते आज 3000 हो गई है और अब और दोबारा फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि कुछ पेरेंट्स का फोन आया मेरे पास में कि हमारी फीस जो बढ़ाई थी वो फीस भी वापस हो गई है हमारे अकाउंट में, इसके लिए क्योंकि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं और कल भी

हमारी विधान सभा से बहुत सारे पेरेंट्स आए थे शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देने के लिए और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही और मीडिया के सामने कही थी पेरेंट्स ने, मैं खाली ये बात नहीं कह रहा कि किस तरह से और जो है पेरेंट्स को लाया गया, वो बहुत अच्छे से उन्होंने कहा। और मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि एक लाख रुपये, पहली गलती पर एक लाख रुपये और पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरी गलती पर दो लाख से दस लाख रुपये तक का जुर्माना फिक्स किया गया है, ये जो किया गया है।

और दूसरी बात इन्होंने कहा कि समिति, समिति में तो माननीय अध्यक्ष जी पांच पेरेंट्स हैं और पांच पेरेंट्स और एक शिक्षा अधिकारी है, छः हैं। ये कह रहे थे कि छः उनके हैं पांच हमारे हैं, ये तो बिल्कुल सदन को ही गुमराह कर रहे हैं, या तो इन्होंने पढ़ा नहीं, और तीन टीचर्स हैं उसमें और जो टीचर्स हैं वो भी स्कूल मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है वो। स्कूल मैनेजमेंट का हिस्सा मात्र दो हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल है और एक उसका मैनेजमेंट का.... उनका सदस्य है। तो पांच और जमा एक, यदि हम छह की बात करें, उसमें भी ये दिया हुआ है यदि किसी की बात नहीं मानी जाती है तो जिला स्तर पे इसकी व्यवस्था की जाएगी और जिला स्तर पर मात्र पेरेंट्स जो है,

(समय की घंटी)

श्री संजय गोयलः माननीय अध्यक्ष जी, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं मात्र एक है, बाकी क्या नाम है पेरेंट हैं और साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट अलग से स्पेशल अपॉइंट होंगे। यह जो झूठ बोलते हैं बार–बार। तीसरा जो कहा गया है, आपके तीसरा जो आपके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के विषय में जो बात कर रहे थे, ऐसा लगता है इनको आदत पड़ गई कुछ लेन–देन की तो इसलिए इनके माइंड में वो ही घूमता रहता है कि दुकानदारी बंद हो गई, अब दुकानदारी कैसे चलेगी तो आरोप पर आरोप लगाते जाइए क्योंकि क्या है मुझे बोलना ही तो है तो इसीलिए इनको खुद शर्म आनी चाहिए कि आपने पिछले 10 सालों में जो दिल्ली सरकार को करना चाहिए थे, सरकारी स्कूलों की एजुकेशन मात्र आप देखिए, कुछ बच्चों के तो मेरे को खुद

महसूस होता है, 40 परसेंट, 45 परसेंट, 50 परसेंट, 60 परसेंट, कोई गिने चुने ही ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 90 परसेंट मार्क्स आते हैं,

(समय की घंटी)

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद।

श्री संजय गोयलः इसलिए आपको खुद शर्म आनी चाहिए कि शिक्षा का मॉडल क्या था और आप देखिए इसलिए आप मत कहिए कुछ भी। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने कोशिश की कि देश में, पूरे देश में सरकार बनाई जाए जिसमें जनता ने आपको अस्वीकार कर दिया। धन्यवाद और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और विधेयक का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः चलिए धन्यवाद। माननीय सदस्य – श्री गजेन्द्र दराल।

श्री गजेन्द्र दरालः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे फीस निर्धारण एवं पारदर्शिता विधेयक, 2025 पर बोलने का मौका दिया। और मैं....

(सांय 07.17 बजे माननीय उपाध्यक्ष –श्री मोहन सिंह बिष्ट पीठासीन हुए।)

माननीय उपाध्यक्षः चलिए, चलिए, बोलिए।

.....व्यवधान.....

श्री गजेन्द्र दरालः और मैं साथ में बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मोहन सिंह बिष्ट जी को भी बधाई देता हूं कि आज मुझे इनके सामने भी बोलने का मौका मिला है।

माननीय उपाध्यक्षः गजेन्द्र जी बोलिये प्लीज़।

....व्यवधान.....

माननीय उपाध्यक्षः भई हाउस को चलने दो भई।

....व्यवधान.....

श्री गजेन्द्र दरालः मैं आज इस सदन के माध्यम से दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण एवं पारदर्शिता विधेयक 2025 के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करते हुए सरकार के इस ऐतिहासिक और साहसिक कदम का स्वागत करता हूं। आज इस देश की राजधानी में शिक्षा एक व्यापार और व्यवसाय बन चुकी थी। अभिभावकों की मेहनत की कमाई को निजी स्कूल मनमानी फीस के जरिए निचोड़ रहे थे। कोई नियंत्रण नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। ऐसे समय में इस विधेयक का आना एक साहसिक और जनहितकारी कदम है। और इस ऐतिहासिक और जनहितकारी कदम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री– श्रीमती रेखा गुप्ता जी व शिक्षा मंत्री– श्री आशीष सूद जी का हृदय की गहराई से आभार और धन्यवाद करता हूं। सभी ने अपने–अपने विचार रखे और हमारे बहुत और आदर और सम्मान के योग्य अरविन्दर सिंह लवली जी जब वो कांग्रेस में शिक्षा मंत्री रहें उन्होंने एक–एक चीज़ बारीकी से बताई और वो बारीकी से क्यों बता पाएं क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने विवेक और बुद्धि से काम किया। लेकिन जो मेरे सामने बैठने वाले व्यक्ति थे वो सिर्फ एक आका की बातों में आकर और 5 और 10 साल तक बगैर विवेक और बुद्धि के काम करते रहें और जैसा इनके आका ने कहा..

....व्यवधान.....

माननीय उपाध्यक्षः कुलदीप जी ये गलत बात है।

....व्यवधान.....

माननीय उपाध्यक्षः सुनिए मैं आपको और बता दूं। देखिए आप, जिस चर्चा में आप भाग ले रहे हैं न, आप खड़े नहीं हो सकते।

....व्यवधान.....

माननीय उपाध्यक्षः नहीं–नहीं, गलत तरीका है ये। आप बैठिए न प्लीज।

....व्यवधान.....

श्री कुलदीप कुमारः सर, कोरम पूरा नहीं है।

....व्यवधान.....

माननीय उपाध्यक्षः नहीं–नहीं, गलत तरीका है ये। आप हाउस को डिस्टर्ब ना करिए, प्लीज।

....व्यवधान.....

श्री कुलदीप कुमारः कोरम पूरा नहीं.....

.....व्यवधान.....

माननीय उपाध्यक्षः जरा गिन लीजिएगा।

....व्यवधान.....

माननीय उपाध्यक्षः कुलदीप जी, सुनिए मैं आपको एक बात बताऊं। एक मिनट। सुनिए, आपको कभी भी हाउस में कोई बात रखनी होती है उसके लिए पॉइंट ऑफ आर्डर होता है और आप इस प्रकार से बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। देखिए, ये पिछली वाली विधान सभा नहीं अब ये नई विधान सभा है, यहां कायदे भी सीखना होगा, कानून का भी जानकारी। बोलिए।

....व्यवधान.....

माननीय उपाध्यक्षः चलिए, चलिए।

....व्यवधान.....

माननीय उपाध्यक्षः बोलिए, बोलिए।

श्री गजेन्द्र दरालः अभी कुछ देर पहले भाई जरनैल सिंह कुछ बातें कह रहे थे कि शायद यह ऐसा कानून बना हो कि कभी इसमें अंडरटेबल काम शुरू हो जाए। तो भैया आपको बता दूं कि केजरीवाल सरकार के समय पर एक अंडरटेबल काम नहीं टेबल पर काम हुआ था और उसका

नाम दिया गया था थाली पर चर्चा, सभी को पता है। बड़ी–बड़ी वाटिका के अंदर, बैंकेट हॉल के अंदर आपके आका बैठते थे, साइडों में बहुत सारे रईसजादे बैठते थे और वो थाली की चर्चा फिर करोड़ों में होती थी, यह सबके सामने है, सभी ने देखा होगा और बहुत से व्यापारियों को टिकट भी दी गई, बोरियां भर–भर के गई, वो था टेबल के ऊपर, खाने पर चर्चा, बहुत बढ़िया। लेकिन आज हमारे इस देश का नेतृत्व एक ऐसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ देना सीखा है, वह भी जनता को। आपको बता दूं कि उनके द्वारा 'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' जो एक मजदूर को बगैर कुछ किए 10 हजार रुपये सीधे अकाउंट में ताकि वो रेहडी पटरी लगाकर अपना गुजारा कर सके। और उसके बाद 'प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना' और उसके बाद 'प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना', उसके बाद 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना', उसके बाद 'प्रधानमंत्री आवास योजना' और आप लोगों ने दिल्ली को क्या दिया, बहन जी सुनिए। मैं निगम पार्षद था और आप वहां आती थीं, आपने 2 साल तक हमें बोलने का मौका नहीं दिया। आप जाते ही सबसे पहले सबको खड़े हो जाइए और हल्लागुल्ला करके उस 2 साल के कार्यकाल में एक बार भी बोलने का मौका नहीं दिया। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं एक ऐसे सदन में बैठा हूं जहां पर आपकी मनमानी चलती नहीं और मैं अपने क्षेत्र के विकास के हित के बारे में बात रख सकता हूं। अब सुनिए, मैं 23 जुलाई को दिल्ली के अंदर ओरिएंटेशन का प्रोग्राम, आप सभी स्कूलों में गए होंगे, मेरा तीन स्कूलों में जाना हुआ, रानीखेड़ा में, कंझावला में और टीकरी कला गांव में। तीनों स्कूलों के अंदर आपको ईमानदारी से बताऊं कि बारिश का दिन था और छत के अंदर से पानी चू रहा था,

(समय की घंटी)

श्री गजेन्द्र दरालः क्योंकि वहां पर लाल पत्थर की टुकड़ी और टी आयरन लगाकर आपने उस पर पेंट कर दिया और स्कूलों को दे दिया शिक्षा का नया मॉडल, ये दुर्भाग्य था मेरी दिल्ली का। एक चीज़ और बता दूं, 2023 में आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री घेवरा मोड़ पर 80 एकड़ जमीन के अंदर जहां पर स्पोर्ट्स इंटरनेशनल स्कूल बनना था, यूनिवर्सिटी बननी थी, उसका झूठा उद्घाटन करते हैं, वहां पर जाकर नारियल तोड़ते हैं। और वहां पर मल्लिका मल्लेश्वरी को ढाई लाख रुपये की सैलरी appoint करके उसको डीन नियुक्त करते हैं,

(समय की घंटी)

श्री गजेन्द्र दरालः ये मेरी दिल्ली का दुर्भाग्य है। अगर वह यूनिवर्सिटी आपने बना दी होती तो आज दिल्ली के अंदर एक स्पोर्ट्स की नई पहचान होती,

माननीय उपाध्यक्षः गजेन्द्र जी....

....व्यवधान.....

श्री गजेन्द्र दरालः मेरे युवा बच्चों का भविष्य होता। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को अंधकार में डाला,

(समय की घंटी)

श्री गजेन्द्र दरालः और आज ये जो हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं,

माननीय उपाध्यक्षः नेक्स्ट।

श्री गजेन्द्र दरालः और हमारी सीएम मैडम, हमारे मंत्री, दिल्ली को विकास की नई डगर पे लेकर जाएंगे और दिल्ली को सपनों की दिल्ली बनाकर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।

माननीय उपाध्यक्षः अजय दत्त।

डा. अजय दत्तः धन्यवाद, आप मुझे डॉक्टर अजय दत्त कह के पुकारते तो और अच्छा लगता। अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण एजुकेशन बिल पर चर्चा करने का मौका दिया। मैं इसको बहुत संक्षिप्त में और तीन पार्टों में रखूंगा। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी।

माननीय उपाध्यक्षः चलिए बोलिए ना।

डा. अजय दत्तः पार्ट ए, मैं इसका बैकग्राउंड देता हूं कि एजुकेशन, यह प्राइवेट एजुकेशन का मॉडल आया क्यों, किस लिए आया। पुरानी सरकारें जब इस देश में जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों को ध्वस्त करने के बाद प्राइवेट एजुकेशन का मॉडल शुरू किया उसमें एक चीज रख दी ये

एनजीओस चलाएंगे, which means this is non profitable organization and उनका काम यह था कि पब्लिक को एजुकेशन देंगे और उससे एक भी पैसा ड्रॉ नहीं करेंगे। लेकिन आज सच्चाई यह है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन, सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अरब क्या खरबपति हो गए हैं, उनके एक स्कूल से 10 स्कूल हो गए हैं। और इसी वजह से, इसी वजह से हमारी आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार ने, हमारी आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार ने कई साल ये फीस नहीं बढ़ने दी, इनके ऑडिट कराए और उस ऑडिट में यह पता चला कि ये एनजीओस, ये प्राइवेट स्कूल उस फंड को दूसरे इंस्टिटयूशन में डायवर्ट करते थे फिर एक और इंस्टिटयूट खोल देते है। उनको एक रेगुलेटरी सिस्टम में लाए कि इस फीस का जो पैसा ले रहे हैं उसका 50 प्रतिशत टीचर्स को सैलरी देने पर लगेगा, उससे पहले 15 हजार रुपये सैलरी थी, हमने इसको लागू किया तो 50–60–70,000 रुपये टीचर्स को सैलरी मिलनी शुरू हुई। दूसरा काम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ कि इसका इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना पड़ेगा।

अब बात आती है पार्ट–बी की। पार्ट–बी में.... पार्ट बी में इन स्कूलों ने जब फीस ऑलरेडी बढ़ा दी, अगर आप देखें पिछले 6 महीने में, आपने अप्रैल में कहा था कि इनको हम लगाम लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इन्होंने सबने फीस बढ़ा ली है। किसी ने 15 परसेंट, किसी ने 20 परसेंट, एवरेज 15 परसेंट फीस बढ़ाई। 15 परसेंट, एक स्कूल में 3000 बच्चे हैं, एक स्कूल की एवरेज फीस 10 हजार रुपये है यानि कि डेढ़ हजार रुपये उन्होंने बढ़ा दिए यानी कि 3000 बच्चों पर डेढ़ हजार इनटू 12 महीने, ऑलमोस्ट साढ़े 4 करोड़ रुपये इन्होंने बढ़ा दिए। आपके बिल में यह लिखा है कि इन पर जी पेनल्टी लगाएंगे।

(समय की घंटी)

डा. अजय दत्तः आशीष जी कह रहे थे उस दिन अंडर टेबल, अंडर टेबल, अंडर टेबल क्या हुआ यह तो आपको पता होगा।

माननीय उपाध्यक्ष(श्री मोहन सिंह बिष्ट): अजय जी समाप्त करो।

(समय की घंटी)

श्री अजय दत्तः क्योंकि इसमें अरब करोड़ों रुपए कई हजार करोड़ रुपए प्राइवेट स्कूलों... मैं लास्ट में आ रहा हूं।

(समय की घंटी)

श्री अजय दत्तः देखिए आपने सबको दिए पांच सात मिनट हमें भी कम से कम... लास्ट में सी पार्ट पे आ रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष(श्री मोहन सिंह बिष्ट): अरे समाप्त करो भई।

श्री अजय दत्तः सी पार्ट पे आ रहा हूं।

(समय की घंटी)

श्री अजय दत्तः सी पार्ट में जो आपने कमेटी बनाई। सी पार्ट में आपने जो कमेटी बनाई,

(समय की घंटी)

श्री अजय दत्तः एक मिनट एक मेरे को लास्ट में एक मिनट दे दीजिए। देखिए मैं तथ्य पे बात कर रहा हूं और आपने इन स्कूलों को इन स्कूलों को सारी पावर देके कोर्ट जाने का भी हक इनसे छीन लिया। वो कोर्ट जाने का भी हक इनसे छीन लिया और करीबन 450 लोग और पेरेंट्स जब इकट्ठा होंगे जब वो इनके खिलाफ कुछ लिखेंगे। दूसरी बात जो हमने आपको अमेंडमेंट दिए हैं उन अमेंडमेंट में हमने यह कहा है कि आप ये जो कमेटी है इसमें 10 मैंबर कर दीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष(श्री मोहन सिंह बिष्ट): अजय जी।

(समय की घंटी)

श्री अजय दत्तः आखरी आखरी बात।

माननीय उपाध्यक्ष(श्री मोहन सिंह बिष्ट): भाई बंद करिए, सुनो पहले प्लीज, कंक्लूड कीजिए।

.....व्यवधान.....

माननीय उपाध्यक्ष(श्री मोहन सिंह बिष्ट): सर आप क्या बात कर रहे हैं बंद करिए। पूनम शर्मा।

...व्यवधान.....

माननीय उपाध्यक्ष(श्री मोहन सिंह बिष्ट): मैं आपसे, नहीं गलत तरीका है और जब हो गया है।

.....व्यवधान.....

माननीय उपाध्यक्ष(श्री मोहन सिंह बिष्ट): पूनम शर्मा, बोलिए। पूनम जी बोलिए।

श्रीमती पूनम शर्मा: आदरणीय अध्यक्ष जी और यहां पर उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को नमस्कार करती हूं। अब तो वैसे शुभ रात्रि का समय हो रहा है। आज मैं इस सदन में एक विधायक और एक मां के रूप में खड़ी हूं। मेरी अपनी बेटी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है और मैंने खुद ने देखा है कि हर साल स्कूल की फीस कैसे बिना वजह बढ़ाई जाती है। कभी कंप्यूटर फीस, कभी एक्टिविटी चार्ज, कभी यूनिफार्म के नाम पर जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं। मैंने कई बार पेरेंट्स को देखा है कि अपनी जरूरतों को कम करके अपने बच्चों की फीस को वो भरते हैं। क्या यही एक न्याय था, नहीं था। शिक्षा बच्चों का अधिकार है और उसे आम आदमी की पहुंच से दूर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी ने यह प्राइवेट स्कूल फीस बिल लेके आए हैं ताकि कोई भी स्कूल मनमानी ना कर सके। दिल्ली की सड़कों पर स्कूलों के बाहर अभिभावक चीखते थे, चिल्लाते रहे, गुहार लगाते रहे। मगर आम आदमी पार्टी की सरकार के बंद दफ्तरों के अंदर इनकी आवाजें नहीं पहुंची क्योंकि उनकी लगातार शिकायतों को फाइलों के ढेर के नीचे दबा दिया गया। यह कानून उन सभी अनसुनी आवाजों का जवाब है। अब फीस बढ़ाने से पहले हर स्कूल को वजह बतानी होगी, पेरेंट्स से सलाह लेनी होगी, हर खर्च का हिसाब देना होगा। यह बिल अभिभावकों की आवाज

है। यह हर उस परिवार की उम्मीद है जो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना चाहता है। मैं एक मां भी हूं और अपनी मां की तरफ से कहना चाहती हूं कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई के रास्ते के बीच में पैसों की दीवार नहीं आने देंगे। और आप सब से कहना चाहूंगी इस विधानसभा में बैठे हुए मेरे साथी बहुत सारी बहुत सारी तो नहीं थोड़ी सी बहनें भी हैं और भाई भी हैं। उनके बच्चे भी किसी ना किसी स्कूल में पढ़ते हैं। यह माननीय रेखा जी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है। सबका साथ सबका विकास।

(समय की घंटी)

श्रीमती पूनम शर्माः तो उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए काम नहीं करा है। उन्होंने पूरी दिल्ली के जितने भी पेरेंट्स हैं सबके लिए यह बिल लेकर आए हैं। और कहीं ना कहीं इस बिल से आपकी जेब पे भी असर कम होगा क्योंकि आप भी अपने बच्चों की स्कूल की फीस से परेशान थे। मुझे पता है जब अभी हम वहां पर बैठे थे तो सब लोग कह रहे थे कि आई हैव एप्रिशिएट दिस बिल। हम बहुत खुश हैं। रेखा जी की हम तारीफ करना चाहते हैं मगर हम क्या करें हमारी मजबूरी है कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं। कोई बात नहीं। आपकी तरफ से मैं तारीफ कर रही हूं माननीय रेखा जी का कि उन्होंने बहुत अच्छा बिल लेके आया और इस बिल का समर्थन करती हूं। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष(श्री मोहन सिंह बिष्ट): थैंक यू जी। थैंक यू। धन्यवाद। श्याम शर्मा जी। आप सबसे निवेदन है आधा घंटा के लिए सदन को और सहमति से इसको पास करेंगे, आधा घंटे के लिए।

श्री श्याम शर्माः माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले इस महत्वपूर्ण शिक्षा शुल्क नियंत्रण विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सदन के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में कार्य कर रही दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी का और उनकी सरकार का और शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने शिक्षा को व्यापार नहीं बल्कि सेवा का माध्यम मानते हुए इस प्रकार का विधेयक लाकर ऐतिहासिक

और सराहनीय पहल की है। आज अध्यक्ष जी आज जब यह सदन फीस नियंत्रण विधेयक पारित करने जा रहा है तब हमें केवल शिक्षा के अधिकार की ही नहीं बल्कि शिक्षा के साथ सम्मान के अधिकार की भी बात करनी चाहिए। ये केवल पैसों का मामला नहीं है, यह उन लाखों माता–पिता और बच्चों के सम्मान की बात है जो हर साल स्कूलों की मनमानी फीस के बोझ के तले दबे रहते हैं। निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी फीस वसूली आज के समय में एक गंभीर समस्या बन रही है। अभिभावक वर्ग मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से इस बोझ को उठाने के लिए मजबूर है। कुछ विद्यालय हर साल ट्यूशन फीस, वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क जैसे मदों में मनमानी बढ़ोतरी कर देते हैं जिससे मध्यम वर्ग निम्न मध्य वर्ग के लिए शिक्षा एक सपना बनकर रह जाती है। जब कोई स्कूल सिर्फ इसलिए बच्चों को कक्षा में बैठने से मना कर देता है क्योंकि उनकी फीस कुछ दिनों के लिए लेट हो जाती है। तब यह केवल आर्थिक शोषण नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक शोषण भी होता है। बच्चों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है। उनकी रिपोर्ट रोक दी जाती है या उन्हें स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया जाता है जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। यह सीधा–सीधा मानव अधिकार हक का हनन है और यह सब हमारे समाज में हमारे सामने हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जी इसका एक उदाहरण है। डीपीएस द्वारका का हालिया उदाहरण हमारे सामने है। जहां पर बच्चों की फीस ना देने के कारण जबरदस्ती लाइब्रेरी के अंदर बैठा दिया गया। यह एक शर्मनाक और अमानवीय कृत्य था। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब कोई भी स्कूल केवल फीस के कारण किसी भी छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देगा। अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीछे बीते 12 साल जो आपदा पार्टी की सरकार रही उस सरकार के रहते हुए मैंने भी एमसीडी के अंदर काम किया है। चार चुनाव मैं एमसीडी के अंदर रहा मेयर रहा। अगर आप पूरा डिटेल निकालेंगे एमसीडी के स्कूलों का मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली के स्कूल जब एमसीडी में बीजेपी का राज्य था। सारे स्कूल बने मगर पिछले 12 साल और 25 साल जो कांग्रेस का और इसका राज रहा मुझे एक बिल्डिंग दिखा दें कि एक भी बिल्डिंग मैं जितने भी सामने मेरे बैठे हैं मैं इनको निमंत्रण देता हूं कि आके एक भी स्कूल की बिल्डिंग दिखा दे जो शिक्षा के एक भगवान बने बैठे थे कि स्कूल हमने सुधार दिये, स्कूल हमने ठीक कर दिए। वो हालत ऐसी है कि बिल्डिंगें गिरने को तैयार बैठी है। अध्यक्ष महोदय,

(समय की घंटी)

श्री श्याम शर्माः हर बार निजी स्कूलों की फीस पर जनता की शिकायतों पर नजरअंदाज किया जाता मैं जब जब लोगों ने गुहार लगाई उन्हें आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि बोर्ड की राजनीति और निजी स्कूलों की लाबी के दबाव में उनकी सरकार हमेशा झुकती रही। हर विधेयक एक स्पष्ट संदेश देता है कि शिक्षा अधिकार है दया नहीं। यह हर बच्चे को स्कूल में इज्जत के साथ पढ़ने का अधिकार है। चाहे उसके मां–बाप कितनी भी आर्थिक कठिनाई में क्यों ना हो, हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्कूलों का यह हिम्मत ना हो सके, फीस के नाम पर बच्चों का मानसिक शोषण करें। यह विधेयक ना केवल इस अव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करेगा बल्कि।

(समय की घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष(श्री मोहन सिंह बिष्ट): शर्मा जी समाप्त करो।

श्री श्याम शर्माः पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। अब विद्यालयों को हर प्रकार की शुल्क वृद्धि के लिए उचित कारण बताना होगा और वह भी नियामक प्राधिकरण की अनुमति से मान्य होगी। इससे शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही का माहौल बनेगा। जनता का विश्वास और भी मजबूत होगा। यह विधेयक उस मुख्य मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग की आवाज भी बनकर रहेगा। जो अब अपनी पीड़ा को दबाकर जीते रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष(श्री मोहन सिंह बिष्ट): श्याम जी।

(समय की घंटी)

श्री श्याम शर्माः आज का ये दिन न्याय का दिन होगा।

माननीय उपाध्यक्ष(श्री मोहन सिंह बिष्ट): श्याम जी।

(समय की घंटी)

श्री श्याम शर्माः यह विधेयक सरकार के उस संकल्प प्रतीक का है जिसमें हम सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से काम कर रहे हैं,

(समय की घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष(श्री मोहन सिंह बिष्ट): थैंक यू।

श्री श्याम शर्माः ताकि कोई भी छात्र केवल फीस के कारण अपनी शिक्षा से वंचित ना रहे।

माननीय उपाध्यक्ष(श्री मोहन सिंह बिष्ट): धन्यवाद।

श्री श्याम शर्माः यह विधेयक दिल्ली के लाखों छात्रों और उनके परिवार को राहत देगा,

(समय की घंटी)

श्री श्याम शर्माः और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाएगा। अच्छा मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का. ...

माननीय उपाध्यक्ष(श्री मोहन सिंह बिष्ट): सुरेंद्र कुमार जी।

(समय की घंटी)

श्री श्याम शर्माः और शिक्षा मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं और हरिनगर विधानसभा के सभी अभिभावकों की तरफ से इनका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं और इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं धन्यवाद बहुत–बहुत धन्यवाद।

....व्यवधान.....

(सायं 7.37 बजे माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता, पीठासीन हुए)

श्री सुरेंद्र कुमारः माननीय अध्यक्ष जी आपने एक महत्वपूर्ण विधेयक पे बोलने का आदेश किया। श्री आशीष सूद के द्वारा दिल्ली विधानसभा में एक विधेयक लाया गया।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः सदन का समय जो है आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री सुरेंद्र कुमारः माननीय अध्यक्ष जी।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः शुरू करिये।

श्री सुरेंद्र कुमारः माननीय अध्यक्ष जी आपने एक महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का आपने मुझे आदेश करा उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। श्री आशीष सूद, शिक्षा मंत्री के द्वारा दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक पर चर्चा चल रही है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा क्योंकि इस देश के संविधान में हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति के बच्चे को, अमीर हो या गरीब हो सभी को बराबर समानता का अधिकार शिक्षा का दिया है। लेकिन सरकारों ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा समानता नहीं दी गई। इसलिए कुछ पहले हमारी जो सरकारें रही है उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल को खोलने का काम किया एक एनजीओ के द्वारा। लेकिन जब एनजीओ बनाई जाती तो उसमें कई चीज प्रावधान होना चाहिए था। नंबर एक तो यह होना चाहिए था कि जितने हमारे शिक्षक होते हैं उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए था। क्योंकि आज तमाम प्राइवेटाइजेशन में भी आरक्षण होना चाहिए। 22 प्रतिशत लोगों को वहां शिक्षक बनाने का काम किया जाए। दूसरा, आम आदमी पार्टी की जब भी सरकार 11 साल तक रही तो प्राइवेट स्कूलों के उनको नकेल डालने का काम किया गया, उनकी एक रुपए की फीस यदि बढ़ाने का काम किया तो उसका ऑडिट कराने का भी काम किया गया। दूसरा है कि आपने जो तीनों समिति बनाई है इन तीनों समिति को सरकार के अंडर नहीं लिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये तीनों समिति के बाद कोर्ट का भी उसमें दखल–अंदाज होना चाहिए जिससे कि ये तीनों समिति किसी का पक्ष लेती है क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल है, एक सौदा बाजार का धंधा है और उसमें ये व्यापारीकरण का एक पब्लिक स्कूल है इसमें जो लोग कमाई करते हैं तो उसको देखते हुए उसमें आपने एक सिविल कोर्ट बना दी, एक हाईकोर्ट बना दी, एक सुप्रीम कोर्ट बना दी लेकिन वहां भी पक्षपात होगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जो भी वहां की एसोसिएशन बनेगी, जो समितियां बनेगी वो कम से कम जो आपने पांच आपने

अभिभावक रखे हैं इसको 10 किया जाए। क्योंकि वो 11 आदमी कमेटी है 11 में यदि छह वोटिंग एक तरफ करते हैं तो वह जो चाहेंगे प्राइवेट स्कूल वाले वही हो जाएगा। तो इसकी संख्या कम से कम 10 कर दी जाए और दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं जो सेक्शन नंबर 17 में आपने कहा कि यह अपना कोर्ट नहीं जाएंगे। सरकार को यह भी देना चाहिए, आदेश करना चाहिए, इसमें प्रावधान लाना चाहिए कि यदि तीनों समिति फेल होती है तो अपनी बात को अपने सरकारी कोर्ट में रखने का काम किया जाए। इसके साथ–साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से शिक्षा का सभी को अधिकार है और ये प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो सभी को ये संविधान कहता है कि इस देश में जो बच्चा पैदा होगा वो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको पढ़ाना लिखाना रोजगार देना वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। रोजी, रोटी, कपड़ा, मकान ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और संविधान कहता है कि सभी को समानता का शिक्षा मिलना चाहिए। जब हम किसी बच्चे को ईडब्ल्यूएस के तहत, उसका एडमिशन कराते हैं तो वो कहते हैं हमारे यहां सीट फुल हो गई है। तो उस पे भी एक अंकुश लगाना चाहिए। जो गरीब के बच्चे ईडब्ल्यूएस के तहत जो बच्चे वहां एडमिशन लेते हैं तो वहां प्राइवेट स्कूल नहीं करते। वहां मना कर देते हैं कि जबकि पांच बच्चे भी नहीं रखते वो ऐसे स्कूलों को भी ऐसी इसमें यह प्रावधान ईडब्ल्यूएस का भी रखना चाहिए जिससे कि निश्चित तौर से हम उन पर नकेल कस सकें और आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि किसी भी स्कूल में 3000 बच्चे हैं और आपने कहा कि 15 प्रतिशत उनका होना चाहिए तभी हम उसकी सुनवाई करेंगे। तो 450 लोग, लोगों के घर कैसे एक आदमी जाए, कहां से समिति वाले जाएंगे? यह 15 प्रतिशत वाला भी इसको हटा देना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति 10 आदमी बोलेंगे, उसको ही मान्य होना चाहिए। तो, आपसे मैं कहना चाहता हूं ये प्रावधान निश्चित करें और ऑडिट जो किया जाए, वह सरकार के तहत किया जाए। यदि ऑडिट में गलती पाई जाती है उस पर कानूनी कार्रवाई करने का काम करे सरकार। तो मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है और बच्चे देश को संभालते हैं। हमारे बाद बच्चे इस देश के नेता बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, सब वो लोग बनेंगे तो हम अच्छी शिक्षा देकर गरीबों के कल्याण और विकास की बात करें और इसमें विशेष तौर से उस कमेटी में ये प्रावधान जरूर किया जाए, रिजर्वेशन जरूर रखा जाए।

(समय की घंटी)

श्री सुरेंद्र कुमारः एससी एसटी बच्चे के रिजर्वेशन रखने का भी काम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्षः धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती शिखा राय।

श्रीमती शिखा रायः धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी मैं इस सदन में जब आज धन्यवाद कर रही हूं अपनी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का और अपने शिक्षा मंत्री श्रीमान आशीष सूद जी का तो यह धन्यवाद मैं एक विधायक के रूप में नहीं एक अभिभावक की तरह कर रही हूं एक मध्यमवर्गीय परिवार की उस उम्मीद की तरफ से कर रही हूं जिसको इस विधेयक से पंख मिले हैं और शिक्षा व्यवस्था को जो न्याय मिला है मैं उसकी तरफ से बहुत पुरजोर तरीके से धन्यवाद करती हूं। अध्यक्ष जी लंबी चर्चा में यह बात सामने बार–बार आई कि किस तरह से दिल्ली की जनता ने दशकों से एक ही तकलीफ झेली है। बिना वजह, बिना सीमा और बिना जवाबदेही के स्कूल फीस में बढ़ोतरी। कभी नया साल शुरू होने से पहले, कभी ठीक एग्जाम के समय और कभी–कभी तो बिल्कुल बिना सूचना के। अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहती हूं कि ये लूट इतने साल क्यों चलती रही, क्यों पिछली सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली थी? उनके राज में हर स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहा था और एक दंतहीन कानून का बहाना बनाकर वो चुपचाप देख रहे थे। ये उनकी विफलता नहीं थी क्योंकि विफलता सफलता तब होती है जब प्रयास किया जाए। ये उनकी मौन स्वीकृति थी, साइलेंट एग्रीमेंट जिसकी आपने भी चर्चा की थी कि कैसे जब पेरेंट्स कोर्ट के चक्कर लगाते थे तो यह तथाकथित कट्टर ईमानदार लोग शीश महल के एसी कमरों में बैठकर सांठगांठ करते रहे। अध्यक्ष जी, कानून का कोई डर नहीं था। पिछली सरकार ने स्कूलों को और शिक्षा निदेशालय को एक ऐसे शक्तिहीन रक्षक की तरह बना रखा था जिसके हाथ पैर बांध दिए गए थे। पिछली सरकार के बजट खर्च में जो शिक्षा पे होता था उसमें मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा खर्च होता था ना कि गुणवत्ता सुधार में, क्वालिटी एजुकेशन में कोई सुधार कभी नहीं आया। इसीलिए छात्रों की संख्या सरकारी स्कूलों में घटती रही, ड्रॉप आउट रेट बढ़ता रहा। प्रिंसिपल्स कम होते रहे। पढ़ाई का स्तर राष्ट्रीय औसत से

नीचे जाता रहा। और इसी दौरान में ये निजी स्कूल अपनी मनमानी फीस पर बढ़ोतरी करते रहे। अध्यक्ष जी ये विधेयक के जरिए अब उन्हीं अधूरी बातों को संवैधानिक ताकत के साथ पूरा किया जाएगा। इसलिए बार–बार हम सब बधाई दे रहे हैं अपने मुख्यमंत्री जी को और अपने शिक्षा मंत्री जी को। इस बिल का ध्येय क्या है। फीस बढ़ोतरी में रोक, पारदर्शिता और profiteering की मानसिकता पर रोक। बहुत क्लेरिटी से इन तीनों चीजों के ऊपर विचार करके इस बिल में उन सब चीजों को incorporate किया गया है। अब स्कूल ट्रांसपेरेंसी से अपना सारा हिसाब किताब उस कमेटी के सामने रखेंगे। जो पेरेंट्स होंगे जिसमें अब बंद कमरों में नहीं उनकी मौजूदगी में फैसले होंगे। उन अभिभावकों के जिनके बच्चों के भविष्य दांव पर लगे रहते हैं और सरकार अब एक मूकदर्शक की तरह नहीं बैठेगी, सरकार अब संरक्षक होगी। जब जब ऐसी कोई मनमानी, कोई बेमतलब की चीज होगी तो शिक्षा निदेशक को दी गई शक्तियां इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि अगर कहीं गड़बड़ी हो तो सरकार सीधे–सीधे उसमें इंटरफेयर कर सकती है। अब किसी भी बच्चे का रिजल्ट रोकना या उसे क्लास से बाहर निकालना सिर्फ एक नियम का उल्लंघन नहीं होगा, एक दंडनीय अपराध होगा। अध्यक्ष जी, किसी भी कानून की उपयोगिता और उसका डर तब होता है जब उसके नियम कानून सख्त हो और उसकी अप्रोच बैलेंस्ड हो और ये कानून दोनों ही बातों को पूरा करता है। इस बिल में डिस्ट्रिक्ट फी–एपीलेट कमेटी और रिवीजन कमेटी को जो सिविल कोर्ट जैसी ऐतिहासिक शक्तियां दी गई हैं, ये सबसे बड़ा कदम है क्योंकि अगर स्कूल फी बढ़ाएगा तो वजह बताएगा। दस्तावेज देना होगा, कमेटी के सामने वह जवाबदेह होगा। ये कमेटियां कभी भी किसी को भी बुला सकती हैं, ओथ पर पूछताछ कर सकती हैं और जरूरी दस्तावेज मंगवा सकती हैं और नियम तोड़ने पर जुर्माना होगा और बार–बार गलती करने पर प्रबंधन ही छीन लेने की ताकत होगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि ये बिल सिर्फ शिक्षा में सुधार नहीं है, ये एक टूटी हुई व्यवस्था की मरम्मत है। यह एक ठगे हुए समाज को इंसाफ देने की शुरुआत है। ये सुनिश्चित करने का बिल है कि अब शिक्षा व्यापार नहीं हो सकती। ये बैरियर है उन स्कूलों के खिलाफ जो शिक्षा को भ्रष्टाचार समझते हैं। और मैं यह भी समझती हूं कि ये बिल सिर्फ अभिभावकों को सशक्त नहीं करता, ये अच्छे और ईमानदार स्कूलों को भी सुरक्षा देता है जिन्होंने हमेशा पारदर्शिता से

काम किया, जिन्होंने शिक्षा को सेवा माना। ये बिल उनके लिए ढ़ाल है ना कि ये तलवार है। इस बिल ने साबित किया है कि जब इरादे नेक हो तो नीति भी निर्णायक होती है।

(समय की घंटी)

माननीय अध्यक्षः बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्रीमती शिखा रायः इसलिए अंत में अध्यक्ष जी दो लाइनें कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगी कि जो तालीम को प्रचार का साधन बनाए वो सिर्फ नारों में इतिहास बनाते हैं। और जो तालीम को परिवर्तन का जरिया बनाए वो इतिहास नहीं भविष्य गढ़ते हैं और हमारी सरकार एक सुंदर, अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर है। धन्यवाद अध्यक्ष जी।

माननीय अध्यक्षः माननीय नेता, विपक्ष सुश्री आतिशी जी।

सुश्री आतिशी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का समय दिया। ये जो प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेट करने का बिल दिल्ली विधानसभा के पटल में आया है इसकी पृष्ठभूमि अप्रैल, 2025 में रखी गई। अप्रैल 2025 का महीना था, बहुत गर्मी थी, 40 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था और इतनी गर्मी में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के बाहर दिल्ली के एक नहीं दो नहीं, दिल्ली के अनेकों प्राइवेट स्कूलों के बाहर एक नजारा देखने को मिल रहा था कि मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के काफी रईस माता–पिता, बड़ी–बड़ी गाड़ियों में आने वाले स्कूल के बाहर खड़े होकर बढ़ी हुई फीस के बारे में नारे लगा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहली बार ये नजारा देखने को मिला कि स्कूल के बाहर बाउंसर्स रखे गए, बच्चों को अंदर जाने से रोका गया, बच्चों को लाइब्रेरी में बंधक बनाया गया, ये दिल्ली में पहली बार देखा। ये सब क्यों हो रहा था, पेरेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? इतनी गर्मी में 40 डिग्री में बड़ी–बड़ी गाड़ियों में आने वाले माता–पिता, जो मैं मानती हूं बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ही बोर्डर होंगे, वो क्यों सड़क पे उतरे हुए थे? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने 2025–26 में बेलगाम, बेतहाशा अपनी फीस बढ़ा ली थी। इसलिए माता–पिता को सड़क पे उतरना पड़ा। वो हमारे पास आए। वो सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास भी गए होंगे, मंत्रियों के पास गए। माननीय मुख्यमंत्री के भी हमने वीडियो देखे कि उनसे मिलने

कई बच्चे गए और सरकार की तरफ से ये बात आई कि हम प्राइवेट स्कूल की फीस को कंट्रोल करने के लिए बिल लेके आएंगें। हमने भी उसका स्वागत किया कि अच्छी बात है। हमने भी प्रयास किया था 2015 में और नवंबर 2015 में दो बिल पास हुए थे दिल्ली विधानसभा में जिसमें से एक प्राइवेट स्कूल की फीस को रेगुलेट करने का था। लेकिन जब हमने वह बिल केंद्र सरकार को भेजा था उस पर मंजूरी नहीं मिली थी तो मुझे लगा कि देखिए अब तो भारतीय जनता पार्टी की चार इंजन की सरकार है, जो भी बिल दिल्ली सरकार भेजेगी वो केंद्र सरकार जरूर मंजूर करेगी। तो दिल्ली को इस बार एक सख्त कानून जरूर मिल जाएगा। लेकिन जो बिल अध्यक्ष महोदय, इस बार सदन में प्रस्तुत हुआ है ये माता–पिता के हक में नहीं, उस 40 डिग्री में खड़े और मुझे याद है एक वीडियो मैं देख रही थी कि एक महिला तो स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट करती हुई बेहोश हो गई। ये बिल उन माता–पिता के हक में नहीं है। ये बिल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल के मालिकों के हक में है और मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी क्यों। मैं तीन भागों में आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये बिल कैसे लाया गया, कब लाया गया और इस बिल में क्या है। ये तीनों चीजें आपको स्पष्ट करेंगी कि यह बिल वास्तविक तौर में प्राइवेट स्कूल के मालिकों के हक में है। ये बिल कैसे लाया गया? अप्रैल के महीने से बात हो रही है कि हम बिल लाएंगे। अगर मानसून सेशन में ही बिल आना था, चार महीने के बाद बिल आना था तो इस चार महीने में एक बार भी इस बिल को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए क्यों नहीं डाला गया? बार–बार माता–पिता आए, हमारे पास भी आए, आपके पास भी आए। वो कहते थे हम अपनी राय देना चाहते हैं। कई शिक्षाविद कहते थे हम अपनी राय देना चाहते हैं लेकिन किसी से कोई राय नहीं ली गई। ये बिल सबके हाथ में मात्र छ दिन पहले आया है। अप्रैल से इसकी चर्चा चल रही है। तो अगर माता–पिता के हक में था तो क्यों वेबसाइट पे नहीं डाला? क्यों लोगों की राय नहीं ली और इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से रायशुमारी के साथ बिल आना चाहिए और इसीलिए आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने बार–बार मांग की है कि बिल को सिलेक्ट कमेट में भेजा जाए, राय शुमारी की जाए और तब तक 2024–25 के लेवल्स पर फीस को फ्रीज किया जाए। दूसरी बात, ये बिल कब लाया गया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अप्रैल के महीने में कहा गया बिल आ रहा है, खबर में आया कि कैबिनेट में पास हो गया। यह बताया गया कि स्पेशल सेशन होगा और स्पेशल सेशन में

इसको पास किया जाएगा। मई में स्पेशल सेशन अनाउंस हो गया। सेशन से एक दिन पहले सेशन कैंसिल हो गया। फिर जून में कहा गया कि हम इसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाएंगे। जुलाई में कैबिनेट में कहा गया ऑर्डिनेंस पास हो गया। चार महीने बीत गए पर बिल का कोई नामोनिशान नहीं आया। अब अगस्त के महीने में जाके ये दिल्ली विधानसभा में पेश हुआ। क्यों चार महीने देरी की गई? क्योंकि इस चार महीने में जो बेलगाम फीस अप्रैल के महीने में बढ़ाई गई थी, माता–पिता को डरा के धमका के सब प्राइवेट स्कूलों ने वसूली कर ली इसलिए चार महीने देर किया गया। और सिर्फ इतना नहीं, चोरी छिपे इस बिल में सेक्शन–5 के सेकंड प्रोवाइजों में जो बढ़ी हुई फीस है अप्रैल, 2025 की उसको इस पूरे फीस बिल का आधार बना लिया गया तो जो माता–पिता सड़क पे उतरे थे जिस फीस के खिलाफ उतरे थे उस पे सरकारी ठप्पा लगा दिया है आपके कानून ने। और अब इस बिल में क्या है, ये बिल कैसे माता–पिता के हक में नहीं है और प्राइवेट स्कूल्स के हक में है। देखिए कोई स्कूल कम फीस ले रहा है, ज्यादा फीस ले रहा है, सही फीस ले रहा है इसको तय करने का एक ही तरीका है कि उनके खातों को ऑडिट किया जाए, क्यों? क्योंकि अभी जो बिल में प्रावधान है कि स्कूल क्या–क्या खर्चे कर रहा है कि भई वह बिल्डिंग पे कितना कर रहा है, टीचर्स पे कितना करता है, अलग–अलग चीजों पे कितना करता है। मान लीजिए कि स्कूल अगले तीन साल के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और उस हिसाब से कह रहा है कि मुझे 1 करोड़ रुपए 3 साल की फीस से चाहिए। लेकिन जब तक उनके खातों का ऑडिट नहीं होगा, क्या पता 90 लाख रुपए उनके खातों में ही पड़े हो और मात्र 10 लाख रुपए उनको स्कूल की फीस से चाहिए हों। तो अगर ऑडिट नहीं होगा तो किसी को पता नहीं चल सकता कि क्या फीस इनक्रीज सही है या गलत है। और अचंभे की बात है जिस दिन पहले दिन इस बिल पे चर्चा हुई कई एमएलएज ने ऑडिट की बात करी लेकिन इस बिल में 13 पन्ने के बिल में ऑडिट शब्द भी मेंशंड नहीं है, एक बार भी मेंशंड नहीं है। अब कौन डिसाइड करेगा फीस बढ़ेगी कि नहीं? एक ऐसी कमेटी जिसकी अध्यक्षता मैनेजमेंट कर रही है जिसमें मात्र पांच माता–पिता हैं और वह भी पर्ची से निकाले हुए। हम सबने देखा है कि किस तरह से मुझे ख्याल आ रहा है 2012 में दिल्ली में एक ईडब्ल्यूएस का मुद्दा सामने आया था 2012 में या 2013 में कि एक प्राइवेट स्कूल फ्रीजर में पर्ची डाल देता था और फिर ठंडी पर्ची निकाल लेता था। तो पूरी दिल्ली ने देखा है कि किस

तरह से पर्ची को मैनपुलेट किया जा सकता है। तो पांच पेरेंट्स वह भी पर्ची से चुन के आए। वो भी बेचारे अगर थोड़ा एक दो साल में स्कूल के खातों के बारे में सीख जाएं तो दो साल पे उन्हें पाबंदी लगा दी जाती है कि दो बार के बाद आप उस कमेटी में नहीं आ सकते। ऐसी कोई पाबंदी मैनेजमेंट पे नहीं लगाई जाती है। लेकिन पेरेंट्स पे पाबंदी लगाई जाती है कि आप 2 साल के बाद फिर से उस कमेटी में नहीं आ सकते। फिर आपको शिकायत करनी है तो आप 15 प्रतिशत पेरेंट लेके आइए। यानी 2000 बच्चों का स्कूल, तो पहले 300 लोगों के घर जाइए, 300 लोगों से साइन लेके आइए। आपको कोर्ट जाना है तो कोर्ट जाने का अधिकार भी जो एक संवैधानिक अधिकार है वो इस बिल ने छीन लिया है माता–पिता से, ये है इस बिल की सच्चाई। तो ये बिल कैसे आया, ये बिल कब आया और इस बिल में क्या है। ये सब कुछ साफ कर देता है कि यह बिल जो लाखों दिल्ली के अभिभावक हैं उनके हक में नहीं है। ये प्राइवेट स्कूल्स को बचाने के लिए, ये प्राइवेट स्कूल्स की फी पे ठप्पा लगाने के लिए इस बिल को बनाया गया है। और ये सच्चाई भी है ये आज डिबेट में भी दिख रहा था। कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक जय भीम योजना के बारे में बात कर रहा है, कोई पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बात कर रहा है। लवली जी कांग्रेस काल के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी विधायक ने ये कहा नहीं कि इस बिल के प्रावधान बड़े अच्छे हैं क्योंकि सबको सच्चाई पता है। भारतीय जनता पार्टी की एक और मजेदार बात है। आप उनसे कोई भी सवाल पूछिए। पानी क्यों नहीं आ रहा, पानी क्यों गंदा आ रहा है, सड़कें क्यों टूटी हुई है, स्कूल की फीस क्यों बढ़ रही है। उनके तीन जवाब होते हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और आतिशी। हम सब चीज के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे आज तक मोदी जी कहते हैं नेहरू हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। हम ही आज सब चीज के लिए जिम्मेदार हैं।

....व्यवधान.....

(समय की घंटी)

सुश्री आतिशी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): और दूसरी बात, ये आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि जो 40 डिग्री में जो अगर फीस हमारे कार्यकाल में बढ़ी तो जो 40 डिग्री में माता–पिता

सड़क पे आए हुए थे वो तो इसलिए आए हुए थे क्योंकि सब स्कूलों ने फीस घटा दी थी और वो फीस घटने के विरोध में आए हुए थे। अगर आपकी बात मानी जाए तो ऐसा लगता है कि जो माता–पिता सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो फीस घटाने की वजह से कर रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों से कहना चाहती हूं आपको भी फिर से चुनाव लड़ना है। आपको भी जनता के बोर्ड चाहिए होंगे। इस बिल से एक भी प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़नी रुकने वाली नहीं है। जो आप उम्मीद कर रहे थे कि आपके बोर्डरों को फायदा होगा, वो फिर से आपको बोर्ड देंगे, ये होने वाला नहीं है। तो मेरा आप सबसे यह आग्रह रहेगा कि जो अमेंडमेंट्स आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने रखे हैं कि माता–पिता की संख्या बढ़ाई जाए, उनको पर्ची से नहीं चुन के भेजा जाए, कि ऑडिट को हर साल कंपलसरी किया जाए, कि स्कूल के हर माता–पिता को ऑडिट की रिपोर्ट भेजी जाए। उनको 15 दिन का समय दिया जाए कि वो उस ऑडिट रिपोर्ट पे अपना फीडबैक दे सके कि ये कंडीशन कि 15 प्रतिशत पेरेंट्स की जरूरत है उसको हटाया जाए। कोर्ट जाने के अधिकार को वापस रखा जाए। मैं चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हमारे इन अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करें। दिल्ली वाले देख रहे हैं कि कौन माता–पिता के हक में है और कौन प्राइवेट स्कूल्स के हक में है। मैं बस इतना ही आग्रह करूंगी अध्यक्ष महोदय,

माननीय अध्यक्षः बहुत–बहुत धन्यवाद।

सुश्री आतिशी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष)ः कि बोर्ड के समय, बोर्ड के समय, जब जब बोर्ड का समय हो तो मेरा यह आग्रह है कि डिवीजन ऑफ बोर्ड्स आप सब अमेंडमेंट्स पे कीजिएगा। दिल्ली वालों को पता होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता–पिता को पता होना चाहिए कि किसने उनके हक में बोर्ड की और किसने स्कूलों के हक में बोर्ड करी।

माननीय अध्यक्षः चलिए धन्यवाद। माननीय सदस्यगण सदन का समय आधा घंटा के लिए बढ़ाया जाता है। अब माननीय शिक्षा मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय शिक्षामंत्री(श्री आशीष सूद)ः बहुत–बहुत बहुत–बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मानसून सत्र में जिस शिद्दत के साथ दूध का

दूध पानी का पानी करने के लिए विषयों का संचालन किया है वो बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि बधाई के पात्र हैं आप उसके लिए। हमारे सब विपक्ष के दोस्त बता रहे थे कि अप्रैल के महीने में उन्होंने मुख्यमंत्री जी के चित्र देखे। लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी परेशानियां लेकर जा रहे थे। उन्होंने आरोप भी लगाए। मगर आज जब मैं इस बिल के ऊपर चर्चा पर जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री जी के निवास पर दो स्कूलों के अभिभावक जिस वीडियो की हमारे विपक्षी भी बात कर रहे हैं जब गए उनके उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने मुझे और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अलग–अलग फोन किए और मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था, मैं उनको जितना साधुवाद दूं उतना कम है। उन्होंने मुझसे कहा मंत्री जी हम तो आज अभी थोड़े दिन पहले चुनकर आए हैं 27 साल बाद मगर लोगों की पीड़ा इतनी ज्यादा है 27 साल से हमें तुरंत इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने के लिए करना चाहिए। और मैं जितना दिल्ली की जनता की ओर से अपने पूरे विधायक दल की ओर से मुख्यमंत्री जी का साधुवाद करूं कि उन्होंने फ्री हैंड के साथ, मैंने पिछली बार भी बताया कि डराया गया। अभी, अभी मैं वो जिकरा करूंगा जिसके बारे में जब मैंने पिछली बार कहा तो आतिशी जी बार–बार पूछ रही थी नाम उस पर भी आएगा मामला अभी और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं आतिशी जी ने कहा हम सारे विधायक इनके अनुमोदनों का इनके संशोधनों के बारे में बातचीत करें। मैं अपनी इस बिल के संदर्भ में अपनी चर्चा में ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम सबको इस बात को याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटियों से बंधे हैं और मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक इच्छाशक्ति से बंधे हैं। आप भी अपनी अंतरात्मा के आधार पर बोर्ड करिएगा क्योंकि, क्योंकि लवली जी ने जो बात आपको बताई है उसे गिरह बांध लीजिए। ऑन द लाइटर साइड, लोग कहते हैं ना अपने साथ एक जरा ज्यादा अनुभवी व्यक्ति को बारात में लेकर जाना चाहिए। ऐसे लवली जी ने आपको बताया है। अगर, अगर सुनिए सुनिए अभी आपको सब मिलेगा। आप लोगों ने जो जो कहा है हर चीज का जवाब मिलेगा। बस सुनने की ताब रखिएगा। सुनने की, अभी देखते जाइए। तो जो इन्होंने कहा कि कुछ सीख लो गिरह बांधनी चाहिए आपको भी विपक्ष के लगभग लगभग 10–12 लोग बोले हैं साहब। दो लोगों ने बिल के क्लॉजेस का जिक्र किया संख्या के साथ। साथ–साथ में दो क्लॉज़ का जिक्र किया, माननीय नेता विपक्ष

ने एक क्लॉज़ का जिक्र किया। बाकी तो बिना पढ़े रिटोरिक्स में बोले जा रहे हैं। अब जब मैं बताऊंगा तो शोर मचाएंगे। बत कही आप समझेंगे इस बात को। पूर्वांचल के हैं ना। बत कही और होती है। ये सदन बत कहियों पे नहीं चलता है। यह सदन बत कहियों पे नहीं चलता है। और ये भी सच्चाई है जब स्टेटस को टूटता है तो फ्रिक्शन होती है। जब स्टेटस को टूटता है ना तो फ्रिक्शन होती है। 10 साल से दिल्ली के मालिक बने बैठे थे, स्टेटस को टूट गया। शिक्षा की क्रांति की बातें होती थी। आज एक–एक करके जब खुल रहा है तो स्टेटस को टूट गया। ये फ्रिक्शन उत्पन्न हो रही है। इसलिए बत कहियों में माहिर विपक्ष ने तो टिफिन घर को भी फांसी घर बता दिया था। टिफिन घर को भी फांसीघर बनाने वाले अब इस बिल पर ये क्या चर्चा करेंगे। मगर हमारा कर्तव्य है हमारा कर्तव्य है दिल्ली की जनता को एक–एक चीज की असलियत बताना। हमारी आप आलोचनाएं करें, इस विधेयक के संदर्भ में इसके इंटरप्रिटेशन पर कुछ भी कहें, विपक्ष के दावे उन अभिभावकों का अपमान है जिसका आप भी प्रतिनिधित्व करते हो। इसलिए आपके लिए विशेष तौर पर मैं शायर वसीम बरेलवी का शेर लाया हूं।

''झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।

झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ने की कोशिश कर रहे थे

और मैं था कि सच बोलता रहा।''

एक–एक धारा, एक–एक धारा आपको एक्सपोज करेगी। मगर पहले कुछ बातें आदरणीय अध्यक्ष जी आपके समक्ष, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं। जब यह बिल प्रस्तुत होने लगा उससे पहले जैसा आम आदमी पार्टी का एक, एक, आतिशी जी ने कहा, फिर डिप्टी सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम ने कहा आशीष सूद ने प्राइवेट स्कूल को आश्वासन दिया है, एक ऐसा आर्डर निकलेगा जिससे हर प्राइवेट स्कूल को 10 प्रतिशत फीस बढ़ाने की अनुमति मिल जाएगी। ये उसकी कटिंग्स है साहब। दिल्ली की जनता को झूठ फैलाया गया कि हम 10 प्रतिशत फीस बढ़ा देंगे। बताइए इस बिल में कहीं लिखा हो 10 प्रतिशत फीस बढ़ा दिया जाएगा।

...व्यवधान.....

माननीय शिक्षा मंत्रीः अरे रुको तो सही ना वो भी बता रहा हूं। अरे भई,

...व्यवधान.....

माननीय शिक्षा मंत्रीः अरे भाई साहब रुको तो सही। फिर कहा गया, अरे सुन तो लो। अरे आप आप सुनो, 10 साल में कहा गया 10 साल में अभी–अभी नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी कह के चुकी 10 साल में प्राइवेट स्कूलों ने फीस नहीं बढ़ाई। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन इनविटेशन मंगाए फीस वृद्धि के लिए किस–किस को बढ़ानी है और सुनने की ताब रखिएगा 2016–17 में 160 में से 30 स्कूलों को 17–18 में 60 को कोविड में भी 20–21 में 94 स्कूल्स को और 21–22 में 195 स्कूल को 22–23 में 145 स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति आपने दी है। आपने दी है अनुमति। आपने दी है। चुन चुन कर दी है। मनमर्जी से दी है। और कौन से ऑडिट चेक कर रहे थे। आपके जमाने में डीएससीआर 1973 के ऑडिट के मामले में कहा जाता था जोन में पांच स्कूल का ऑडिट कर लो। 15×5=75 स्कूल का ऑडिट होता था और बड़ी–बड़ी बातें हो रही हैं साहब। मजे की बात है आदरणीय अध्यक्ष जी। कृपया आप ध्यान दें 2023–24 में 262 स्कूलों ने, 262 स्कूलों ने अप्लाई किया इनके कहे अनुसार फीस वृद्धि के लिए, 19 को अप्रूवल दी बाकी पे कोई फैसला ही नहीं किया। 2024–25 में 244 स्कूलों ने अप्रूवल मांगी एक को भी अप्रूवल नहीं दी, कुछ नहीं किया। फाइलों पर बैठ गए। फाइलों पर बैठ गए। और क्यों बैठे वो अगले कुछ पन्नों में आपको निकाल कर दिखाऊंगा क्यों बैठ गए ये लोग। बातें करते हैं कि इनके जमाने में तो फीस नहीं बढ़ी। यह तथ्यात्मक रूप से है। इनमें से कोई भी, कोई भी तो नहीं कह सकता लवली जी आपने ठीक कहा आधों को तो पता ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं रहने दिया, आतिशी जी भी क्राइम में शामिल थी उसमें। इन्होंने बढ़ने दी, कोई जवाब किसी के पास नहीं है। और इन 260 स्कूल क्यों करते थे अप्लाई, दिल्ली में तो 1733 स्कूल हैं। 1700 से ऊपर स्कूल है वही क्यों अप्लाई करते थे, बाकी फीस जो बढ़ा रहे थे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के पास कतई कोई जवाब नहीं है। एक अनथोराइज कॉलोनी में नजफगढ़ में दो हजार रुपए फीस पर एक व्यक्ति पढ़ा रहा है स्कूल चला रहा है। उसने रातोंरात बिना किसी कागज के, बिना किसी देखरेख के फीस कर दी 2400, 20 प्रतिशत वृद्धि हो गई उस गरीब के बच्चे को क्योंकि इन्होंने वहां स्कूल नहीं

बनाए। उसे अंग्रेजी पढ़ानी है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, उसकी इनके पास कोई रोक–टोक, कोई कोई कागज पत्र, कोई पद्धति, कोई तरीका ही नहीं है। 1700 के लगभग प्राइवेट स्कूल हैं। आपके पास 236 स्कूल एट द मोस्ट आपके कहने पर फीस वृद्धि का एप्लीकेशन लगाते थे, क्यों? व्हाट वाज गोइंग ऑन? वो मैं बताता हूं आपको व्हाट वाज गोइंग ऑन। अभी आतिश जी ने कहा कि साहब। नहीं पहले एक बात अध्यक्ष जी आपको और बताना चाहता हूं। सिलेक्ट कमेटी, सिलेक्ट कमेटी बड़ी बातचीत चल रही है। जीएसटी बिल के बारे में भी बात हुई है। 2020 से 25 के बीच में आप हैरान होंगे। आप में से कई लोग माननीय लवली जी कई साल विधायक रहें, मंत्री रहे हैं। 5 साल में कुल 14 बिल पास हुए हैं साहब। ओनली 14 बिल्स। सैलरीज ऑफ लेजिस्लेटर्स फाइव बिल्स। जीएसटी अमेंडमेंट फाइव बिल्स। सैलरी ऑफ़ लेजिसलेटर्स पास सेम डे, ऑल फाइव बिल्स पास सेम डे। जीएसटी अमेंडमेंट फाइव बिल थ्री पास सेम डे और आज इनको सब चर्चा भी चाहिए।..... अरे अरे कोई बात नहीं रुको एजुकेशन का एक बिल पास हुआ नेक्स्ट डे, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म सेम डे, सिख गुरुद्वारा नेक्स्ट डे, टूरिज्म का बिल सेम डे केवल 14 बिल पास हुए। 2012 के बाद इस विधानसभा में कोई बिल सिलेक्ट कमेटी में नहीं गया। सिलेक्ट कमेट में जो अरे रुको तो सही यार देखो बीच में, सुनो न बीच मत बोलो।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः देखो भई ऐसे, नहीं, आप प्लीज।

माननीय शिक्षा मंत्रीः आपको अभी, आपको अभी मोहन सिंह जी ने बताया था।

...व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः इतना अच्छा हाउस चल रहा है कोपरेट कीजिए।

...व्यवधान....

माननीय अध्यक्षः आतिशी जी ने जितने नाम मुझे दिए मैंने विपक्ष के हर सदस्य को बुलवाया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ़ मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बिठाया।

माननीय शिक्षा मंत्रीः और वो बिल था दिल्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ़ मैरिज बिल्स 2012। ये 2012 में सिलेक्ट कमेटी को गया। आज कहां है किसी को पता नहीं कुछ बना हो तो विधानसभा के रिकॉर्ड में तो कुछ है नहीं इसके बारे में। इसलिए भेजना चाहते हैं सिलेक्ट कमेटी को, आपने ठीक बताया। अब आतिशी जी ने कहा हमने भी दो बार कोशिश की। कहा एक बार हमने कोशिश की मगर केंद्र सरकार ने हमें रोक दिया। वह अमानतुल्ला खान साहब यहां थे। कह रहे सर्विसिज तुम्हारे पास है, फलानां तुम्हारे पास है, फलानां तुम्हारे पास है। हमें करने ही नहीं दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी जेब में कार्ड रख के चलते हैं विक्टिम कार्ड। अपने नकारेपन को छुपाने के लिए खटाखट विक्टिम कार्ड लहरा देते।

...व्यवधान....

माननीय शिक्षा मंत्रीः एक मिनट रुकिए। आपको जवाब दूंगा। 2015 में बिल लाए कंपैरिजन बिल लाए दिल्ली स्कूल वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिफंड ऑफ एक्सेस फीस, फिर अगले ही दिन उसमें थोड़ा परिवर्तन करके एक और बिल शिक्षा का जोड़ा 2015 का यह बिल जब ये लाए आज ये बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि इसको पब्लिक कंसल्टेशन में जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए साहब। इसमें हमें 131 के अंतर्गत जवाब नहीं दिया। जरूर मिलना चाहिए साहब अगर जो जवाब आप मांगेंगे हमने तो पोर्टल पर पहले रखा है। अब आप एक बात समझिए जो ये 2015 का ये बिल लाए मैं उस बिल का भी कंपैरिजन करके बताऊंगा। आपको तो पता ही नहीं होगा लवली जी ने बताया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिए 2015 के बिल के बारे में। आपने यहां तो चाहिए पब्लिक कंसल्टेशन, सिलेक्ट कमेटी, ये बिल पेश हुआ 20 नवंबर को। 30 नवंबर को 4:00 बजे डिस्कशन शुरू होती है तीन बिलों पे। पहला बिल वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिफंड ऑफ एक्सेस फीस। दूसरा बिल दिल्ली स्कूल एजुकेशन अमेंडमेंट बिल, तीसरा बिल दी राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री कंपलसरी एजुकेशन दिल्ली अमेंडमेंट 2015। बिल का नंबर नौ, 10 और 15। 20 तारीख को पेश हुआ दो बिल एक बिल 27 को 30 तारीख को चर्चा शुरू होती है। बड़ी भयंकर चर्चा शुरू होती है साहब। बहुत भयंकर 4:00 बजे चर्चा शुरू होती है। discussion on aforesaid bills were introduced by Shri Manish Sisodia कौन–कौन बोले साहब। राजेंद्र पाल गौतम, प्रवीण कुमार, नितिन त्यागी, सोमनाथ

भारती, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, राजेश ऋषि, अजय दत्त, राजेश गुप्ता, राखी बिरला, रघुवेंद्र शौकीन, गुलाब सिंह ये सारे..... इनमें से एक,.... हां–हां दर्द, दर्द अभी, अभी दर्द आधा, वोटिंग तक बैठोगे, तो आधा घंटा दर्द बार–बार होगा। अभी जो यह बता रहे थे, वोटिंग तक बैठो। कपिल जी ने भी उस दिन बताया।

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्रीः अरे रुको ना दर्द होता रहेगा। तो तीन लोग, तीन लोगों की बात नहीं सुनी जानी चाहिए, क्यों नहीं बोलेंगे आप और और सुनिए और आगे सुनिए और आगे सुनिए एक भी विपक्ष के सदस्य को बोलने नहीं दिया। बड़ी लंबी मैराथन चर्चा हुई साहब 2015 के बिल पे बड़ी लंबी मैराथन चर्चा हुई और इधर से उधर दुनिया इधर से उधर हो गई। 4:00 बजे शुरू हुई और शाम को 6:00 बजे तीनों बिल पास हो गए। तीनों बिल पे चर्चा संपन्न और और तीनों बिल पास 1 दिसंबर को। दो घंटे की मैराथन चर्चा में दिल्ली की शिक्षा पर कौन सी कंसल्टेशन हुई? कौन सी पब्लिक को, अरे सुनो तो सही देखो अब सुनना पड़ेगा हमने बड़े धैर्य पूर्वक सुना है। कष्ट रहेगा, अभी थोड़ी देर रहेगा। धीरे–धीरे होगा धीरे–धीरे। आतिशी जी आपने कहा कंसल्टेशन होनी चाहिए। दिल्ली के जनता के लिए एक्सेस फीस वापस करनी थी। किससे चर्चा करी, क्यों नहीं करी, इसके बारे में बताने का कोई कष्ट मत करिएगा। कोई कष्ट मत करिएगा। हमारे पास सारे रिकॉर्ड अवेलेबल है, जनता के लिए सब हो जाएगा। उसमें इन्होंने एक कमेटी बनाई थी साहब। जो कमेटी में एक ही आदमी होगा। ओनली वन कमेटी जिसमें कुछ लोग हैं। हमने थ्री tier कमेटी बना दी हम अनडेमोक्रेटिक हैं, हम अनडेमोक्रेटिक हैं। quantum of fees is not decided by the committee फीस कमेटी नहीं डिसाइड करेगी। हम कमेटी कितनी फीस डिसाइड कर ले तो हम अनडेमोक्रेटिक हैं, हमारा बिल खराब है। ambiguous था, non transparent था। Committee has sole authority for decision हमारी कमेटी में एक के बाद एक, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी में अपील में जा सकते हैं और बाकियों के भी जवाब देता हूं जो कोर्ट की आप बातें कर रहे हैं सब बताता हूं। interest of stake holder of parent not considered उनमें से कोई पेरेंट नहीं था इनकी में।

हमने पांच पेरेंट रख दिए बहुत गुनाह कर दिया साहब। मगर एक बात अच्छी है। जब अध्यक्ष जी ये 5 के कह रहे हैं 10 कर दो इसका मतलब इन्होंने मान लिया हमारी चीज तो ठीक है। आतिशी जी अमेंडमेंट लाई है। इस बिल में उन्हें याद नहीं आया था। अमेंडमेंट लाई है कि जुर्माना 1 लाख से 2 लाख से 20 लाख कम 10 लाख कम है, 25 लाख से 1 करोड़ करना है। इसका मतलब इनके पास जब अवसर था तब तो कर नहीं पाए। आदमी रिपेंट करता ही है। काश, काश मैं भी कर लेता, काश मैं भी कर लेता। तो भाई आज इन्हें एक करोड़ जुर्माना स्कूल पे लगाना याद आ गया। मगर जब यह बिल बन रहा था तब इनमें से किसी को याद नहीं आया कि 1 करोड़ जुर्माना इस पे लगना चाहिए।

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्रीः अरे भाई साहब रुको तो सही अभी अभी अभी और एक बिल और है। एक एक बिल आपका और है उसमें और ज्यादा दर्द होगा। और इसके बाद, इसके बाद इनकी बिल में था verification of written and document is done in accordance with 73 जबकि हमारा ज्यादा robust mechanism हमने बनाया। ये कहते हैं complaint can be made before the committee only इनके बिल में committee के पास एक ही कंप्लेंट कर सकते हो with respect of utilization of school fund or non refund of excess fees मेरी फीस ज्यादा लग गई इसके बारे में कोई बात मत करो लड़ाई लड़ते रहो बस बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ। ये अपने कमरों में बैठेंगे, ये काली, पीली, नीली, गाड़ियों में घूमेंगे। शीश महल में रहेंगे। मगर इनको नहीं बोलो बच्चे और पेरेंट्स खड़े रहे वहां एक्सेस फीस मांगने के लिए और इनको बताएं यूटिलाइजेशन गलत है मगर ये फीस नहीं रेगुलेट करेंगे। इस तरह के और लंबे no provision in this Bill 2015 के बिल में coercive जो आप कहते हैं ना बाउंसर लगा दिए। अगर कुछ लवली जी की सलाह मानकर देख सुन कर बोलते तो यह नहीं कहते। डीपीएस द्वारका में बाउंसर लगे आपके कारण 2000 वीडियो अवेलेबल है। जब आपकी मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से चैनल पूछते थे डीपीएस द्वारका का क्या हो रहा है, आप उठ के भाग जाते थे, आप उठ के भाग जाते थे। हमारे बिल में है अगर किसी ने

लाइब्रेरी में बंद किया तो उस पर जुर्माना लगेगा। और एक मजे की बात है अब थोड़ा दर्द ज्यादा होगा। for footnote के साथ बता रहा हूं। देखो जैसे statutory warning होती है ना। statutory warning होती है ना थोड़ा दर्द ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा दर्द होगा। एक और बिल बनाया, एक और बिल बनाया। शुरू किया proposal for regulating fee hike for private unaided recognized school ठीक है साहब। इसका बैकग्राउंड था। अच्छा सॉरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया। आपने कहा आतिशी जी केंद्र सरकार ने ये बिल पास नहीं किया, यही कहा ना आपने।

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्रीः हां हां, क्यों लिखा केंद्र सरकार ने। अध्यक्ष जी, हमें तो बीजेपी को झगड़ा पार्टी, गंदी पार्टी, अनपढ़ों की पार्टी कहते हैं। मगर यह बिल इसलिए वापस हुआ statement of objects and reason in that Bill was not mentioned एक। दूसरा मुझे मालूम था इस तरह का ये विक्टिम कार्ड लेके घूमेंगे। Central Government, Government of India suggested DOE, GNCTD that the fee issue may be studied more closely subsequently vide letter No. 15.07.2021, 28.07.2021, 14.08.2021 केंद्र सरकार ने आपसे कहा केंद्र सरकार.....

..... व्यवधान .....

माननीय शिक्षा मंत्रीः अरे सुनिए सुनिए लगातार, लगातार बात चल रही थी आप लोगों ने... और आपने लिखा क्या कि एनईपी 2020 आ गया है अब हम इसके हिसाब से नया बिल बना कर भेजेंगे। क्यों नहीं भेज दिया, क्यों नहीं भेज दिया? भारत सरकार ने हमें काम नहीं करने दिया। भारत सरकार ने तीन चिट्ठी लिखी अलग–अलग और जो अगला बिल लाए proposal for regulating fee hike for private unaided recognized school running on within bracket लिखा था साहब running on land allotted by DDA and other agencies with stiputlated condition in their allotment letter, lease deed to

take prior sanction from Director मगर इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी उन बाकी के स्कूल जो प्राइवेट स्कूल दिल्ली में चल रहे हैं उनके रेगुलेशन और उनकी रोक–टोक की कोई बात नहीं थी इसलिए कह रहा हूं और विशेष तौर पर जो इन अनअथराइज्ड कॉलोनी से आपके कुछ लोग जीत के आ रहे हैं उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें कहते हैं अब बाकी की बातें छोड़ दीजिए आतिशी जी इस पे थोड़ा फुटनोट के साथ कह रहा हूं थोड़ा दर्द होगा representation made by Action Committee ये बिल बना था, ये बिल बना था on the representation made by यह proposal on the representation made by Action Committee may kindly see the recent representation dated 09.10.2023 placed on page No.63, 66/C received from Action Committee unaided recognized private schools registered requesting for implementation of अध्यक्ष जी कृपया गौर करिएगा। implementation of CPI linked formula for fee hike for private unrecognized school आतिशी जी एक्शन कमेटी किसकी है, नाम क्या है एक्शन कमेटी वालों का आतिशी जी? नेता प्रतिपक्ष जी बताओ ना आप क्यों शर्मा रही है आतिशी जी? आप बिल बनाएंगी, आप उन्हें सीपीआई जमा 6 परसेंट देंगे, आप सीपीआई जमा 6 परसेंट देंगे और मुझसे पूछेंगे बता दो ना आतिशी जी एक्शन कमेटी वाले कौन है।

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्रीः हमसे पूछ रहे थे एक्शन कमेटी वाले कौन है। आज बता ही दो आतिशी जी प्लीज क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे सुनो, सीपीआई लिंक्ड फार्मूले का अर्थ समझ लीजिए। दिल्ली की जनता समझ ले। सीपीआई लिंक्ड फार्मूले का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ 6 परसेंट यानी हर साल 12 परसेंट मिनिमम फीस बढ़ाने की अनुमति दे रहे थे। अब आगे सुनो, अब और मजे की बात है। hence in case of Delhi, we propose …

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्रीः एक मिनट रुको ना एक मिनट।

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्रीः आतिशी जी, आतिशी जी, देखो आतिशी जी मैं,

.....व्यवधान.....

माननीय शिक्षा मंत्रीः अरे बिल पे ही बोल रहा हूं बाबा। यह बिल ही है आपका अभी आएगा मैंने कहा था दर्द होगा। hence in case of Delhi सरकार ने प्रपोज किया। देखिए अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण।

माननीय अध्यक्षः आतिशी जी प्लीज।

माननीय शिक्षा मंत्रीः देखिए मुझे पता है यह तथ्य है। जिनके पास तर्क नहीं होते वो शोर मचाते हैं।

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्रीः बता रहा हूं ना।

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्रीः अरे सुन तो लीजिए।

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्रीः उसमें प्रपोजल में कहा जाता है, hence in case of Delhi, we propose a uniform fee increase equivalent to average CPI percentage for respective year plus and additional seven percent. मैं गलती से छह कह गया

यानी कि 13 परसेंट के करीब की कहानी हर साल की कर दी थी। अब इसके आगे सुनिए मजे की बात। फिर इसके आगे मजे की बात पे यह प्रपोजल सबमिट कर दिया विभाग ने मिनिस्टर ऑफ 16.11.2023 को, 16.11.2023 को मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इस पे लिखते हैं। कौन थे जी 16.11.2023 को आपको याद है साहब। विधानसभा सचिवालय को पता है? 16.11. 2023 को कौन थे शिक्षा मंत्री? MOE has dsired to have a presentation in this matter तो ऐसा भी नहीं है MOE was unavailable उसके बाद उसके बाद 18.4.2024 को, 18.4.2024 को may please see opinion of LA करके अधिकारियों ने इनके पास दे दिया और उसके बाद सबसे अंत में हैरानी की बात यह है 2023 हो गया 24 हो गया अब ये 15.01.2025 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का एक नोट लगकर यह फाइल चली जाती है। उसकी लास्ट लाइन पढ़ता हूं। detailed scrutiny of the proposal be done to ensure that fee regulation frame work is equitable and serves the interest of प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा and serves the interest of both parents and educational institution। दोनों की चिंता है। अगर हम, कोई बुराई नहीं है। देखिए प्राइवेट स्कूल जो है वह आज दिल्ली की सच्चाई है क्योंकि सरकारों ने फेल किया है, जनता को अच्छे गवर्नमेंट स्कूल नहीं बना पाए। मगर सवाल यह है 2023 से लेकर, मेरे पास वो भी कागज है जिसमें यह बताता है ये ये प्रपोजल मुख्यमंत्री के कार्यालय पर मुख्यमंत्री/शिक्षा मंत्री के कार्यालय पर 24 से लेकर 25 तक पड़ा रहा। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना रिजेक्ट किया गया यानी मोलतोल चलता रहा प्राइवेट स्कूलों के साथ क्योंकि आपने देखा 24–25 में मैंने आपको बताया आंकड़ा कि 24–25 में भी इन्होंने अपने पास प्रपोजल मंगा लिए मगर किसी स्कूल का फैसला नहीं किया। ये तीन साल तक बिल पड़ा रहा। लेनदेन जो अभी कोई सज्जन कह रहे थे यहां हां आप कह रहे थे दत्त साहब कि आशीष जी अंडर टेबल है यह अंडर द टेबल का जीता जागता सबूत है। ये अंडर द टेबल का जीता जागता सबूत है। अब चार मुद्दों पर विपक्ष ने बार–बार ऐतराज किया है। चार मुद्दों पर ऐतराज किया है। पहला मुद्दा है कि 450 अभिभावक इकट्ठे कैसे होंगे?

.... व्यवधान ....

माननीय अध्यक्षः आधा घंटे के लिए समय बढ़ाया जाता है।

माननीय शिक्षा मंत्री : तो देखिए, यह कहते हैं कि बिल पे 450 अभिभावक इकट्ठे होंगे। देखिए एक तो दो बातें हैं, मैं तथ्यों के साथ भी बिल के प्रोविजंस के साथ भी जवाब दे रहा हूं और दूसरी बात किसी विरोध को institutionalized होना ही होगा। whims and fancies पर एक–एक व्यक्ति दिल्ली आज आप लोगों के नकारेपन के कारण दिल्ली की एजुकेशन व्यवस्था में प्राइवेट स्कूल एक सच्चाई है। you failed the people of Delhi to give good education at government schools hence the number of private school continue to increase और आप लोगों ने, आप लोगों..... अरे रुको तो सही यार एक सेकंड,

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्री : मैंने तो, अरे सुनो सुनो। मैंने बताया था दर्द चलता रहेगा। दर्द चलता रहेगा। दर्द चलता रहेगा। मुझे पता है। अरे सुनो सुनो सुनो सुनो। .....वाह वाह अरे भाई कुलदीप जी ज्यादा होशियार नहीं बनते एक होशियारी के चक्कर में अभी नेता, प्रतिपक्ष ने जीएसटी पे निकल गई होशियारी, कुछ नहीं रखा शांति रखो।

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्री : अरे आप बार–बार दर्द के कारण ही बोल रहे हो रुको । तो इसलिए किसी विरोध को किसी विरोध को institutionalized होना चाहिए और दूसरी बात, दूसरी बात अगर इनमें से किसी ने भी पूरे बिल को पढ़ा होता तो ये 15 परसेंट वाले जो क्लॉज़ है ना 450 अभिभावक नहीं इकट्ठे होंगे ये बोलते नहीं। सेक्शन टू में कहते हैं अगर पढ़ लिया, आपने क्या है जैसे लवली जी ने बताया ना ऊपर ऊपर से सुन लिया और बात हो गई। aggrived parent group मैं सारे सदन का ध्यान चाहता हूं। means any group of parent of student not comprising less than 15% of total parents of the student of the effective standard or school, effective standard का मतलब 40 की क्लास होती है साहब। अगर किसी जब आप प्राइमरी से मिडिल क्लास में जाते हो तो फीस बदलती है।

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्री : अरे सुनिए ना सुनिए। दोनों में होगा। अरे दोनों में वाह वाह अभी जब पढ़ा नहीं, जब पढ़ा नहीं, सेक्शन पढ़े बिना पहले जीएसटी पे नेता प्रतिपक्ष सेक्शन पढ़े बिना, जानकारी के बिना अब जब होगा तो दर्द लगातार बढ़ेगा। एक 40 की क्लास में छह लोग इकट्ठा क्यों नहीं होंगे जी मुख्यमंत्री जी ने अपनी संवेदनशीलता से एक–एक प्रोविजन को ऐसे गढ़वाया है जिसमें पेरेंट्स का हित इस बिल के और इस सरकार का मध्य बिंदु है सेंट्रल फोकल पॉइंट है। ये मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है। क्लॉज बी और ये क्या चाहते हैं? यह अपनी बारी में तो लिखते हैं कि दोनों के इंटरेस्ट लें और और दोनों के अपनी बारी में आतिशी जी के वॉच एंड वार्ड में इनके सिग्नेचर से लिखा जाता है दोनों के इंटरेस्ट लें और ये अराजक लोगों की टोली ये चाहती है कि हम उन 18 लाख बच्चों और उनके अभिभावकों को सड़कों पर लड़ाई झगड़े के लिए खड़ा कर दें। हमने वो बैलेंस अप्रोच से बिल बनाया है जिसमें सबके इंटरेस्ट काबू रहेंगे। फिर कहते हैं ऑडिट नहीं है। ऑडिट नहीं है, ऑडिट नहीं है। झा साहब बताता हूं। बताता हूं। झा साहब ने बैठे–बैठे कह दिया। लवली जी ने कहा कि इसमें 1973 का बिल चला थोड़े ही ना गया। आतिशी जी कहा था लवली जी ने तो झा साहब ने बैठे–बैठे कहा। मैंने बैठे–बैठे पढ़ लिया, इसमें तो कहीं नहीं लिखा। झा साहब ऐसे ही था रिकॉर्डिंग आ जाएगी। सेक्शन 2025 के एक्ट के सेक्शन 20 सीधे शब्दों में कहता है, Act in addition to and not in derogation to any other Act, the provision of this Act are in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force including in Delhi School Education Act, 1973, Central Act 18.2.1973 and Right of childreen to free education, compulsory education, Central Act 35/2009 यानी इनको इतना शऊर नहीं है 10 साल। आपने ठीक कहा। अगर इन्हें सिखा दिया होता तो यह गड़बड़ नहीं होती। इन्हें यह नहीं पता 1973 का एक्ट पार्लियामेंट का एक्ट है। how can this Vidhan Sabha repeal that Act? this is common sense, this is common

sense which is, which is, which is माननीय मुख्यमंत्री जी which is very uncommon on this side.

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्री : अरे बाबा 1973 का एक्ट जब इसके साथ लगा हुआ है।

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्री : तो इसका मतलब तुम काहे का एक्ट करा रहे थे? तुम काहे का ऑडिट करा रहे थे जो तुम्हारे लोग बार–बार चिल्ला रहे हैं?

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्री : अरे भैया अभी तो फंस गए झा साहब एक और फंस गए।

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्री : और इसलिए, अरे हां, हां मैं

.... व्यवधान ....

माननीय शिक्षा मंत्री : हम ही कर रहे हैं। हम ही कर रहे हैं। हम ही ना कर रहे हैं। आपको बताता हूं कैसे, बताता हूं, बताता हूं। इसलिए मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड

माननीय अध्यक्षः एक मिनट आप, मुझे लगता है आपको चुप रहना चाहिए।

माननीय शिक्षा मंत्री : सदन के पटल पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं दिस बिल ये बिल डीएसईआर के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। ऑडिट संबंधी सभी नियम लागू होंगे और जो लोग ऑडिट का दिखावा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं उन्हें जवाब देना होगा। मैं बार–बार दोहरा रहा हूं। बार–बार दोहरा रहा हूं आपको मैं। मुख्यमंत्री जी ने एक–एक क्लॉज़ को लिखते समय, गढ़ते समय लीगल और हर प्रकार के हर प्रकार के, हमें तो मालूम है अभी ये सिलेक्ट कमेटी में जाने की रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोर्ट भी जाकर रोकने की कोशिश करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यह बिल बनाने का निर्देश दिया और एक–एक मीटिंग में वह खुद बैठी, एक–एक मीटिंग में उनके सामने चर्चा हुई। उनका एक ही

बिंदु था कि यह फोकल पॉइंट जनता के हित होने चाहिए और किसी भी तरह से किसी भी तरह से इसको डिफीट नहीं होने देना, आम आदमी पार्टी की मंशा काबिल नहीं होने देना। और डीएससीआर क्या 180 "Every unaided recognized school shall submit returns of the documents in accordance of appendix 2 . Every return of document referred in sub rule shall be submitted on directions…" बहुत सारी चीजें पढ़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। झा साहब बुराई नहीं है देखो अच्छा व्यक्ति वो होता है जो गलती मान ले। इसमें क्या है नहीं पढ़ा यार हो गया हो गया, हो गया मैडम के चक्कर में मैं फंस गया मैडम ने कहा विरोध करो तो कर दिया कोई बात नहीं हो जाता है हो जाता है। अब देखो फिर कहते हैं कि यह पेरेंट्स के हित में नहीं है। ये पेरेंट्स कम पड़ जाएंगे। दिल्ली के पेरेंट्स की ताकत को ये इतना कम आंकते हैं। पांच पेरेंट्स होंगे, पांच लोग होंगे, पेरेंट्स के हाथ में वीटो की पावर है। पांच में से एक भी व्यक्ति एक भी व्यक्ति अगर हट जाए तो यूनेनिमस नहीं होगा फीस बढ़ेगी नहीं। और हम फीस बढ़ाने आपने भी मैंने क्रोनोलॉजी में पिछली बार बताया था आप और देखिए हम कोई यह दावा नहीं करते। मैंने क्रोनोलॉजी में बताया था आपने सर्कुलर निकाला है, आप तो एडवाइजर भी थी शिक्षा मंत्री की। आपने सर्कुलर निकाला है कि सेवंथ पे कमीशन के लिए सभी स्कूल लागू करने के लिए फीस बढ़ाएं। निकाला या नहीं निकाला आप लोगों ने? निकाला या नहीं निकाला? डेट भी है। मैंने पूरी क्रोनोलॉजी पिछली बार पढ़ के बताई। तो इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि पेरेंट्स के हाथ में वीटो पावर है। वीटो पावर है और और इसमें.....

....व्यवधान.....

माननीय शिक्षा मंत्री : अरे भैया जिसका स्कूल होगा वही तो चेयरमैन होगा। पढ़ लिख के आओ तो। यह प्राइवेट स्कूल है।.....

....व्यवधान.....

माननीय शिक्षा मंत्री :सरकारी स्कूल अरे रुक जाओ। सरकारी स्कूल में विधायक का प्रतिनिधि क्यों चेयरमैन बनता है? बनता है या नहीं बनता है? जिसका स्कूल है, जिसने बिल्डिंग बनाई है, जिसने एडमिशन ली है, क्यों नहीं बनता है? बेकार की बातें और

....व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः एक मिनट देखिए प्लीज आपको पूरा मौका दिया है।

माननीय शिक्षा मंत्रीः देखिए अध्यक्ष जी ऐसे फिर आपको और बढ़ाना पड़ जाएगा। अरे क्यों विधायक बैठता है?

...व्यवधान.....

माननीय शिक्षा मंत्रीः अरे सुनो मैं बताता हूं। अरे मैं बताता हूं।

माननीय अध्यक्षः एक मिनट, आप...

...व्यवधान.....

माननीय शिक्षा मंत्रीः अरे भाई मेरा स्लिप ऑफ टंग है विधायक प्रतिनिधि क्यों बैठेगा, तुम क्यों बैठोगे? तुम्हारा अरे भाई मेरा स्लिप ऑफ टंग है ना, अरे मैंने कह दिया मेरा स्लिप ऑफ टंग है, बताओ विधायक प्रतिनिधि क्यों बैठेगा, आपका कौन सा स्कूल है, आपने क्या दिया, आप जनता के प्रतिनिधि हो इसलिए बैठोगे, जिसका स्कूल है वो क्यों नहीं चेयरमैन होगा। we are not apologetic about it. ..तो आप लोग अराजकता फैलाना चाहते हो दिल्ली में, मुख्यमंत्री नहीं होने देगी ये, मुख्यमंत्री जी नहीं होने देंगी अराजकता, और आगे सुनो, सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र...

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः अजय जी

माननीय शिक्षा मंत्रीः अभिभावकों का अंतिम ब्रह्मास्त्र धारा 5(4)में है। यह धारा अनिवार्य करती है किसी भी शुल्क का प्रस्ताव को केवल सदस्यों की सर्वसहमति से ही अनुमोदित किया जाए। इसका मतलब यदि एक भी अभिभावक सदस्य प्रस्तावित शुल्क की वृद्धि से असहमत है तो प्रस्ताव में ब्लॉक हो जाएगा। प्रबंधन अपनी मर्जी नहीं थोप पाएगा। प्रबंधन अपनी मर्जी नहीं थोप पाएगा।

...व्यवधान.....

माननीय शिक्षा मंत्रीः आतिशी जी देखिए ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज मेरे को पता है दर्द हो रहा है। प्लीज अब चाय पी के सही कर देंगे। प्रबंधन अपनी मर्जी नहीं थोप पाएगा। ऐसी समिति देखो दर्द वाजिब है। आतिशी जी से सवाल पूछे जाएंगे जाने के बाद। यार तुम्हें हमने वो भी बनाया, एडवाइजर भी मुख्यमंत्री भी बनाया, तुम्हें वह भी बनवाया वो शिक्षा मंत्री भी 10 साल में तुम यह ना कर पाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आते ही 4 महीने में कैसे कर गई और माननीय मंत्री जी इसीलिए हो रहा है ये सब पहले सिलेक्ट कमेटी में इनसे जवाब पूछेंगे अभी पंजाब से फोन आएगा What is this Atishi, how this Bill has been passed?

...व्यवधान.....

माननीय शिक्षा मंत्रीः अच्छा, अभी आतिशी जी, जब मैं पूछ रहा था, जब मैं देखो कितना जब मैं पूछ रहा था ये जब ये जो प्रपोजल बनाया इसमें वो कौन है क्या भला एक्शन कमेटी, तब ये भरत अरोड़ा का नाम नहीं ले पाए, कोई बात नहीं मैं समझता हूं इसलिए दिल्ली के पेरेंट्स की ताकत को, उनकी क्षमताओं को कम करके आंकने की आपने गलती की। आपने सोचा विज्ञापन देते रहेंगे। मनीष सिसोदिया जी, आतिशी मरलीना जी अरविंद केजरीवाल जी गाते रहेंगे। शिक्षा क्रांति, शिक्षा क्रांति, शिक्षा क्रांति, शिक्षा क्रांति और हम फिर चुनाव जीत के आ जाएंगे। दिल्ली के पेरेंट्स की ताकत को आपने पहले भी कम आंका और यह गलती प्लीज मत करो। अपनी अंतरात्मा को जगाओ, अपनी अंतरात्मा को जगाओ। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठ के करनी चाहिए। कुछ कुछ बिल कुछ मौके नहीं तो जीवन में आप इस इतिहास में अध्यक्ष जी अक्सर बताते हैं ना 1918 की डिबेट, आज से 50 साल बाद जब यहां की डिबेट बताएंगे तो लोग बताएंगे आतिशी मरलीना जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के दल ने दिल्ली के पेरेंट्स के साथ दगा किया, उनके बिल को रोकने की कोशिश की, और...

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः अरे बैठिए आप, आप बैठिए। सोम दत्त जी...

...व्यवधान.....

माननीय शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी अभी।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः मुझे, देखिए कार्रवाई करनी पड़ेगी, कार्रवाई करनी पड़ेगी ,बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए पौने नौ बज गए, बैठ जाइए, बैठिए।

...व्यवधान.....

माननीय शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी आप अभी रिपीट करा के सुनवाइए।

माननीय अध्यक्षः नहीं मैं इसमें टाइम नहीं खराब करूंगा आप बैठिए। आप शुरू करिए। आप शुरू करिए अपनी बात। बैठिए आप। बैठिए।

...व्यवधान.....

माननीय शिक्षा मंत्रीः मैंने कहा इस दल ने विरोध किया। मैंने तो पहले ही कहा। मैंने तो पहले ही कहा दर्द बढ़ता जाएगा ज्यों –ज्यों दवा होगी। दर्द बढ़ता जाएगा। अंतिम बात, अंतिम बात, लैंड क्लॉज़ कमजोर कर दिया। देखिए इनका सारा गेम, इनका सारा गेम अध्यक्ष जी उन्हीं स्कूलों के लिए था।

...व्यवधान.....

माननीय अध्यक्षः बैठिए। मैं चेतावनी दे रहा हूं। बैठ जाइए। चेतावनी दे रहा हूं। नहीं नहीं बैठ जाइए। बैठ जाइए।

माननीय शिक्षा मंत्रीः देखिए अध्यक्ष जी। और इनका सारा जोर ही इस मुद्दे पर रहता था कि यह 300 बड़े–बड़े स्कूल है इनकी मुंडी पकड़ते रहे। इन्होंने कभी 1700 जो तथाकथित प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें से किसी के बारे में नहीं सोचा। लैंड क्लॉज़ तो उन्हीं पे लागू है जिन्होंने डीडीए से जमीन ली। दिल्ली में 1700 से ज्यादा स्कूल है। ऐसे कुछ स्कूल जिन पर चर्चा आपने करी ऐसे लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए जब हमने देखा इस बिल के बनाते समय तो मुख्यमंत्री जी ने हमसे यह पूछा, हमारे शिक्षा विभाग से पूछा, इन 300 के अलावा भी तो स्कूल है इनका क्या होगा, इन पर क्या होगा इनको उन लैंड क्लॉज़ की बड़ी चिंता है मगर फिर लवली जी आपने आज इनको ऐसा कर दिया अगर ये कुछ पढ़े लिख पहले 10 साल में देख लिया होता तो इनकी दिक्कत ना होती। देखिए, लैंड क्लॉज़ भी कितना कमजोर है मामला। लैंड दिल्ली सरकार के पास है, लैंड दिल्ली सरकार के पास है? नहीं है। अरे सुनो, नहीं है। लैंड देती है डीडीए।

लैंड लेने वाले और देने वाले में क्लॉज़ में लिखा–पढ़ी हुई। उसने क्लॉज़ वायलेट कर दिया। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन क्या करेगा? वो डीडीए को लिखेगा। बस यही काम रह गया डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का। स्कूल फीस बढ़ा ले। इनको तो अगर बुद्धि इस्तेमाल की होती तो कोई बात ही नहीं थी। लैंड क्लॉज़ डीडीए ने जमीन दी। डीडीए ने लीज़ में लिखा इतने पैसे लेना। अगर तुम इतने पैसे में जमीन लो अगर तुमने माना नहीं तो तुम्हारी लीज़ कैंसिल कर देंगे। तो डायरेक्टर एजुकेशन कैसे कैंसिल कर देगा? हमने इस सेक्शन में डायरेक्टर एजुकेशन को भी, इस लैंड क्लॉज़ के ऊपर पढ़ा होता तो बात होती, अब मैं क्या करूं बार–बार कहना पड़ रहा है बुरा लगता है। सेक्शन 14 को अगर पढ़ा होता "mode of recovery and fine- Director Education, Director education" डायरेक्टर एजुकेशन को ये ताकत थी। मैं खत्म कर रहा हूं जी। मैं खत्म कर रहा हूं। डायरेक्टर एजुकेशन को ये ताकत दी है इस सेक्शन 14 ने कि वह एसडीएम की ताकत की तरह से इनको इनके अकाउंट को सीज कर ले। इनके अकाउंट को इनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर ले। हां, इनके जमाने में होते होंगे कॉम्प्रोमाइज लोग। यह नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार है। आपके जमाने में होते होंगे अधिकारी कॉम्प्रोमाइज, आपके जमाने में होते होंगे। इतनी ताकत दे दी है कि यह लैंड क्लॉज़ के आधार पर भी कोई और हमारी लड़ाई पूरे के पूरे 1700 स्कूल पर है। हमारी लड़ाई 300 स्कूलों की नहीं है। आपको यह समझना चाहिए 1700 के लगभग जो स्कूल हैं उन सबकी फीस रेगुलेट होनी चाहिए। आपकी चिंता में वो नहीं है गरीब मां–बाप। बुराड़ी के पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे आप? सोचिएगा और और फीस वापस नहीं होगी आदि अनेक आरोप लगाए हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपका आभार व्यक्त करता हूं और....

...व्यवधान.....

माननीय शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष जी। आपने इस सदन में इस बतकही से शुरू किया, बतकही से शुरू किया। वहां से झूठ चलते–चलते हमने प्रयास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक–एक झूठ का पर्दाफाश करने के लिए, एक–एक झूठ का हमने पर्दाफाश किया है। इन्होंने

अपने जमाने में जो यह दो बार बिल लाने की कोशिश करी क्योंकि बिल लाने की कोशिश करते थे, मोलतोल नहीं हुआ। कल्पना करिए, 2 साल तक फाइलों पे बैठे रहे। 7 महीने मुख्यमंत्री स्लैश एजुकेशन मिनिस्टर के दफ्तर में फाइल पड़ी रही और ये उसके संदर्भ में कोई जवाब नहीं दे पाए, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए इन लोगों को आज यह कष्ट है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा बिल जो दिल्ली की जनता को जो दिल्ली की जनता में बदलाव कर देगा। मेरे पास वो भी था कागज इन कागजों में मिक्स हो गया जहां इनके पास इतने दिन तक फाइल पड़ी रही, उसका एक–एक ट्रेस है सरकार के पास, एक–एक ट्रेस है। क्यों पड़ी रही वो फाइल? मैं आदरणीय अध्यक्ष जी चाहता हूं इसकी जांच की जाए। यह फाइलें वहां क्यों पड़ी रही? क्या लेनदेन की कोशिश होती रही? अगर प्रपोजल था 7 परसेंट, सीपीआई प्लस 7 परसेंट का, आम आदमी पार्टी प्रपोजल ला रही थी, तो क्यों उसे रोका? पहले दिन रिजेक्ट क्यों नहीं किया? और आज किस मुंह से पेरेंट्स जब फीस तय कर रहे हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और दिल्ली की मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक सशक्त बिल बनाया है। ऐसा बिल बनाया है जिससे अराजकता फैलाने वाले लोगों को लगाम लगा दी है। अब अराजकता नहीं चलेगी। अब शिक्षा व्यापार नहीं बनेगी। बहुत–बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका बहुत आभार।

माननीय अध्यक्षः अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कहूंगा कि वो चर्चाओं को कंकलूड करें।

माननीया मुख्यमंत्री (श्रीमती रेखा गुप्ता)ः 52 साल बाद अध्यक्ष जी 52 साल बाद 1973 के बाद 52 साल बाद अभिभावकों का यह वनवास खत्म हुआ। कानून मिला, कानून के माध्यम से न्याय मिला। बधाई देती हूं मैं दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री भाई आशीष सूद जी को, कड़ी मेहनत के साथ इतने कम समय में लगातार–लगातार चर्चा करते हुए, लोगों की बात समझते हुए अनेकों संगठनों के साथ में बातचीत की, अभिभावकों के साथ बातचीत की, साथियों के साथ बातचीत की और एक इतना सुंदर बिल लेकर के आए जो पूरे तरीके से दिल्ली की जनता के हित में है, अभिभावकों के हित में है। जरूर कहना चाहूंगी ये दिल्ली देश की राजधानी जरूर है परंतु यहां की आबादी ज्यादातर दो कमरों के फ्लैट में रहने वाली है, जहां आज भी यदि घर

में बच्चा होने वाला हो, तो पहली टेंशन मां–बाप की यह होती है कि ये बच्चा होने के बाद इसका स्कूल में एडमिशन और वो फीस का पेमेंट कैसे होगा। ऐसे माहौल में दिल्ली जी रही थी। कभी यहां, कभी वहां देख रही थी। 15 साल कांग्रेस रही, 11 साल आम आदमी पार्टी रही। अभी यह कह रहे थे कि भई कांग्रेस की बातें कर रहे थे कि चलो आपने यह कह दिया कांग्रेस अच्छी है। भई ये क्या करें जब छोटी बहू खराब आ जाए तो बड़ी भी अच्छा कहलवाई जाती है। बड़ी भी अच्छा कहलवाई जाती है। इन्होंने आके उसको क्रॉस कर दिया। पहले हम कांग्रेस को खराब कहते थे ये नहीं कर रहे, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। जब आके इन्होंने गुड़ गोबर किया तो यह समझ में आया कि इससे अच्छी तो बड़े वाली ही थी और इनकी आदतें तो ऐसी हो गई हैं कि आटा गूंथ रहे हो तो हिल कैसे रहे हो। एक–एक बात जो इन्होंने इस बिल में कही ये किया तो क्यों किया और यह नहीं किया तो क्यों नहीं किया। हर बात पर जो भी माननीय सदस्यों ने इनके कहा। इन्होंने कहा 15 परसेंट पेरेंट्स की बात बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यह 15 कर दिए ये ये भी कह सकते थे ये 25 करने चाहिए थे। 25 करते तो यह भी कह सकते थे क्यों नहीं किया बताओ। एक पेरेंट खड़ा हो के कहेगा, तो आप तो चाहते ही नहीं स्कूल की व्यवस्थाएं चले। कुछ भी कह सकते थे। फिर इन्होंने कहा कि भई फीस बढ़ाने के रीजन देने होंगे। बताओ जी कल को कैसे व्यवस्थाएं कैलकुलेट होगी, हर चीज पे बोलना है। टाइम–बाउंड कर दिया गया कि भई आपको 31 जुलाई तक अपना प्रपोजल का सबमिशन देना होगा । आपको सितंबर के आखिरी तक फाइनल करना होगा। तो इन्होंने कह दिया देखिए अगस्त में आ गए। हमें बाहर बताया कुछ और था कर कुछ और रहे हैं। कहा बिल आ गया, फिर कहा अध्यादेश हो गया, फिर कहा ये हो गया। अरे मैडम सारी बात आपको बता के करेंगे क्या? आपको रास्ते दिखा के करेंगे क्या? जब आप कर रहे थे, जब आप कर रहे थे दिल्ली की जनता को आपने गुमराह किया। हमने फाइनली दिल्ली की जनता के हित में काम किया और आज दिल्ली के लिए यह बिल का गठन हुआ है। दर्द की बात कही आशीष जी ने। मैं देख रही थी माननीय सारे सदस्य नेता विपक्ष एक–दूसरे को निगाह–निगाह में देख के कह रहे थे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, फिर दूसरे ने कहा संजीव झा जी ने अब हुआ छोड़ो जो हुआ, छोड़ो जो हुआ क्या हुआ जो दिल टूटा, क्या हुआ जो दिल टूटा छोड़ो जो हुआ क्योंकि ये तो होना था। अब इन्हें याद आया कि ये विपक्ष में बैठे हैं, ये तो होना ही था। अब इसमें से

क्या क्रेडिट लें कि हमने ये अमेंडमेंट दिया, हमने ये कहा, हमने ऐसा किया, अरे भई जो बार–बार बीच में जा–जाकर के आपकी पार्टी के पोस्टर बॉय अरविंद केजरीवाल जी, आपके पार्टी के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, आतिशी जी पूरा जोर लगा करके चीजों में से 10 साल पता नहीं क्या गढ़ते रहे जिसे हमारे मंत्री जी ने बिल्कुल अक्षरशः फाइल में दिखा–दिखाकर बताया कि आपकी नीति और नियत दोनो भ्रष्ट हैं। आपने ना केवल पेरेंट्स की उन उम्मीदों को जो कि प्राइवेट स्कूल में जाने की थी, वहां अपने बच्चे को पढ़ाने की थी, उसे भी बर्बाद किया और आपने सरकारी स्कूलों को भी बर्बाद किया। सारी बातें जो लवली जी ने कही, स्कूलों की बिल्डिंग की बात कही, मैं उसको रेक्टिफाई करना चाहती हूं थोड़ा सा। आज की डेट में भी दिल्ली में मात्र 795 स्कूल बिल्डिंग है और उसमें से भी केवल 241 पक्का स्ट्रक्चर में हैं। आज भी कितने शर्म की बात है आजादी के 75–76 साल बाद भी दिल्ली में टिन शेड में दिल्ली सरकार के स्कूल चलते हैं, टिन शेड में। ये इनका शिक्षा मॉडल था और ये भी बताना चाहूंगी 2005 से लेकर 2015 तक बने 80 स्कूल और 2015 से 25 के बीच में 44 स्कूल बने पर उसमें से 24 की सेंक्शन कांग्रेस के टाइम की थी इन्होंने तो मात्र 20 स्कूल बनाए। यानी कि 11 साल में केवल मात्र 20 स्कूल एवरेज निकाल लीजिए। ये था इनका शिक्षा मॉडल जिसकी बात ये करते थे और शर्म की बात ये है कि आज भी इनके कार्यकाल के कारण दिल्ली में 60,000 में से 20,000 वैकेंसी है टीचर्स की, पक्के टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों में। इनको ये चिंता नहीं थी इतने साल बिना प्रिंसिपल के स्कूल चल रहे थे इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि इन स्कूलों को प्रिंसिपल दें, टीचर दें। झूठे करिकुलम जो स्कूल के छोटे–छोटे मासूम बच्चों को ये कहते थे जब सिसोदिया जी जेल गए। लिख के दो कार्ड अंकल को जेल से रिहा करो, अंकल को जेल से रिहा, याद आ गया। अंकल को जेल से रिहा करो। इन्होंने सरकार की टीचर्स को मजबूर किया कि सोशल मीडिया पे डालो हमें मनीष सिसोदिया चाहिए, हमें मनीष सिसोदिया चाहिए। आज पूछ लो उनसे बता देंगी क्या चाहिए। आपने बच्चों को स्कूल में फेल करने का जो षड्यंत्र रचा जिसके कारण से लाखों बच्चों का भविष्य खराब हुआ। मैं बधाई देना चाहती हूं हमारे एजुकेशन विभाग को, हमारे एजुकेशन मंत्री को जिन्होंने इतना सुंदर बिल जिसमें एक–एक चीज को इतने सुंदर तरीके से बताया गया है। पहला फीस निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट। दूसरा सख्त नियम और उल्लंघन करने पर दंड। और

तीसरा अभिभावकों की, टीचर्स की, मैनेजमेंट की, सबकी भागीदारी। इतना सुंदर बिल जिसमें हर चीज का ध्यान रखा गया। टाइम का भी और प्रावधानों का भी।

माननीय अध्यक्षः टाइम आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

माननीया मुख्यमंत्रीः स्कूल की मान्यता रद्द करने का भी जिसमें प्रोविजन है जिसमें शिक्षा को अब मंदिर के रूप में जाना जाएगा ना कि मुनाफे की दुकान के रूप में। मैं बहुत–बहुत बधाई देती हूं मंत्री जी को कि एक–एक चीज को आपने स्टडी करते हुए इतना सुंदर जिसमें तीन स्तरीय ढांचा बिल में तैयार किया गया है। स्कूल स्तर की कमेटी, जिला स्तर पर निदेशक की समिति और राज्य स्तर पर अपीलीय न्यायाधिकरण यह एक बहुत ही सुंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो कि आने वाले समय में शिक्षा को एक नए आयाम तक लेकर के जाएगी और उसके बाद भी आपकी शिकायत यदि जनहित से जुड़ी है तो उसका समाधान जरूर होगा। यह सारी चीजें आपने इस बिल में शामिल की है। यह बिल सिर्फ व्यवस्था नहीं बदलेगा, यह बिल मानसिकता बदलेगा। बहुत–बहुत बधाई। मैं चाहूंगी कि यह सदन दिल्ली की आत्मा की आवाज को इस बिल को हर मां की जीत मानता है जो कि अब हर महीने में ईएमआई की चिंता करते हुए फीस की चिंता नहीं करेगी। ये हर दिन उस पिता को एक सुरक्षा देगा जो ऑटो चलाता था, अपने बेटे को प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता था। अब उसको अपने सपने टूटने का कोई डर नहीं होगा। यह सारे काम आपने इस बिल के माध्यम से किए हैं। यह बिल जन आक्रोश का उत्तर है। यह बिल जनता से हमारा किया हुआ वादा है। यह बिल आज मैं सदन को सौंपती हूं। यह जवाबदेही का बिल है। और आखिरी में कहना चाहूंगी किः

''जो ठान ले वो मुश्किलों में भी राह बना लेता है।

जो ठान ले वो मुश्किलों में भी राह बना लेता है।

नामुमकिन बस उन्हीं उन्हीं के पास रहता है जो कोशिश भी नहीं करते हैं।''

बहुत–बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारती।

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य गण, विधेयक पर खंडवार विचार करने से पहले श्री संजीव झा माननीय सदस्य के इस नोटिस पर विचार किया जाएगा कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक सदन की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। अतः श्री संजीव झा, माननीय सदस्य से अनुरोध 2025, वर्ष 2025 का विधेयक संख्या–3 विधेयक को है कि वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या–3 के खंड–8 में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

माननीय अध्यक्षः श्री संजीव झा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने है कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक....

.....व्यवधान.....

श्री संजीव झाः सॉरी मैं माफी चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक 2025 को सदन की सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए।

माननीय अध्यक्षः श्री संजीव झा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने है कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक वर्ष 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या–3) को सदन की सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए।

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(पक्ष के सदस्यों के ना कहने पर)

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता

प्रस्ताव अस्वीकार हुआ

सुश्री आतिशी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): डिविजन आफ बोर्ड्स। .....

....व्यवधान.... ...

माननीय अध्यक्षः देखिए हम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से यह कार्यवाही चल रही है। वॉइस बोर्ड बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद नेता विपक्ष इस बात को कह रही है, तो मैं उनकी इस बात को इंकार नहीं करता हूं और उसको भी आगे बढ़ा देता हूं। नेता, विपक्ष ने सदस्य के रूप में डिवीजन की मांग की है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई भी सदस्य अगर सदन से बाहर है और परिसर के अंदर है तो वह तुरंत सदन में आ जाए। अब मत विभाजन होगा।

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे अपने स्थान पर खड़े हों (विपक्ष के सदस्य खड़े हुए)। अब बैठ जाए आप सब लोग। जो इस प्रस्ताव के विरोध में वे अपने स्थान पर खड़े हो जाए और तब तक खड़े रह जब तक पूरी गिनती ना हो जाए। नीरज जी बिलकुल हिलना नहीं है अपनी सीट से (पक्ष के सदस्य खड़े हुए)। सभी सदस्य बैठ जाएं। जो इस प्रस्ताव से तटस्थ रहना चाहते हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और तब तक खड़े रह जब तक पूरी गिनती ना हो जाए। कृपया शांत रहें। अब मत विभाजन का परिणाम आपके समक्ष। इस प्रस्ताव के पक्ष में 17 सदस्य हैं। इस प्रस्ताव के विरोध में 41 सदस्य हैं। इस प्रस्ताव से तटस्थ रहने वाले जीरो सदस्य हैं। प्रस्ताव रिजेक्ट हुआ। अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा। श्री जरनैल सिंह माननीय सदस्य ने विधेयक के खंड–2 के उपखंड–2 में संशोधन का नोटिस दिया है। माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री जरनैल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या–3) के खंड–2 के उपखंड–2 में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

"aggrieved parents group" means any group of parents not comprising less than 15 parents of the students of the affected standard of school, as the case may be, who are aggrieved by any decision under the Act."

माननीय अध्यक्षः श्री जरनैल सिंह द्वारा विधेयक खंड–2 के उपखंड–2 में दिया गया संशोधन सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(पक्ष के सदस्यों के ना कहने पर)

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता

प्रस्ताव अस्वीकार हुआ

.... व्यवधान ....

माननीय अध्यक्षः फिर आज से क्लियर क्या है हो तो गया है। नहीं बार–बार देखिए। प्लीज आप बैठ जाइए, ये फैसला मुझे मुझे लेने दीजिए, आप बैठ जाइए। एक बात बताइए मैडम। नहीं तो कोई मतलब लॉजिक तो दीजिए ना कोई। तो पता है ना 47 उधर है, 22 इधर हैं उसमें क्या है। बार–बार थोड़ी ना एक बार डिवीजन तो करवा दिया ना।

.... व्यवधान ....

माननीय अध्यक्षः नहीं वो तो मांग कर नहीं रहे। वो जिनका संशोधन है उन्होंने तो मांग की नहीं है आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुझे लगता है वॉइस बोर्ड एनफ है। बड़ा क्लियर कट मैंडेट है। कोई इसमें इशू नहीं है। मुझे इसमें कोई वो नहीं लगता। अब प्रश्न है कि खंड–2 विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। अब जो संशोधन आए थे वह समाप्त हो गए हैं।

.... व्यवधान ....

माननीय अध्यक्षः अब, जी, अभी है और चलिए एक मिनट इसको आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है कि खंड–2 विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

माननीय अध्यक्षः खंड–2 विधेयक का अंग बन गया। अब प्रश्न है कि खंड–3 विधेयक का अंग बने। यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

माननीय अध्यक्षः खंड–3 विधेयक का अंग बन गया। श्री कुलदीप कुमार माननीय सदस्य ने विधेयक के खंड–4 के उपखंड–1ए, 1बी, 5, 6 और 7 में संशोधन का नोटिस दिया है। माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपने संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या–3) खंड–4 के उपखंड–1ए, 1बी, 5, 6, और 7 में अपने संशोधन प्रस्तुत करता हूं और डिवीजन आफ वोट की मांग भी करता हूं।

Sub-section (1)(a) be substituted as follows:

“Every school shall have a General Body consisting of all parents of the children studying in the school.”

That the criteria for selection of parent members in Sub-section (b)(4) be substituted as follows:

“Ten parents from the General Body shall be chosen by an election amongst the members.”

Sub-section (5) and (6) may be deleted from the Bill

Sub-section (7) may be substituted as follows: The School Fee Regulation Committee shall have a general meeting at least once before the 15th of August every year. This shall be preceded by meeting of the General Body. 15 days before the General Body Meeting the audited accounts of the previous year, and proposed expenses for the next academic year shall be sent to all parents. Parents may present their comments before the General Body meeting or send them in writing. All inputs of the parents (either presented in the meeting or given in wrting) shall be considered by lthe Fee Regulation Committee before taking any decision on fee hike.’

माननीय अध्यक्षः श्री कुलदीप कुमार द्वारा विधेयक के खंड–4 के उप खंड–1ए, 1बी, 5, 6 और 7 में दिए गए संशोधन सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(पक्ष के सदस्यों के ना कहने पर)

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता

प्रस्ताव अस्वीकार हुआ।

माननीय अध्यक्षः अब प्रश्न है कि खंड–4 विधेयक का अंग बने।

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

माननीय अध्यक्षः खंड–4 विधेयक का अंग बन गया। सुश्री आतिशी जी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विधेयक के खंड–5 के उपखंड–1 तथा उपखंड–2 में संशोधन का नोटिस दिया है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि वह अपने संशोधन प्रस्तुत करें।

सुश्री आतिशी (माननीया नेता–प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनिनियम में पारदर्शिता विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या–3) के खंड–5 के उपखंड–1 तथा उपखंड–2 में अपने संशोधन प्रस्तुत करती हूं।

1. That the second proviso to section 5(1) be substituted as follows: ‘provided further that for the academic year 2025-26 the fee being charged w.e.f. 01-04-2024 shall be deemed to be proposed fee for the purposes of section 5 of the Act.
2. That the third proviso to section 5 (1) be added as follows: provided that before the process of fee regulation by the School Level Fee

Regulation Committee is initiated, the Directorate of Education shall conduct an audit of all accounts of all unaided recognized schools, by CAG empaneled auditors, for the last 3 financial years to assess the current financial conditions of the school. This audit report shall be sent to all parents as soon as it is prepared, and this audit shall form the base on which any further fee determination may be done.'

3. That a proviso to Sub-section 2 be added as follows: Provided this shall be accompanied by an audit report of all accounts of the school of the previous year, which shall be sent to every parent of the school.
4. That a second proviso Sub-section 2 be added as follows: Provided that prior to presenting the proposed fee to the School Level Fee Regulation Committee, the proposal shall be shared with all parents 15 days before the meeting of the School Level Fee Regulation Committee. All parents shall share their comments with the School Level Fee Regulation Committee, and the Committee shall consider all feedback prior to approving and fee hike proposal.

माननीय अध्यक्षः

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(पक्ष के सदस्यों के ना कहने पर)

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता

प्रस्ताव अस्वीकार हुआ

माननीय अध्यक्षः अब प्रश्न है कि खंड–5 विधेयक का अंग बने।

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

खंड–5 विधेयक का अंग अंग बन गया। अब प्रश्न है कि खंड–6 व खंड–7 विधेयक का अंग बने।

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

खंड–6 और खंड–7 विधेयक के अंग बन गए।

श्री संजीव झा माननीय सदस्य ने विधेयक के खंड–8 में संशोधन का नोटिस दिया है। माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री संजीव झाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनिमय पारदर्शिता विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या–3) के खंड–8 में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

1. That a proviso be added to Section8: Provided that an audit report of the previous Financial Year shall be sent to all parents of the school and Fees and Regulation Committee prior to any determination of fees
2. That sub-section (b) be deleted

माननीय अध्यक्षः श्री संजीव झा द्वारा विधेयक के खंड–8 में दिया गया संशोधन सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(पक्ष के सदस्यों के ना कहने पर)

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता

प्रस्ताव अस्वीकार हुआ।

माननीय अध्यक्षः अब प्रश्न है कि खंड–8 विधेयक का अंग बने।

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

खंड–8 विधेयक का अंग बन गया। सुश्री आतिशी माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने विधेयक के खंड–9 के उपखंड–1 में संशोधन का नोटिस दिया है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि वे अपना संशोधन प्रस्तुत करें। सुश्री आतिशी जी।

सुश्री आतिशी (माननीय नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या–3) के खंड–9 के उपखंड–1 में अपना संशोधन प्रस्तुत करती हूं।

"Chairperson of the 'Revision Committee', shall be a Retired Judge whose immidate family members or himself/herself are not or have been members of the School Management or Principals of any private unaided schools in the last 10 years."

माननीय अध्यक्षः साइलेंट प्लीज, साइलेंट। वोटिंग के समय पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। सुश्री आतिशी द्वारा विधेयक के खंड–9 के उपखंड–1 में दिया गया संशोधन सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(पक्ष के सदस्यों के ना कहने पर)

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता

प्रस्ताव अस्वीकार हुआ

माननीय अध्यक्षः अब प्रश्न यह है कि खंड–9 विधेयक का अंग बने।

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

खंड नौ विधेयक का अंग बन गया। अब प्रश्न है कि खंड–10 तथा खंड–11 विधेयक का अंग बने।

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

खंड–10 तथा खंड–11 विधेयक का अंग बन गए। सुश्री आतिशी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विधेयक के खंड–12 के उपखंड–2 तथा उपखंड–3 में संशोधन का नोटिस दिया है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि वह अपने संशोधन प्रस्तुत करें।

सुश्री आतिशीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या–3) के खंड–12 के उपखंड–2 तथा उपखंड–3 में अपने संशोधन प्रस्तुत करती हूं।

That Section 12 (2)(a) be amended as follows: “for the first violation, a penalty will be imposed which shall not be less than 10 lakh rupees, but which may extend to 25 lakh repees.”

That Section 12 (2)(b) be amended as follows: “for the second and subsequent violation, a penalty which shall not be less than 25 lakh rupees but which may extend to 1 crore rupees.”

That Section 12 (3)(f) be added to the Bill as follows: “initiate criminal proceedings against the members of the school management.”

माननीय अध्यक्षः सुश्री आतिशी द्वारा विधेयक के खंड–12 के उपखंड–2 तथा उपखंड–3 में दिए गए संशोधन सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है, वो हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(पक्ष के सदस्यों के ना कहने पर)

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता

प्रस्ताव अस्वीकार हुआ

माननीय अध्यक्षः अब प्रश्न है कि खंड–12 विधेयक का अंग बने।

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

खंड–12 विधेयक का अंग बन गया। अब प्रश्न है कि खंड–13 से खंड–16 विधेयक का अंग बने।

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

खंड–13 से खंड–16 विधेयक का अंग बन गए। सुश्री आतिशी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विधेयक के खंड–17 को हटाने का नोटिस दिया है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

सुश्री आतिशीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या–3) के खंड–17 को हटाने के संबंध में अपना संशोधन प्रस्तुत करती हूं।

Section 17 of the Bill be deleted.

माननीय अध्यक्षः

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(पक्ष के सदस्यों के ना कहने पर)

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता

प्रस्ताव अस्वीकार हुआ

माननीय अध्यक्षः अब प्रश्न है कि खंड–17 विधेयक का अंग बने।

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

खंड–17 विधेयक का अंग बन गया। अब प्रश्न है कि खंड–18 से खंड–21 विधेयक का अंग बने।

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

खंड–18 से खंड–21 विधेयक का अंग बन गया। अब प्रश्न है कि खंड–1 प्रस्तावना, शीर्षक और अनुसूची विधेयक का अंग बने।

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

खंड–1 प्रस्तावना, शीर्षक और अनुसूची विधेयक का अंग बन गए। अब श्री आशीष सूद, माननीय शिक्षा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 4 अगस्त, 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या–3) को पारित किया जाए। श्री आशीष सूद।

माननीय शिक्षा मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 4 अगस्त, 2025 को सदन में इंट्रोड्यूस्ड दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या–3) को पारित किया जाए।

माननीय अध्यक्षः यह प्रस्ताव सदन के सामने है।

जो इसके पक्ष में है, वे हां कहें।

जो इसके विरोध में है, वे ना कहें

(सदस्यों के हां कहने पर)

हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ

विधेयक पास हुआ।

माननीय सदस्यगण, कल 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है। भाई–बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का यह त्यौहार भारतीय संस्कृति के मूल्यों का प्रतीक है। राखी की डोर केवल एक सूत्र नहीं है बल्कि ये समाज में हमारी आपसी जिम्मेदारी, सुरक्षा और स्नेह की भावना की भी अभिव्यक्ति करता है। मैं इस अवसर पर इस सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों और दिल्ली वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय सदस्य गण, आपको जानकर हर्ष होगा कि 5 दिन जो ये सत्र चला है इसमें जो सदस्यों की भागीदारी रही है, 4 अगस्त को 64 members out of 70 5 अगस्त को 66 members present out of 70 6 अगस्त को 66 members present out of 70, 7 अगस्त को 67, 8 अगस्त को 66 यानी

कि यह जो यहां पर सदस्यों की भागीदारी है और वह भी पूरे समय अभी जिस तरह से पूरा सदन यहां उपस्थित है। मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं और माननीय सदस्यगण सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने से पहले मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि सत्र के सत्रावसान के लिए मैं उप–राज्यपाल महोदय के पास प्रस्ताव भेज रहा हूं। आठवीं विधानसभा के तीसरे सत्र के संचालन में सहयोग देने के लिए मैं सदन की नेता तथा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, सभी मंत्रीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती आतिशी तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा विधानसभा सचिवालय तथा दिल्ली सरकार के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ विभिन्न विभागों और सुरक्षा एजेंसियों तथा मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।

(राष्ट्रगान)

माननीय अध्यक्षः सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की गई।)